राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 1995

सं. एफ. 28-4/95 एन. सी. टी. ई.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 20 की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (न) तथा उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद प्रक्रिया के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है : जिसका अनुसरण राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियों द्वारा किया जाएगा ।

1. लघु शीर्ष तथा प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(क्षेत्रीय) समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (विनियम, 1995) होगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. लागू होना

ये विनियम निम्नलिखित से संबंधित मामलों पर लागू होंगे :

(क) नियत दिन से ठीक पूर्व शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं से इस अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करना,

(ख) शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने की इच्छुक संस्थाओं से मान्यता के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करना,

(ग) मान्यता प्रदान करते समय पहले से शामिल पाठ्यक्रमों के छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करना,

(घ) शिक्षक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों पर विचार करना,

Attested
12/5/11

सहायक निदेशक (पाठ्यक्रम)
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
सी-सेक्टर, कोटला विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

45

(ङ) अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत आने वाले मुद्दे,

(च) परिषद द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले ऐसे ही अन्य कार्य ।

3. परिभाषा

इन विनियमों में प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हों :

(क) "अधिनियम" का अर्थ है——राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1993 (1993 का 73),

(ख) "नियत दिन" का अर्थ है——धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के स्थापना की तारीख,

(ग) "अध्यक्ष" का अर्थ है——धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (क) के अन्तर्गत नियुक्त परिषद का अध्यक्ष,

(घ) "क्षेत्रीय समिति" का अर्थ है——धारा 20 के अन्तर्गत स्थापित समिति,

(ङ) "संयोजक" का अर्थ होगा——राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का ऐसा अधिकारी जिसे क्षेत्रीय समिति की बैठकों के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया हो;

(च) परिषद् के "सदस्य" का अर्थ होगा——अधिनियम की धारा 20 की उप धारा 3 के खंड (क) के अंतर्गत परिषद् द्वारा क्षेत्रीय समिति के सदस्य के रूप में नामित सदस्य;

(छ) क्षेत्रीय समिति के "अध्यक्ष" का अर्थ है—— अधिनियम क धारा 20 की उप धारा 4 के अंतर्गत क्षेत्रीय समिति की अध्यक्ष के रूप में परिषद् द्वारा नामित अध्यक्ष;

(ज) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 में परिभाषित और यहां परिभाषित न किए गए परन्तु इसमें प्रयुक्त सभी शब्दों और अभि व्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अर्थ उनका उक्त अधिनियम में है ।

4. परिषद् का सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समिति की बैठकों के लिए संयोजक मनोनीत करेगा । क्षेत्रीय समिति की बैठकें बुलाने, उनकी कार्य सूची तैयार करने तथा कार्यवृत्त तैयार करने के मामले में संयोजक क्षेत्रीय समित के अध्यक्ष के समग्र पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में काम करेगा ।

5. क्षेत्रीय समिति की हर बैठक संयोजक द्वारा जारी लिखित पत्र के माध्यम से बुलाई जाएगी । क्षेत्रीय समिति की बैठक बुलाने से संबंधित सूचना पत्र बैठक की तारीख से 15 दिन पहले क्षेत्रीय समिति के सभी सदस्यों को जारी किया जाएगा जिसमें बैठक की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख होगा ।

6. क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष क्षेत्रीय समिति की बैठक का समय, तारीख और स्थान निर्धारित करेगा ।

7. क्षेत्रीय समिति की बैठकों का संयोजक जब भी क्षेत्रीय समिति की बैठकें होंगी उनका कार्यवृत्त तैयार करेगा तथा कार्यवृत्त के प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् उसे क्षेत्रीय समिति के सभी सदस्यों को परिचालित करेगा ।

कार्यवृत्त के संबंध में यदि कोई टिप्पणी/संशोधन/आपत्ति प्राप्त होगी तो उसे क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष के सम्मुख रखा जाएगा तथा अपनी राय (यदि कोई हो) सहित कार्यवृत्त को वह पुष्टि के लिए क्षेत्रीय समिति की परवर्ती बैठक में रखेगा । कार्यवृत्त के रिकार्ड के संबंध में यदि कोई आपत्ति होगी तो उसे परिषद् द्वारा नामित सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों/बिंदुओं के संबंध में प्रावधानों के अधीन क्षेत्रीय समिति की परवर्ती बैठक में हल किया जाएगा तथा नीचे दिए गए विनियम 8 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार निपटाया जाएगा ।

8. प्रक्रिया :

(क) क्षेत्रीय समिति उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विचारों को ध्यान में रखकर सम्मति के आधार पर मुद्दों का निर्णय करेगी ।

(ख) परिषद् द्वारा निर्धारित मान्यता संबंधी पात्रता शर्तों व मानदण्डों तथा मानकों के अनुप्रयोग के निर्वचन में के संबंध में बैठक में मतांतर होने की स्थिति में क्षेत्रीय समिति के संयोजक द्वारा मामलों परिषद् को भेजा जाएगा ।

(ग) उपर्युक्त खंड (ख) के अनुसरण में संदर्भ प्राप्त होने पर मामला स्पष्टीकरण/निर्णय के लिए परिषद् के अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा । तथापि, अध्यक्ष मामले को ऐसे मं9 का सौंप सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे ।

9. अध्यक्ष, एन.सी.टी.ई. परिषद् के नियुक्त नामितियों के क्षेत्रीय समिति की किसी खास बैठक में भाग लेने में असमर्थ होने की स्थिति में या बैठक को किसी खास अवधि के दौरान परिषद् के किसी उच्च सदस्य व परिषद् के सदस्य के रूप में नामित करेगा ।

ह./- (अपठनीय)
सदस्य-सचिव
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1996

सं. एफ. 28-5/95-एन.सी.टी.ई.——राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की सं. 73) की धारा 7 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 32 की उप धारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्,

1. लघु शीर्ष और प्रारम्भ

इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (परिषद् बैठकों तथा इस प्रकार की बैठकों के लिए कोरम से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 1995 होगा ।

ये विनियम इनके सरकारी राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

46

IndiaCode

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तो :

(क) "अधिनियम" का अर्थ है—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 (1993 की सं. 73) ।

(ख) "परिषद्" का अर्थ है—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ।

(ग) "अध्यक्ष" का अर्थ है—परिषद् का अध्यक्ष ।

(घ) "उपाध्यक्ष" का अर्थ है—परिषद् का उपाध्यक्ष ।

(ङ) "सदस्य-सचिव" का अर्थ है—परिषद् का सदस्य-सचिव ।

3. परिषद् की बैठकें :

(1) अपने कार्यों के संबंध में परिषद् की उतनी बैठक होगी जितनी आवश्यक होगी परन्तु कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार इसकी बैठक अवश्य होगी ।

(2) सूचना में बैठक के स्थान, तारीख और समय का स्थान निर्धारित करेगा तथा बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदित करेगा ।

(3) जहां अध्यक्ष द्वारा सदस्य को अनुपस्थित रहने की मंजूरी लिखित में प्रदान की जाएगी उसे छोड़कर सदस्य परिषद् की सभी बैठकों में भाग लेगा तथा इस प्रकार की बैठकों के लिए रखी गई बैठक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करेगा ।

4. बैठक की सूचना एवं कार्य सूची :

(1) सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्यों को परिषद् की सभी बैठकों के संबंध में लिखित सूचना बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी ।

(2) सूचना में बैठक के स्थान, तारीख और समय का उल्लेख होगा तथा इसमें वे कार्य विनिर्दिष्ट होंगे जिन पर बैठक में विचार किये जाने का प्रस्ताव होगा ।

(3) बैठक के लिए एक अलग से कार्य सूची तैयार की जाएगी तथा सूचना पत्र के साथ या उसके तत्काल बाद सभी सदस्यों को भेजी जाएगी ।

(4) अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले अन्य सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति के बगैर बैठक में ऐसे मुद्दे पर विचार नहीं किया जाएगा जिसे बैठक के कार्य-वृत्त में शामिल नहीं किया गया होगा ।

5. कोरम :

(1) परिषद् की प्रत्येक बैठक में रिक्त पदों को छोड़कर कम से कम एक तिहाई सदस्यों का कोरम होगा ।

(2) यदि किसी बैठक में किसी भी कारणवश कोरम पूरा नहीं हो तो 30 मिनट तक इन्तजार करने के बाद अध्यक्षता करने वाला सदस्य बैठक को उसी दिन उतने घंटे या अगले दिन किसी दूसरे दिन के लिए स्थगित कर देगा जिसे वह उपयुक्त समझे तथा उपस्थित सदस्यों को इस प्रकार के स्थगन की सूचना दी जाएगी तथा परिषद् के सूचना पट्ट में भी इसे लगाया जाएगा तथा कोरम पूरा होने की स्थिति में जिन मुद्दों पर मूल बैठक में विचार होगा उन्हें स्थगित बैठक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा तथा कोरम के बगैर भी उन्हें निपटाया जा सकता है ।

6. आपात बैठकें :

(क) अध्यक्ष किसी भी समय अपने विवेक पर सूचना की अवधि कम करते हुए ऐसे किसी तात्कालिक मामले पर विचार करने के लिए परिषद् की आपात बैठक बुला सकता है जिस पर इसका ध्यान देना जरूरी हो ।

(ख) यदि अध्यक्ष को कम से कम सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में एक ऐसा मांग पत्र प्राप्त हो जिसमें उस प्रयोजन का उल्लेख हो जिसके लिए वे बैठक बुलाना चाहते हैं तो वह अपने विवेक पर तात्कालिकता की गुणवत्ता के आधार पर आपात बैठक बुलाएगा ।

7. बैठक के कार्यवृत्त :

(1) परिषद् की प्रत्येक बैठक के ठीक बाद सदस्य सचिव बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगा तथा उसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले दूसरे सदस्य (जैसी भी स्थिति हो) को अगला आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा । इस प्रकार अनुमोदित कार्यवृत्त परिषद् के सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणी (यदि कोई हो) के लिए परिचालित किया जाएगा ।

(2) विनियम के उप विनियम (1) के अंतर्गत परिचालित कार्यवृत्त पुष्टि के लिए परिषद् के सम्मुख रखा जाएगा तथा परिषद् इसमें ऐसे संशोधन (यदि कोई हो) भी कर सकती है । जिसे वह उपयुक्त समझे । इस प्रकार अनुमोदित कार्यवृत्त पर अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा तथा यह संदर्भ और रिकार्ड के लिए रखी जाने वाली कम्प्यूटर मिसिलों व रजिस्टर का अंग होगा ।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य-सचिव
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

दिनांक 29 दिसम्बर 1995

सं. एफ. 28-11/95-एन.सी.टी.ई.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की सं. 73) की धारा 14 और 15 के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (च) और (छ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है ।

Attested
[illegible]
उपसचिव निदेशक (प्रशासन)
भा.रा.सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

47

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को शुरू करने की अनुमति) विनियम, 1995 होगा ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में, जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) "अधिनियम" का अर्थ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की सं. 73) होगा ।

(2) "अध्यापक शिक्षा में नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण" का अर्थ है अध्यापक शिक्षा में कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण जो मान्यता प्रदान करते समय संस्था में नहीं चल रहा हो परन्तु मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जिसे चलाने का प्रस्ताव हो ।

(3) अन्य सभी पदों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा-2 में अन्तर्विष्ट है ।

3. मान्यता के लिए आवेदन

(क) 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने वाली प्रत्येक संस्था इन विनियमों के परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रारूप में क्षेत्रीय समिति के पास अधिनियम के अंतर्गत मान्यता के लिए आवेदन करेगी ।

(ख) अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छुक प्रत्येक संस्था इन विनियमों के परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रारूप में अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता के लिए आवेदन करेगी ।

(ग) आवेदन उस क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में संस्था अवस्थित हो ।

(घ) क्षेत्रीय समिति का क्षेत्राधिकार इन विनियमों के परिशिष्ट-2 में दिया गया है ।

4. नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को चलाने अथवा दाखिल की संख्या में वृद्धि हेतु अनुमति के लिए आवेदन

(क) यदि कोई मान्यता प्राप्त संस्था अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करना चाहती है तो वह इन विनियमों के परिशिष्ट-1 में उल्लिखित सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास आवेदन करेगी ।

(ख) यदि कोई मान्यताप्राप्त संस्था ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों की अनुमोदित संख्या से अधिक विद्यार्थियों को दाखिला करना चाहती है तो ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था इन विनियमों के परिशिष्ट-1 में उल्लिखित सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास आवेदन करेगी ।

(ग) आवेदन क्षेत्रीय समिति को दिया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में संस्था अवस्थित हो ।

(घ) क्षेत्रीय समिति का क्षेत्राधिकार इन विनियमों के परिशिष्ट-2 में दिया गया है ।

5. आवेदन करने की पद्धति

(क) मान्यता के लिए आवेदन परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रपत्र पर सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा ।

(ख) मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा अध्यापक शिक्षा में नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को शुरू करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रपत्र पर सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा ।

(ग) संस्था की मान्यता के लिए आवेदन तीन प्रतियों में दिया जाएगा ।

(घ) 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले अध्यापक प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने वाली संस्था की मान्यता के लिए आवेदन सीधा सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा ।

(ङ) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना होगा ।

(च) उपर्युक्त विनियम 4 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को शुरू करने और/अथवा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

6. शुल्क

मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा संस्था की मान्यता अथवा नये पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति के लिए दिए जाने वाले आवेदन के साथ परिषद् द्वारा ऐसे आवेदन के लिए समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट शुल्क भेजे जाएंगे जो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में "क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्" के नाम सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के अवस्थित होने के स्थान पर देय होगा ।

7. आवेदन देने के लिए समय-सीमा

(क) 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने वाली प्रत्येक संस्था यह ध्यान में रखते हुए आवेदन करेगी कि आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास छः महीने के अंदर अर्थात् 16 फरवरी, 1996 तक पहुंच जाए ।

(ख) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली प्रत्येक संस्था इस बात को ध्यान में रखते हुए आवेदन करेगी कि आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक पहुंच जाए ताकि आगामी शैक्षिक सत्र से पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू किया जा सके ।

(ग) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अध्यापक शिक्षा में कोई भी नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन परिशिष्ट-1 में दिए गए

Officiated
21/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

48

प्रपत्र पर किया जाएगा और यह ध्यान में रखते हुए किया जाएगा कि आगामी शैक्षिक वर्ष में शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण हेतु आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास पंचांग वर्ष के 31 दिसम्बर तक पहुंच जाए ।

8. मान्यता के लिए शर्तें

(क) क्षेत्रीय समिति मान्यता के लिए दिए गए आवेदन में अन्तर्विष्ट तथ्यों की जांच और मूल्यांकन के आधार पर और या जहां आवश्यक हो संस्था का निरीक्षण करके या किसी अन्य उपयुक्त समझी गई पद्धति से इस बात के लिए संतुष्ट हो लेगी कि संस्थाओं के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन, स्थान, पुस्तकालय, अर्हता प्राप्त कर्मचारी, प्रयोगशाला और अध्यापक शिक्षा में चलाए जा रहे अथवा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं के उपयुक्त कार्यकरण हेतु अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ख) क्षेत्रीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मान्यता के लिए आवेदन करने वाली प्रत्येक संस्था परिशिष्ट-2 में दी गई शर्तों को पूरा कर रही है ।

9. मान्यता प्राप्त संस्थाओं को नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति प्रदान करने के लिए शर्तें

(क) क्षेत्रीय समिति अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए मान्यताप्राप्त संस्था के आवेदन में अन्तर्विष्ट तथ्यों की जांच और मूल्यांकन के आधार पर और या जहां अनिवार्य समझा जाए। मान्यता प्राप्त संस्था का निरीक्षण करके या किसी अन्य उपयुक्त समझे गए तरीके से इस बात की संतुष्टि कर लेगी कि संस्था के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन, स्थान, पुस्तकालय, अर्हता प्राप्त कर्मचारी, प्रयोगशाला और पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को चलाने के लिए अपेक्षित ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ख) क्षेत्रीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति के लिए आवेदन करने वाली प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था परिशिष्ट में दी गई शर्तों को पूरा करती है ।

10. क्षेत्रीय समिति संस्थाओं के आवेदन पर आदेश करने के पहले मान्यता के लिए आवेदन पर विचार करने के मामले में धारा 14 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करेगी।

11. अध्यापक शिक्षा में नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति के लिए मान्यताप्राप्त संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के मामले में धारा 15 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करेगी ।

12. अध्यापक शिक्षा में नए प्रकार के और अथवा पाठ्यक्रम के विषय-वस्तु प्रणाली, अवधि आदि के दृष्टिकोण से भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने वाली संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदनों पर विचार सम्बद्ध क्षेत्रीय परिषद् द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित पद्धति से करेगी ।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य सचिव
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

परिशिष्ट-1

अध्यापक शिक्षा संस्थाएं

(मान्यता/अनुमति)

प्रपत्र

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
नई दिल्ली
1995

अध्यापक शिक्षा संस्थाओं/पाठ्यक्रमों के लिये

मान्यता/अनुमति

आवेदन

यदि प्रश्न का उत्तर हां तो कृपया संबंधित खाना में सही (√) का निशान लगायें यदि उत्तर नहीं हो तो गलत (×) का निशान लगायें। प्रासंगिक उत्तर विकल्प (विकल्पों) का प्रयोग करें।

1. संस्था की मान्यता	विद्यमान ☐	नई ☐
2. आप किसके लिये आवेदन कर रहे हैं :		
क. पुरानी संस्था की मान्यता के लिये	हां ☐	नहीं ☐
ख. नये पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को शुरू करने के लिये	हां ☐	नहीं ☐
ग. अतिरिक्त दाखिला क्षमता के लिये	हां ☐	नहीं ☐

Attested
उपनिदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

3. मौजूदा पाठ्यक्रम : कृपया पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के नाम लिखें

अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम	अवधि वर्ष (वर्षों) में	प्रस्तावित सीटें	अतिरिक्त सीटें
क			
ख			
ग			

4. प्रस्तावित नया/नये पाठ्यक्रम

अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम	अवधि वर्ष (वर्षों) में	प्रस्तावित सीटें	अतिरिक्त सीटें
क.			
ख.			
ग.			

5. संस्था में अन्य (शिक्षकेत्तर शिक्षा) पाठ्यक्रम, यदि कोई हो/हों (कृपया पाठ्यक्रम का नाम लिखें)।

क.

ख.

ग.

6. वर्तमान परिसर में अवस्थित होने वाला /वाले प्रस्तावित पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रम का नाम लिखें) हां ☐ नहीं ☐

क.

ख.

अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की मान्यता/मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिये आवेदन प्रपत्र

—आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किऐ गये प्रासंगिक विनियमों, मानदण्डों और मानकों का उल्लेख कर सकते हैं।

— यदि उत्तर हां हो तो कृपया संबंधित खाना पर सही (√) का निशान लगायें तथा यदि उत्तर नहीं हो तो गलत (×) का निशान लगायें।

1.0 सामान्य जानकारी

1.1 संस्था का नाम ----------

1.2 पत्राचार का पता ----------

डाकघर----------पिन----------

जिला----------

राज्य ----------

1.3 संस्था प्रमुख की दूरभाष सं० ----------

1.4 तार का पता ----------

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

1.5 नजदीकी रेलवे स्टेशन ----------दूरी----------कि० मी०

1.6 यदि ग्रामीण क्षेत्र में हो तो नजदीकी शहर----------दूरी----------कि० मी०

1.7 नजदीकी बस स्टैंड----------

संस्था से इसकी दूरी ----------कि० मी०

1.8 संस्था से शहर तक आवागमन के लिये उपलब्ध सुविधा कृपया सही/गलत का निशान लगायें।

नगरीय बस ☐ आटो रिक्शा ☐ साइकिल रिक्शा ☐

1.9 संस्था में उपलब्ध सुविधाओं पल सही/गलत निशान लगायें

बिजली ☐ जलापूर्ति ☐ दूरभाष ☐

1.10 मौजूदा उपलब्ध विद्यालयों (10 कि० मी० के भीतर) की संख्या ----------

तथा क्षेत्र कार्य के लिये उपलब्ध अनुभागों की संख्या ----------प्रदान किये जा रहे अनुभागों का उल्लेख सहित विद्यालय प्रमुखों से सहमति पत्र संलग्न करें)

1.11 नजदीकी अध्यापक शिक्षा संस्था से आपकी संस्था की दूरी

बालवाड़ी ☐.....कि० मी० नर्सरी ☐..... कि० मी०

प्रारम्भिक ☐कि० मी० माध्यमिक ☐ कि० मी०

कोई अन्य ☐..... कि० मी०

2.0 प्रबन्धन

2.1 संस्था किसके द्वारा प्रबंधित है? (कृपया सही/गलत का निशान लगायें,)।

केन्द्रीय सरकार ☐ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/राज्य सरकार ☐

स्थानीय स्वशासन ☐ पंजीकृत सोसायटी/न्यास ☐

कोई अन्य ☐

(कृपया विनिर्दिष्ट करें)

2.2 यदि पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा प्रबंधित है तो क्या आपको सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है?

हां ☐ नहीं ☐

2.3 यदि पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा प्रबंधित है तो इसका पंजीकरण कब हुआ?.....

कृपया निम्नलिखित को संलग्न करें (यदि इन में कोई संलग्न करें तो उसकी जांच कर लें)

पंजीकरण प्रमाणपत्र हां ☐ नहीं ☐

संगम ज्ञापन/उप विधि हां ☐ नहीं ☐

2.4 यदि बोर्ड द्वारा प्रबंधित हो तो बोर्ड का संस्वीकृति आदेश संलग्न करें। हां ☐ नहीं ☐

2.5 यदि सरकार द्वारा प्रबंधित हो तो सरकार का संस्वीकृति आदेश संलग्न करें। हां ☐ नहीं ☐

2.6 पाठ्यक्रम शुरू होने का शैक्षिक वर्ष

प्रारम्भ होने की तारीख ----------

बन्द होने की तारीख ----------

2.7 क्या यह राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है? हां ☐ नहीं ☐

कृपया मान्यता-पत्र संलग्न करें हां ☐ नहीं

2.8 क्या यह आवेदन निम्नलिखित में से किसी एक के लिये प्रस्तुत किया गया है।

नया/नये पाठ्यक्रम शुरू करने के लिये अनुमति हां ☐ नहीं ☐

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मौजूदा पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिये हां ☐ नहीं ☐

मौजूदा पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त दाखिलों के लिये हां ☐ नहीं ☐

2.9 यदि पाठ्यक्रम नया है तो क्या आपने पाठ्यक्रम शुरू करने के लिये केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त की है? हां ☐ नहीं ☐

जिसके लिये आवेदन किया गया ☐

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

3.0 भूमि एवं भवन

3.1 कृपया संस्था द्वारा अधिग्रहीत भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख करेंएकड़

(क्या आपने स्वामित्व के प्रमाण के रूप में रजिस्ट्री दस्तावेज संलग्न किये हैं।) हां ☐ नहीं ☐

कृपया स्वामित्व के प्रमाणपत्र के रूप में रजिस्ट्री दस्तावेज की प्रति संलग्न करें। हां ☐ नहीं ☐

3.1.1 क्या भूमि क्षेत्र एक संयुक्त प्लाट है? हां ☐ नहीं ☐

3.1.2 यदि एक से अधिक प्लाट हो तो उनके बीच दूरी कितनी है?

——————कि० मी० यात्रा का माध्यम ——————

(प्लाट /प्लाटों की अवस्थिति दर्शाने वाला रेखाचित्र संलग्न करें) हां ☐ नहीं ☐

3.2 संस्था के मौजूदा भवनों का कुल फर्शी क्षेत्रफल——————वर्गमीटर

प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिये उपलब्ध फर्शी क्षेत्रफल ————वर्गमीटर

भवन का अनुमोदित फर्शी नक्शा संलग्न करें) हां ☐ नहीं ☐

3.3 पाठ्यक्रम के लिए संस्था के मौजूदा भवन में कमरों की संख्या तथा उनके प्रयोग का ब्यौरा दें।

कमरा	कमरों की संख्या	फर्शी क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्रस्तावित विस्तार, फर्शी क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
शिक्षण कक्ष			
पुस्तकालय			
प्रयोगशाला			
कार्यशाला			
कला कक्ष			
संगीत कक्ष			
सभागार			
प्रधानाचार्य कक्ष			
कार्यालय			
कर्मचारी कक्ष			
बाल विनोद कक्ष			
भंडार कक्ष			
शौचालय			
कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			

3.4 यदि पाठ्यक्रम /पाठ्यक्रमों के लिए नए भवन का निर्माण हो रहा हो/शीघ्र ही निर्मित होने वाला हो तो निम्नलिखित ब्यौरा दें :

(i) भवन का स्थल नक्शा हां ☐ नहीं ☐

(ii) भवन का अनुमोदित फर्शी नक्शा हां ☐ नहीं ☐

(iii) निर्माण प्रारंभ होने की तारीख ————माह ————वर्ष

(iv) निर्माण कार्य के पूरा होने की संभावित तारीख ————माह ————वर्ष

(v) भवन के लिए नक्शे में दिए गए फर्शी क्षेत्रफल उल्लेख करें ——————————

2—479GI/95

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

S-2

IndiaCode

कमरा	कमरों की संख्या	फर्शी क्षेत्रफल
शिक्षण कक्ष		
पुस्तकालय		
प्रयोगशाला		
कार्यशाला		
कला कक्ष		
संगीत कक्ष		
सभागार		
प्रधानाचार्य कक्ष		
कार्यालय		
कर्मचारी कक्ष		
बाल विनोद कक्ष		
भंडार कक्ष		
शौचालय		
कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		

3.5 क्या आपके पास छात्रों के लिए छात्रावास है ? हां ☐ नहीं ☐

3.5.1 यदि छात्रावास है तो निम्नलिखित ब्यौरा दें :

छात्रावास	छात्र क्षमता	छात्रों के लिए कमरों की संख्या	कुल फर्शी क्षेत्रफल
बालिका छात्रावास			
बाल छात्रावास			

3.5.2 यदि छात्रावास नहीं है तो क्या छात्रावास के लिए भवनों का निर्माण करने हेतु आपके पास कोई भावी योजना है ? यदि हां, तो ब्यौरा दें

छात्रावास	छात्र क्षमता	फर्शी क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	निर्माण कार्य पूरा होने की संभावित तिथि
बालिका छात्रावास			
बाल छात्रावास			

(:—:)

3.5.3 बाह्य स्थान के छात्रों को आवास प्रदान करने के लिए आपने कौन सी दूसरी व्यवस्था कर रखी है ?

3.6 वर्तमान तथा प्रस्तावित स्टाफ क्वार्टरों का ब्यौरा दें :

क्वार्टर	वर्तमान		प्रस्तावित	
	संख्या	फर्शी क्षेत्रफल	संख्या	फर्शी क्षेत्रफल
प्रधानाचार्य				
अध्यापक				
अन्य प्रशासनिक कर्मचारी				
सहायक				
कोई अन्य				

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

53

IndiaCode

3.7 कृपया संस्था के वर्तमान क्रीड़ा स्थलों का ब्यौरा दें :

क्रीड़ा स्थल	संख्या	क्षेत्रफल	प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्रफल
फुटबाल			
हॉकी			
क्रिकेट			
बालीबाल			
बास्केट बॉल			
बैडमिंटन			
खो-खो			
कबड्डी			
कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			

4.0 उपकरण, पुस्तकें एवं फर्नीचर

4.1 कृपया पुस्तकालय की पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं का ब्यौरा दें :

मद	वर्तमान संख्या (लगभग लागत)	अगले दो वर्षों में प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों/उपकरणों की लागत	
		प्रथम वर्ष आज से	द्वितीय वर्ष आज से
पुस्तकें			
मंगाई जा रही पत्रिकाएं			

4.2 उपलब्ध तथा प्राप्त किए जाने वाले उपकरणों का ब्यौरा दें :

मद	सीटों की संख्या	वर्तमान उपकरण लागत	नीचे दिए गए वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उपकरणों की लागत	
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
मनोविज्ञान-सह-मार्ग दर्शन प्रयोगशाला				
विज्ञान प्रयोगशाला				
शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला				
कार्य अनुभव प्रयोगशाला				
शिक्षण-सह-संगणक प्रयोगशाला				
पुस्तकालय-सह-वाचनालय				
समाज विज्ञान-सह-लघु समूह प्रयोगशाला				
भाषा प्रयोगशाला				
खेल एवं क्रीड़ा				
कला/संगीत				
कोई अन्य				

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

54

4.3 संस्था के लिए (कृपया छात्रावासों को छोड़कर) प्राप्त किए जाने वाले फर्नीचर की अनुमानित लागत का ब्यौरा दें :

निम्नलिखित के लिए फर्नीचर	कुल सीटें	वर्तमान फर्नीचर की लागत	दो वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले फर्नीचर की लागत	
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
छात्र				
शिक्षक प्रशिक्षक				
प्रधानाचार्य एवं कार्यालय				
प्रयोगशाला/कार्यशाला				
कोई अन्य				

5.0 कर्मचारियों के लिए मानदंड
कृपया संबंधित खाना/खानों को ही भरें।

5.1 (क) कृपया पूर्व प्राथमिक (नर्सरी) शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों (यदि लागू हों) के लिए संस्था हेतु वर्तमान/प्रस्तावित कर्मचारियों का ब्यौरा दें :

कर्मचारीगण	नियुक्त कर्मचारियों की संख्या		वेतनमान
	पूर्णकालिक	अंशकालिक	
प्रधानाचार्य			
सामान्य शिक्षक प्रशिक्षक			
स्नातकोत्तर शिक्षक (विषय-वार)			
यू० डी० टी०/टी० जी० टी०			
विशेषज्ञ शिक्षक प्रशिक्षक			
कार्य अनुभव शिक्षक प्रशिक्षक			
कला शिक्षक प्रशिक्षक			
संगीत शिक्षक प्रशिक्षक			
शारीरिक शिक्षा/क्रीड़ा शिक्षक			
प्रशिक्षक			
पुस्तकालयाध्यक्ष			
तकनीकी सहायक/प्रयोगशाला			
सहायक			
कार्यालय अधीक्षक			
उच्च श्रेणी लिपिक			
अवर श्रेणी लिपिक/टंकक			
मददगार			
कोई अन्य			

शिक्षण कर्मचारियों के नाम योग्यता व अनुभव का उल्लेख करते हुए उनकी सूची संलग्न करें।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
नई दिल्ली-54

5.1 (ख) कृपया प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों (यदि लागू हों) के लिए संस्था हेतु बर्तमान/प्रस्तावित कर्मचारियों का ब्यौरा दें :

कर्मचारीगण	नियुक्त कर्मचारियों की संख्या		वेतनमान
	पूर्णकालिक	अंशकालिक	
प्रधानाचार्य			
शिक्षा शास्त्र के शिक्षक			
प्रणाली विज्ञान के शिक्षक			
शारीरिक शिक्षा के शिक्षक			
कार्य-अनुभव शिक्षक			
कला/संगीत शिक्षक			
कार्यालय सहायक (टंकक समेत)			
मददगार			
कोई अन्य			

कृपया शिक्षण कर्मचारियों के नाम, योग्यता व अनुभव का उल्लेख करते हुए उनकी सूची संलग्न करें।

5.1 (ग) कृपया माध्यमिक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों (यदि लागू हों) के लिए संस्था हेतु बर्तमान/प्रस्तावित कर्मचारियों का ब्यौरा दें:

कर्मचारीगण	नियुक्त कर्मचारियों की संख्या			वेतनमान
	पूर्णकालिक	अंशकालिक	अतिथि	
प्रधानाचार्य				
प्रोफेसर				
रीडर				
शिक्षा के लेक्चरार				
शारीरिक शिक्षा के लेक्चरार				
कार्य अनुभव शिक्षक				
कला शिक्षक				
संगीत शिक्षक				
पुस्तकालयाध्यक्ष				
तकनीकी सहायक				
कार्यालय सहायक				
मददगार				
कोई अन्य				

कृपया शिक्षण कर्मचारियों के नाम, योग्यता व अनुभव का उल्लेख करते हुए उनकी सूची संलग्न करें।

5.2 कृपया अपेक्षित या अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में अपनी योजना का उल्लेख करें।

पदनाम	संस्था	किस वर्ष में भर्ती किया जाना है	वेतनमान

5.3 कृपया शिक्षण कर्मचारियों के लिए चयन समिति की संरचना का उल्लेख करें।

6.0 छात्रों का दाखिला

6.1 कृपया पाठ्यक्रम-वार छात्रों का वार्षिक दाखिला बताएं :

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

6.2 संबंधित शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में दाखिला के लिए न्युनतम योग्यता क्या है ?

योग्यता	निर्धारित न्युनतम कुल अंक	दाखिला के लिए पाठ्यक्रम का नाम
हाईस्कूल प्रमाण पत्र		
उच्चतर माध्यमिक		
स्नातक		
कोई अन्य		

6.3 दाखिला के लिए छात्रों का चयन किस तरह से किया जाता है ?

(कृपया सही/गलत का निशान लगाएं)

* राज्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से	हां ☐	नहीं ☐
* संस्था के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से	हां ☐	नहीं ☐
* उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा के कुल अंकों के आधार पत्र	हां ☐	नहीं ☐
* डिग्री स्तर की परीक्षा के कुल अंकों के आधार पर	हां ☐	नहीं ☐
* चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से	हां ☐	नहीं ☐

* योग्यता के आधार पर चुने गए छात्रों का प्रतिशत
* आरक्षण के आधार पर चुने गए छात्रों का प्रतिशत
* कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

6.4 कृपया छात्रों से लिए जा रहे शुल्क और दी जा रही छात्रवृत्ति/शुल्क मुक्ति (यदि कोई हो) का उल्लेख करें।

प्रति छात्र वार्षिक शिक्षण शुल्क	अन्य वार्षिक शुल्क	छात्रवृत्ति		शुल्क मुक्ति संख्या
		रशि	संख्या	

6.5 क्या सभी छात्रों से एक समान शुल्क लिया जाता है ? हां ☐ नहीं ☐

6.6 यदि नहीं तो विभिन्न श्रेणी के छात्रों से वसूल किये जा रहे शुल्कों का ब्यौरा दें :

6.7 क्या आप राज्य द्वारा अनुमोदित शुल्क ढांचा अपना रहे हैं ? हां ☐ नहीं ☐

7.0 वित्त

7.1 यदि सरकार/स्थानीय शासन/बोर्ड द्वारा प्रबंधित हो तो नीचे दी गई मदों पर संस्था के लिए बजट प्रावधानों का उल्लेख करें :

(i) वेतन एवं भत्ता

(ii) उपकरण, फर्नीचर एवं किताबें

(iii) अन्य सभी मदें

(iv) कुल वार्षिक बजट

12/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

57

IndiaCode

7.2 यदि गैर सरकारी संस्था द्वारा प्रबंधित हो तो निम्नलिखित का ब्यौरा दें :

(i) अक्षय निधि की राशि

(ii) आरक्षित निधि की राशि
(क्या यह तीन माह का वेतन देने के लिए पर्याप्त है)

(iii) अद्यतन वार्षिक बजट : आय व्यय
(निधियों में वर्तमान बकाया राशि का उल्लेख करने के बारे में बैंक से प्रमाण-पत्र तथा अद्यतन बजट का सार संलग्न करें)

7.3 आय के अन्य स्रोतों (यदि कोई हो) का उल्लेख करें।

.....

7.4 आय से अधिक व्यय (यदि कोई हो) को कैसे पूरा किया जाता है/कैसे पूरा करने का प्रस्ताव है कृपया इसका उल्लेख करें।

क्रम सं०	आय का स्रोत	वार्षिक आय
1		
2		
3		
4		
5		
6		
जोड़		

8.0 अन्य शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम

8.1 जिस शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए यह आवेदन किया गया है यदि उससे भिन्न किसी पाठ्यक्रम में संस्था शिक्षण प्रदान कर रही है तो ऐसे प्रत्येक पाठ्यक्रम का ब्यौरा दें।

	बालवाड़ी	नर्सरी	प्रारंभिक	माध्यमिक
(i) पाठ्यक्रम				
(ii) शीर्षक				
(iii) अवधि				
(iv) दाखिला संख्या				
(v) प्रारंभ होने का वर्ष				

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

8.2 संबंधित पाठ्यक्रम /पाठ्यक्रमों में छात्रों की वर्तमान दाखिला संख्या..... दाखिला संख्या में प्रस्तावित वृद्धि (यदि कोई हो)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार

पूर्वी भुवनेश्वर	पश्चिमी-भोपाल	उत्तरी	दक्षिणी-बंगलौर
1. अरूणाचल प्रदेश	1. गोवा	1. हरियाणा	1. आंध्र प्रदेश
2. असम	2. गुजरात	2. हिमाचल प्रदेश	2. कर्नाटक
3. बिहार	3. मध्य प्रदेश	3. पंजाब	3. केरल
4. मणिपुर	4. महाराष्ट्र	4. राजस्थान	4. तमिलनाडु
5. मेघालय	5. दादरा एवं नगर हवेली	5. उत्तर प्रदेश	5. लक्षद्वीप
6. मिजोरम	6. दमन एवं दीव	6. चंडीगढ़	6. पांडिचेरी
7. नागालैंड			
8. उड़ीसा			
9. सिक्किम			
10. पश्चिम बंगाल			
11. त्रिपुरा			
12. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			

क्षेत्रीय समितियों के कार्यालय का पता नीचे दिया गया है ।

1. क्षेत्रीय निदेशक
पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, एन. सी. टी. ई.
मानसा भवन (आकाशवाणी के पास)
श्यामला पहाड़ी,
भोपाल-462002 ।

2. क्षेत्रीय निदेशक
पूर्वी क्षेत्रीय समिति, एन. सी. टी. ई.
जन शिक्षा भवन, यूनिट-5
भुवनेश्वर-751001 ।

3. क्षेत्रीय निदेशक
उत्तरी क्षेत्रीय समिति, एन. सी. टी. ई.
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय परिसर
गोपीनाथ मार्ग, पंचवटी
जयपुर-302001 (राजस्थान) ।

4. क्षेत्रीय निदेशक
दक्षिणी क्षेत्रीय समिति, एन. सी. टी. ई.
सं. 66, 6वां मुख्य
चतुर्थ खंड, राजाजी नगर,
बंगलौर-560010 ।

—यदि जरूरत हो तो आप और पत्रकों का प्रयोग कर सकते हैं ।

प्रबंधन संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले सक्षम पदाधिकारी द्वारा नायिकेतर स्टांप कागज पर प्रस्तुत किया जाने वाला

वचनबंध

□ □ □ □ □ (कालेज/संस्था/मंडल/न्यास/सोसायटी, आदि का नाम) का/के/न्यासी/अध्यक्ष/प्रधानाचार्य/निदेशक/प्रमुख/पंजीयक/संपर्की मैं/हम एतद्द्वारा सत्र □ □ □ □ . (शैक्षिक वर्ष) से (पाठ्यक्रम/संस्था का नाम) शुरू करने/उसके स्थिरीकरण/दाखिला संस्था सीमित करने के लिए अपने आवेदन के संबंध में निम्नलिखित का पालन करने का वचन देता हूं/देते हैं ।

1. यह कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार (संस्थान/कालेज) के शासी निकाय/परिषद सहित प्रबंध बोर्ड का गठन किया जाएगा तथा निकाय/परिषद के अध्यक्ष/सचिव की नियुक्ति की जाएगी ।

2. यह कि समय-समय पर निर्धारित एन.सी.टी.ई. मानदंडों, मानकों तथा दिशा निर्देशों के अनुसार ढांचागत, शैक्षणिक और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।

3. यह कि समय-समय पर की राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और एन. सी. टी. ई. द्वारा अपनाए गए मानदंडों और दिशा निर्देशों के अनुसार दाखिला प्रदान किया जाएगा ।

4. यह कि पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में दाखिला केवल तभी दिया जाएगा जब न्यूनतम अपेक्षित निर्धारित सुविधाएं सृजित हो जाएंगी और संवर्द्धन प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय/राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर लेगा/अनुमति प्रदान कर देगा ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भा. रा. शिक्षा परिषद्, प्रकाशन विभाग
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-54

59

IndiaCode

5. यह कि आरक्षण संबंधी सरकारी अनुबंधों के अधीन समय-समय पर एन. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, योग्यता और अनुभव आदि के अनुसार विज्ञापन और खुले चयन के जरिए संकाय/शिक्षण कर्मचारियों की युक्तियुक्त ढंग से भर्ती की जाएगी । जिन श्रेणियों के अनुमत्य पदों को राज्य सरकार सामान्य नीति के रूप में "राज्य आधारित चयन" घोषित करेगी उन पर चयन राज्य आधारित चयन के आधार पर किया जाएगा ।

6. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित समग्र मानदंडों और दिशा निर्देशों के भीतर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार शिक्षण और अन्य शुल्क वसूल किया जाएगा । छात्र/छात्र के अभिभावकों या उनकी तरफ से काम करने वाले शिक्षा किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी रूप में प्रति व्यक्ति शुल्क या चंदा वसूल नहीं किया जाएगा ।

7. यह कि प्रबंधन संतोषजनक सुविधाएं प्रदान करने के लिए और कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगा तथा 6 माह तक आवर्ती व्ययों को पूरा करने और बिना किसी कठिनाई के संस्था/पाठ्यक्रम को चलाने के लिए पर्याप्त निधियां आरक्षित करेगा ।

8. यह कि संस्था का लेखा-जोखा समुचित ढंग से रखा जाएगा तथा लेखा परीक्षा प्राधिकारियों या किसी सनदी लेखापाल से हर वर्ष उनकी लेखा परीक्षा की जाएगी तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या इसके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण के लिए ये उपलब्ध होंगे ।

9. यह कि एन. सी. टी. ई. द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया, योग्यता व अनुभव के अनुसार शिक्षण और अन्य कर्मचारियों का चयन किया जाएगा ।

10 यह कि प्रबंधक एन. सी. टी. ई. द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित दाखिला संख्या संबंधी प्रतिबंध सहित सभी शर्तों और मानदंडों का कड़ाई से पालन करेगा तथा किसी भी समय अपेक्षित होने पर स्वयं को एन. सी. टी. ई. द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए प्रस्तुत करेगा ।

11. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित/विहित दिशा निर्देशों, मानदंडों और शर्तों के संबंध में - - - - - - - - - - - - (सोसायटी/न्यास/मंडल/कालेज/संस्था आदि का नाम) द्वारा इनका अनुपालन न होने की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या इसके द्वारा अधिकृत संस्था या व्यक्ति किसी अन्य मददें पर विचार किए बगैर इसके अनुमोदन या मान्यता या अनुमति को वापस लेने के लिए कदम उठाने हेतु आजाद होंगे तथा यह कि इस प्रकार की वापसी से उत्पन्न सभी दायित्व संस्था/प्रबंधन के होंगे ।

12. यह कि प्रबंधन किसी भी वर्ष में या किसी भी बैच के लिए पाठ्यक्रम न तो बंद कर पाएगा और न ही बंद होने की अनुमति देगा और यह कि जहां ऐसा बाध्यकारी हो वहां यह वर्ष/बैच के पूरा होने पर पाठ्यक्रम बंद करने के लिए एन. सी. टी. ई. की सहमति प्राप्त करेगा ।

13. यह कि प्रबंधन प्रस्तावित संस्था/पाठ्यक्रम के प्रकार के संबंध में एन. सी. टी. ई. द्वारा अनुबंधित मानदंडों और शर्तों को देख लिया है, पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा ऐसा महसूस करता है कि ये पूरे होते हैं या निरीक्षण के समय इन्हें पूरा किया जा सकता है । ऐसा न होने पर यह कोई भी प्रतिकूल निर्णय स्वीकार करने के लिए तैयार होगा ।

14. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिए गए अनुमोदन के नाते कालेज/संस्था केन्द्र या राज्य सरकार से किसी भी वित्तीय अनुदान या सहायता अथवा एन. सी. टी. ई. से मदद का स्वतः दावेदार नहीं हो जाएगी ।

स्थान :

तारीख :

(वचन देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और उसका पदनाम एवं कार्यालय की मोहर)

गवाह : 1.

2.

परिशिष्ट-2 (क)

शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए
मानदंड एवं मानक
पूर्व-प्राथमिक

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
नई दिल्ली
1995

1 प्रस्तावना

पूर्व-प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (पी टी ई पी) तथा नर्सरी शिक्षक कार्यक्रम (एन टी ई पी) में बाल केन्द्रित कार्यकलाप, खेल आधारित, बच्चों की विकास-उन्मुख शिक्षा पर बल दिया जाता है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए बल के अनुरूप सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही दृष्टि से सुदृढ़ बनाया गया है । पूर्व-प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार करने तथा इनमें सुधार लाने की आवश्यकता है । कुछ ऐसे मानदंड एवं मानक तैयार करने की आवश्यकता है जिससे कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विविधता के भीतर युक्तिसंगत एकरूपता का सुनिश्चय हो । यहां मानदंड और मानक शिक्षक शिक्षा में किसी भी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की मान्यता, अनुमति तथा सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु अपेक्षित "शर्तों" से संबंधित ब्यौरों को विनिर्दिष्ट करते हैं । वैकल्पिक नाम वाले अन्य पूर्व-प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों पर भी ये मानदंड और मानक लागू किए जा सकते हैं ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

60

हमारे देश की प्रसंगाधीन वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर मानदंडों को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा 'न्यूनतम' को 'आवश्यक' के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है । 'वांछनीय' स्तरों का भी सुझाव दिया गया है जिसके प्रावधान से किसी भी पूर्व प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी । ये मानदंड और मानक आत्मनिर्भर पूर्व-प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं तथा ऐसी सभी संस्थाओं पर भी लागू होते हैं जो पहले से ही अन्य शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चला रही हैं ।]

2. पूर्व-प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए अपेक्षाएं

2.1 सामान्य: (सभी परवर्ती मदों के लिए सभी लागत/व्यय की गणना 1994 के मूल्य स्तर पर की जाएगी) ।

मद	80 छात्रों के लिए आवश्यक	160 छात्रों के लिए वांछनीय
छात्रों की दाखिला संख्या (1 एवं 11 वर्ष)	80 (40 प्रथम वर्ष+40 द्वितीय वर्ष)	160 (80 प्रथम वर्ष + 80 द्वितीय वर्ष) एक कक्षा में 40 छात्र होते हैं।
शिक्षण कर्मचारी	1 प्रधानाचार्य 8 लेक्चरार/पी० जी० टी० (पूर्ण कालिक)	1 प्रधानाचार्य 16 लेक्चरार/पी० जी० टी० (पूर्णकालिक)
	1 पुस्तकालय सहायक	1 पुस्तकालय सहायक
कर्मचारी छात्र अनुपात	1 : 10 (80 छात्रों के लिए)	1 : 10
जमीन का कुल क्षेत्रफल	5000 वर्ग मीटर	10, 000 वर्गमीटर
संस्था का फर्शी क्षेत्रफल	800 वर्ग मीटर	1600 वर्ग मीटर
प्रति छात्र फर्शी क्षेत्रफल	10 वर्ग मीटर	10 वर्ग मीटर
प्रशासनिक एवं अन्य कर्मचारियों की कुल संख्या	3	6

टिप्पणी :—संगीत और नृत्य, शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव, पुस्तकालय, आदि के लिए अंशकालिक/पूर्णकालिक टी० जी० टी० कर्मचारियों को लगाया जा सकता है । इन अंशकालिक स्टाफ सदस्यों को निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात की गणना के लिए नहीं गिना जा सकता है ।

2.2 अनावर्ती लागत

मद	आवश्यक (80 छात्रों के लिए)	वांछनीय (160 छात्रों के लिए)
सांस्थानिक भवन (छात्र वास एवं स्टाफ क्वार्टर रहित)	(80 × 3000 वर्ग मीटर) 24 लाख रु०	(160 × 3000 वर्ग मीटर) 48 लाख रु०
उपकरण एवं पुस्तकें	1 लाख रु०	2 लाख रु०
फर्नीचर (केवल संस्था के लिए)	1 लाख रु०	2 लाख रु०

आरक्षित निधि : संस्था एक लाख रु० की या राज्य के मानदण्ड के अनुसार निधि आरक्षित रखेगी ।

2.3 आवर्ती लागत

मद	80 छात्रों के लिए	160 छात्रों के लिए
वेतन	यू० जी० सी०/सरकार के मानदण्ड के अनुसार	यू० जी० सी०/सरकार के मानदण्ड के अनुसार
अन्य आवर्ती (सामान सहित) लागत	0.60 लाख*	1.6 लाख*
*एक वर्ष में प्रति छात्र अन्य आवर्ती लागत	750/- रु०	1000/-रु०

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

61

IndiaCode

3. स्थान एवं भवन संबंधी मानदंड

3.1 भूमि का क्षेत्रफल एवं अवस्थिति :

किसी भी पूर्व-प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्था के लिए न्यूनतम भूमि का निर्धारण संस्था के भवन और क्रीड़ा स्थल के लिए अपेक्षित जमीन के आधार पर किया जाता है । यह वांछनीय है कि स्टाफ के लिए क्वाटर तथा छात्रों के लिए छात्रावास का प्रावधान किया जाए । आमतौर पर कुर्सी क्षेत्र फर्शी क्षेत्रफल का 1.4 गुना हो सकता है ।

भूमि का क्षेत्रफल न्यूनतम : 5000 वर्ग मीटर

वांछनीय : 10,000 वर्ग मीटर

सांस्थानिक क्षेत्र अपेक्षाकृत शोरगुल से दूर एवं प्रदूषण मुक्त क्षेत्र में अवस्थित होना चाहिए । आने-जाने व संप्रेषण की अच्छी सुविधा होनी चाहिए तथा पानी, बिजली और शौचालय उपलब्ध होने चाहिए ।

3.2 सांस्थानिक क्षेत्र के मानदंड

सांस्थानिक भवन में सिद्धांत पढ़ाने के लिए कमरे, अंतः-शाला खेलों के लिए कमरे, सभागार, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कला कक्ष, संगीत कक्ष तथा कार्यशाला या कार्य अनुभव कक्ष होने चाहिए । एक अनुभव में सिद्धांत की कक्षाओं के लिए अधिकतम 60 प्रशिक्षणार्थी हो सकते हैं परन्तु यदि 40 ही प्रशिक्षणार्थी हों तो श्रेयस्कर होगा । संस्था से जुड़े एक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय का होना वांछनीय है ।

3.2.1 सिद्धांत पढ़ाने के लिए कमरा और सभागार-सह-सम्मेलन कक्ष :

एक सभागार-सह-व्याख्यान कक्ष, अतिरिक्त शिक्षण कक्ष और विशेष कार्य कक्ष होने चाहिए, जैसा कि नीचे सुझाया गया है :

मद	न्यूनतम (वर्ग मीटर)	वांछनीय (वर्ग मीटर)
सभागार	एक–100	एक–150
शिक्षण कक्ष	तीन–45	चार –60 प्रत्येक
कला एवं संगीत	एक–75	एक+एक –75 प्रत्येक
शैक्षिक प्रौद्योगिकी/ पुस्तकालय	एक–75 संगणक प्रयोग–शाला	एक+एक– 50+75
सामग्री उत्पादन कक्ष (विज्ञान/मनोविज्ञान)/ कार्य अनुभव खेल/	एक–75	एक–60
शारीरिक शिक्षा	एक–45	एक–60
बहुद्देशीय हाल (एक)	शून्य	एक–120

3.2.2 कार्यशाला-सह-विज्ञान प्रयोगशाला

कार्य अनुभव के लिए 75 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल का वर्कशाप आवश्यक है ।

3.2.3 कला कक्ष :

कला शिक्षा के लिए 75 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल का एक कमरा आवश्यक है ।

3.2.4 शैक्षिक प्रौद्योगिकी-सह-पुस्तकालय कक्ष :

छात्रों द्वारा व्यावहारिक कार्य के लिए 75 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल वाला एक ऐसा कमरा प्रयोग में लाया जाना चाहिए जिसमें श्रव्य-दृश्य एवं जन संचार उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों ।

संस्था में 50 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल का एक ऐसा अतिरिक्त कमरा भी वांछनीय होगा जिसमें अनुषंगी सामानों सहित एक वैयक्तिक संगणक हो ।

3.3 प्रशासनिक खंड के लिए कमरे

कमरा	आवश्यक (वर्ग मीटर)	वांछनीय (वर्ग मीटर)
प्रधानाचार्य कक्ष	20	25
शिक्षक विनोद कक्ष	40	75
कार्यालय कक्ष	20	30
भण्डार कक्ष	20	30

3.4 सुख-सुविधा के लिए भवन स्थान

छात्राओं के लिए न्यूनतम 50 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल वाला एक विनोद कक्ष का होना जरूरी है । छात्रों के लिए भी 50 वर्ग-मीटर फर्शी क्षेत्रफल वाला एक विनोद कक्ष का होना वांछनीय है। न्यूनतम 15 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल वाले तीन अलग-2 शौचालय का होना आवश्यक है जिसमें से एक महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए तथा अन्य पुरुष प्रशिक्षणार्थियों के लिए होगा। स्टाफ के लिए एक अतिरिक्त और अलग से शौचालय का होना वांछनीय है । कम से कम दो स्थानों पर पेयजल की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है जहां कार्य के घंटों के दौरान हर समय पेयजल उपलब्ध हो। इस प्रयोजनार्थ वाटर कूलर प्रदान करना वांछनीय है। प्रधानाचार्य कक्ष, स्टाफ कक्ष, विनोद कक्ष आदि में एक-2 डेजर्ट कूलर की व्यवस्था करना भी वांछनीय है।

3.5 आवासीय क्षेत्र के लिए भवन स्थान :

3.5.1 छात्रावास :

छात्राओं के लिए छात्रावास का होना आवश्यक है । यदि नगर-पालिका क्षेत्र से बाहर से पुरुष छात्र आते हों तो उनके लिए छात्रावास का होना जरूरी है। छात्रावासों में एक या दो छात्रों के रहने वाले कमरे होने चाहिए। छात्रावास के कमरों में प्रति छात्र 8 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल होना चाहिए, रसोई एवं डाइनिंग क्षेत्र-फल प्रति छात्र 1.5 वर्गमीटर तथा शौचालय व अन्य स्थान प्रति छात्र 0.5 वर्गमीटर के हिसाब से होना चाहिए। 30 छात्रों के लिए छात्रावास का फर्शी क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर हो सकता है ।

3.5.2 स्टाफ क्वार्टर :

वांछनीय प्रधानाचार्य के आवास को छोड़कर कम से कम 50% शिक्षण कर्मचारियों को क्वार्टर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऐसे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी परिसर के पास क्वार्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिनकी सेवाओं की जरूरत अनियत समय पर पड़ती हो । ऐसे क्षेत्रों में, जहां किराए पर प्राइवेट मकान दुर्लभ, हों वहां सभी कर्मचारियों को क्वार्टर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

62

3.5.2.1 स्टाफ क्वार्टरों के क्षेत्रफल संबंधी मानदंड

शैक्षिक कर्मचारियों के लिए कमरे	आवश्यक (वर्ग मीटर)	वांछनीय (वर्ग मीटर)
प्रधानाचार्य	100	120
लेक्चरार/पी०जी० टी०	85	120
यू० डी० टी०	70	100
प्रशासनिक स्टाफ	60	85
मददगार	45	70

3.6 क्रीड़ा स्थल :

आवश्यक : संस्था के पास कम से कम 50% छात्रों को वाह्य-शाला खेलों में सक्रिय रूप से लगाने के लिए खेल के मैदान होने चाहिए। बालीबाल, बास्केट बाल, बैडमिंटन, खो-खो, कबड्डी तथा अन्य भारतीय खेलों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। क्रीड़ा स्थलों तथा शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों के लिए न्यूनतम 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

वांछनीय : फुटबाल, क्रिकेट, हाकी के लिए क्रीड़ा स्थल तथा खेल-कूद पट्टी का होना वांछनीय है । इस प्रयोजनार्थ न्यूनतम 10,000 वर्गमीटर जगह की आवश्यकता होगी।

4. उपकरण, पुस्तकें और फर्नीचर संबंधी मानदंड

4.1 मनोविज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपकरण :

आवश्यक : संवेदी मोटर परीक्षण, बुद्धिपरीक्षण मौखिक और गैरमौखिक दोनों ही। संज्ञानात्मक क्षमता और वेधन परीक्षणों के लिए साधन प्राप्त किए जाने चाहिए।

वांछनीय : छात्रों द्वारा उपयोग, अंक प्राप्ति और निर्वचन के लिए ऊपर उल्लिखित परीक्षणों के लिए अनेक सेट प्राप्त किए जा सकते हैं।

4.2 शैक्षिक प्रौद्योगिक के लिए उपकरण :

आवश्यक : टी. वी., श्रव्य कैसेट रिकार्डर-1, 16 एम एम और 35 एम एम के प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर-1, खाली श्रव्य कैसेट-20, चार्ट, माडल आदि बनाने के लिए सामान ।

वांछनीय : अनुषंगी सामानों सहित वी सी आर और कम्प्यूटर। स्लाइड/फिल्म प्रोजेक्टर।

4.3 वर्कशाप और कार्य अनुभव के लिए उपकरण :

आवश्यक : लकड़ी की काम करने के लिए औजारों का एक सैट, माली द्वारा प्रयोग में लेने वाले औजारों का एक सेट, कार्य अनुभव से संबंधित कार्यकलापों के लिए अपेक्षित उपकरण, कार्य अनुभव से संबंधित कार्यकलापों में, सिलाई, गुड़िया बनाना, खिलौने बनाना, जिल्दसाजी, ड्रेस डिजाइनिंग आदि शामिल हो सकते हैं ।

वांछनीय : हाथ के औजारों, सिलाई मशीन टंकण मशीन आदि के अनेक सैट ।

4.4 कला कक्ष के लिए उपकरण :

आवश्यक : आर्ट पेपर, बोर्ड, ब्रुश, रंग, आदि ।

वांछनीय : विभिन्न प्रकार की पेंटिंग जैसे निब पेंटिंग, स्क्रीन पेंटिंग, फेब्रिक, आयल पेंटिंग आदि के लिए सामग्री ।

4.5 संगीत कक्ष के लिए उपकरण :

आवश्यक : संगीत के साधारण यंत्र यथा हारमोनियम, तबला, ढोलक, बांसुरी, मंजीरा, अन्य देशी वाद्ययंत्र, आदि ।

वांछनीय : सितार, तानपुरा, गिटार, जलतरंग एवं बंगो, आदि ।

4.6 क्रीड़ा एवं खेलकूद के लिए उपकरण :

आवश्यक : वाह्यशाला खेलों के लिए क्रीड़ा एवं खेलकूद संबंधी पर्याप्त उपकरण उपलब्ध होने चाहिए ।

वांछनीय : खेल-कूद और शरीर निर्माण संबंधी सामानों का एक से अधिक सैट ।

4.7 पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं :

आवश्यक : संस्था के स्थापित होने के प्रथम वर्ष के दौरान संबंधित विषयों की कम से कम 1000 पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए तथा प्रत्येक वर्ष इसमें कम से कम 50 मानक पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए । पुस्तकों के संग्रह में बाल विश्वकोश, शब्द-कोश, संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा संबंधी पुस्तकें, अध्यापक हैंडबुक, बच्चों पर तथा बच्चों के लिए पुस्तकें (कामिक्स, कहानी तस्वीर पुस्तकें/एलबम कविता) शामिल होने चाहिए । संस्था को कम से कम तीन पत्रिकाएं मंगानी चाहिए जिनमें से कम से कम एक व्यावसायिक शिक्षा की होनी चाहिए ।

वांछनीय : संस्था के पास शुरू-2 में पुस्तकों के 2000 खण्ड होने चाहिए तथा प्रत्येक वर्ष इसमें 75 पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए । इसे कम से कम पांच पत्रिकाएं मंगाना चाहिए जिनमें से कम से कम दो व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित होनी चाहिए ।

4.8 फर्नीचर संबंधी मानदण्ड :

संस्था के भवन के प्रत्येक कमरे में पर्याप्त एवं उपयुक्त फर्नीचर होने चाहिए । विभिन्न कमरों के लिए फर्नीचर संबंधी मानदण्ड निम्नानुसार है :—

कमरा	80 छात्रों के लिए आवश्यक	80 छात्रों के लिए वांछनीय
1	2	3
1. शिक्षण कक्ष	प्रत्येक शिक्षण कक्ष में छात्र डेस्क—40 अध्यापक कुर्सी—1 अध्यापक मेज—1 2.5 मी० × 1 मी० का श्यामपट्ट—1	आवश्यक की तरह ही

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

63

1	2	3
2. हाल-सह-सेमिनार	6 मी० लम्बा 3 मी० चौड़ा तथा 1 मीटर ऊंचा मंच--01 छात्र कुर्सी-160 (80 छात्रों के लिए तथा 80 अतिथियों के लिए) अध्यापक कुर्सी--20	आवश्यक की तरह ही तथा 100 अतिरिक्त कुर्सी 40
3. वर्कशाप	1.25 मी० लम्बी, 2 मी० चौड़ी तथा 0.75 मी० ऊंची कार्य बेंचें : प्रत्येक वर्कशाप के लिए 5 0.6 मी० ऊंचे स्टूल --20 अध्यापक मेज--1 अध्यापक कुर्सी--1 आलमारी (अधिमानतः स्टील की)--1	डब्ल्यू० बी०/टी०=8 आवश्यक की तरह ही स्टील आलमारी--2
4. पुस्तकालय पुस्तक शेल्फ मेज- कुर्सी	1000 पुस्तकों के लिए पर्याप्त बाचनालय की क्षमता के अनुसार प्रत्येक पाठक के लिए मेज- कुर्सी का एक-एक सेट।	2000 पुस्तकों के लिए पर्याप्त आवश्यक की तरह ही
पत्रिका रैक	एक	दो
ग्रंथ सूची पेटिका	1500-1500 कार्ड रखने के लिए चार कार्ड ट्रे	3000-3000 कार्ड रखने के लिए चार कार्ड ट्रे
पुस्तक ग्रंथाध्यक्ष के लिए फर्नीचर	एक काम करने की मेज दो कुर्सी एक फाईलिंग पेटिका	एक अतिरिक्त मेज चार कुर्सी दो फाईलिंग पेटिका
सूचना पट्ट बुलेटिन बोर्ड	एक दो	एक चार
5. कला कक्ष मेज	एक मेज शिक्षक के लिए छात्रों के लिए 1.25 मी०×0.9 मी० के चार मेज	
कुर्सी स्टूल	प्रत्येक कला शिक्षक के लिए एक-एक छात्रों के लिए 20	+2 +10
6. संगीत कक्ष	कमरे के आकार की एक दरी नारियल की एक चटाई अपेक्षानुसार वाद्ययंत्रों के लिए ढके हुए रैक	आवश्यक की तरह ही
7. मनोविज्ञान प्रयोगशाला	एक मेज एक कुर्सी 20 छात्रों के लिए स्टूल एवं मेज एक आलमारी चार मेज (1.25×0.9 मी०)	दो-दो 1.25 मी×0.9 मी० के 6 मेज
8. प्रधानाचार्य कक्ष मेज	एक मेज	एक

IndiaCode

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

1	2	3
कुर्सी	पांच कुर्सी	पांच
स्टील आलमारी	एक स्टील आलमारी	एक
पुस्तक रैक	एक पुस्तक रैक	एक
फाइलिंग कैबिनेट	एक फाइलिंग कैबिनेट	एक
9. अध्यापक विनोद कमरा		आवश्यक की तरह ही
मेज	प्रत्येक शिक्षक के लिए एक–एक	
कुर्सी	प्रत्येक शिक्षक के लिए एक– एक	
10. कार्यालय कक्ष		
कुर्सी	प्रत्येक स्टाफ सदस्य के लिए एक–2	
मेज	प्रत्येक स्टाफ सदस्य के लिए एक–2	
स्टील आलमारी	एक	दो
फाइलिंग कैबिनेट	एक	एक
फाइलिंग रैक	दो	चार
सूचना पट्ट	दो	दो
स्टूल	प्रत्येक मददगार के लिए एक–2	प्रत्येक मददगार के लिए एक– 2
11. भंडार कक्ष		
स्टील आलमारी	एक	एक
भण्डारण रैक	तीन	तीन
12. छात्र विनोद कक्ष	प्रत्येक विनोद कक्ष के लिए	प्रत्येक विनोद कक्ष के लिए
कुर्सी	20	20
लम्बे मेज	20 कुर्सियों के लिए पर्याप्त	20 कुर्सियों के लिए पर्याप्त

5. स्टाफ संबंधी मानदण्ड :

5.1 शिक्षण स्टाफ :

शिक्षक छात्र अनुपात 1 : 10 है । प्रधानाचार्य भी शिक्षक हैं, 60 छात्रों के लिए अपेक्षित शिक्षण स्टाफ—प्रधानाचार्य और 5 शिक्षक तथा 90 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कम से कम 1 + 6 होनी चाहिए । प्रधानाचार्य और शिक्षकों का रैंक व योग्यता निम्नानुसार होगी :—

पदनाम	आवश्यक	वांछनीय
प्रधानाचार्या* (1)	एम० एड० या एम० एससी० गृह विज्ञान (सी० डी०) तथा 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव+ई० सी० सी० ई० विशेषज्ञता	एम० एड०, एम० एससी० गृह विज्ञान (सी० डी०) पी० टी० ई० पी०/प्रारम्भिक में तथा किसी भी विषय में निष्णात डिग्री या शिक्षा में पी० एच० डी० साथ में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव।
स्नातकोत्तर शिक्षक/ लेक्चरार (4) पूर्णकालिक	एम० एड०/एम० ए० शिक्षा साथ में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव (भाषा/संगीत/एम० एस० डब्ल्यू०/ मनोविज्ञान/विज्ञान)	एम० एड०/एम० ए० शिक्षा एम० एससी० गृह विज्ञान (सी० डी०) शिक्षण अनुभव गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर+बी० एड०+ई० सी० सी०ई०विशेषज्ञता साथ में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव (5)
टी० जी० टी०/पी० जी० टी० (3) पूर्णकालिक	कला/शिल्प/संगीत/शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, सम्बन्धित क्षेत्र/प्रशिक्षण अनुभव	एम० ए० ड्राइंग साथ में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव और सम्बन्धित क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा साथ में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव
		शैक्षिक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ साथ में सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर (1)

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

65

पुस्तकालयाध्यक्ष (1)	पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र/ डिप्लोमा	एम० लिब एम० सी० साथ में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।

टिप्पणी :—सभी शिक्षकों के पास पी० टी० ई० पी० में उपयुक्त विशेषता तथा प्रारम्भिक शिशु शिक्षा में अनुभव होना चाहिए। सभी सामान्य/बुनियादी शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक नियमित आधार पर विधिवत गठित चयन समिति द्वारा चयन के बाद होनी चाहिए। विशेषज्ञ अंशकालिक आधार पर काम कर सकते हैं। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की संस्थाओं में पी० जी० टी०/टी० जी० टी० के सम तुल्य पदों के समान ही इनका भी वेतनमान होना चाहिए।

5.2 प्रशासनिक स्टाफ :

क्र० सं०	पदनाम	आवश्यक	वांछनीय
1.	कार्यालय अधीक्षक	1	1
2.	उच्च श्रेणी लिपिक	1	2
3.	अपर श्रेणी लिपिक /टंकक	1	2
4.	मददगार	2	2
5.	तकनीशियन/ प्रयोगशाला/ सहायक/भण्डार पालक	1	11

इनका वेतन केन्द्र/राज्य सरकार की संस्थाओं के मानदंडों के अनुसार होगा।

6. आवर्ती खर्च के लिए मानदंड

सभी आवश्यक आवर्ती खर्च के लिए संस्था के वार्षिक बजट में पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए। आवर्ती खर्च संबंधी मानदंड निम्नानुसार है :

क	वेतन,	भत्ता व लाभ समेत सभी कर्मचारियों के वेतन का जोड़
	यू० जी० सी०/ सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान एवं अन्य लाभ	यू० जी० सी०/सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान एवं अन्य लाभ

ख	मदें	खर्च/छात्र/वर्ष (रु०)	
		आवश्यक	वांछनीय
	विज्ञान कार्यकलाप	40	50
	शिक्षा/मनोविज्ञान एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी	50	60
	कला, संगीत एवं कार्य-अनुभव	150	200
	खेलकूद	50	60
	आकस्मिक खर्च	10	30

छात्रों की संख्या के आधार पर आवर्ती व्यय की लागत संस्था के लिए आकलित की जा सकती है।

7. दाखिला कसौटी तथा शुल्क संबंधी मानदंड

7.1 दाखिला : पात्रता

आवश्यक—पी टी ई पी में दाखिला के लिए न्यूनतम योग्यता 45% अंक सहित उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (10+2)

वांछनीय— स्नातक

7.2 चयन प्रक्रिया—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त एजेंसी द्वारा संचालित चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के जरिए निर्धारित योग्यताक्रम के आधार पर छात्रों का चयन किया जाना चाहिए।

7.3 शुल्क ढांचा छात्रवृत्ति :

आवश्यक—शुल्क ढांचा वैसा होना चाहिए जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णीत किया जाए। किसी भी स्थिति में छात्रों से वसूल किया जाने वाला कुल शुल्क तथा अन्य प्रभार संस्था के प्रति छात्र आवर्ती व्यय से अधिक नहीं होना चाहिए।

वांछनीय—उत्कृष्ट निर्धन छात्रों के लिए पर्याप्त शुल्क मुक्ति का प्रावधान किया जा सकता है। पूर्णतः योग्यता के आधार पर पर्याप्त छात्रवृत्तियां प्रदान की जा सकती है।

8.0 पाठ्यचर्या संपादन संबंधी मानदंड :

8.1 कार्य दिवस तथा काम के घंटे—प्रतिवर्ष कार्य दिवसों की कुल संख्या=220 जिसका वितरण निम्नानुसार है :

सभी दाखिला संपन्न करने के लिए	10 कार्य दिवस (संस्था के पुनः खुलने के बाद)
शिक्षण दिवसों की संख्या	160 कार्य दिवस (संस्था के पुनः खुलने के बाद)
स्कूलों में पर्यवेक्षित अभ्यास शिक्षण	30 कार्य दिवस (संस्था के पुनः खुलने के बाद)
परीक्षा के दिन	10 कार्य दिवस (संस्था के पुनः खुलने के बाद)

एक दिन में निर्धारित कार्य (अध्ययन—अध्यापन तथा इससे जुड़े सभी प्रकार के कार्यकलाप और खेलकूद समेत) के 6 घंटे तथा एक सप्ताह में 30 घंटे हो सकते हैं।

8.2 अभ्यास शिक्षण सहित व्यावहारिक कार्य संबंधी मानदंड प्रत्येक छात्र द्वारा पूरे किए जाने चाहिए। प्रत्येक छात्र को

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

India Code

पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में निम्नलिखित व्यावहारिक कार्य करना चाहिए :

शिक्षण सहायक सामग्री तथा कार्यकलाप	30 आइटम
सामग्री तैयार करना	यथा उपलब्ध
श्रव्य-दृश्य उपकरणों का संचालन	
प्रदर्शन पाठ/आलोचना पाठ	2
पूर्व प्राथमिक विद्यालय सत्रों का अवलोकन	
संचालित होने वाले पाठों/सत्र की कुल संख्या (भाषा/गणित/कला/संगीत/खेलकूद/भ्रमण या पिकनिक/शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा	45
संग्रह एलबम आदि	10 आइटम
कार्य, अनुभव	10 आइटम

8.3 पर्यवेक्षित अभ्यास शिक्षण :

किसी भी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा के एक ही अनुभाग में अधिक से अधिक दो छात्रों को लगाया जाना चाहिए। एक छात्र को प्रतिदिन दो कक्षाएं लेनी चाहिए तथा अन्य शिक्षकों के दो सत्रों का अवलोकन करना चाहिए । सभी सत्रों का संस्था के शिक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए तथा पर्यवेक्षण के निष्कर्ष से छात्रों को अवगत कराया जाना चाहिए । हर छात्र को तीनों विषय क्षेत्रों में 10–10 पाठ पढ़ाना चाहिए तथा अन्य क्षेत्रों (जिसमें संगठित नाटक, स्वतंत्र नाटक, सामाजिक कार्य, मूल्यांकन सत्र, खोज यात्रा, निर्माण कार्य आदि शामिल है) में 2 से 4 सत्रों की व्यवस्था करनी चाहिए । स्थाई सुधार लाने और क्षमताओं को मूर्त रूप देने वाले व्यावहारिक कार्यकलापों तथा अनवरत मार्गदर्शन की मात्रा तथा रेंज में लगभग 20 से 25% वृद्धि की जानी चाहिए । व्यक्तिगत गुणों, संबंधों, तथा आपसी बातचीत, बच्चों के साथ विशेष पहचान एवं संबंध तथा अन्य व्यवहार पर विधिवत बल दिया जाना चाहिए :

परिशिष्ट-2 (ख)

शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के

लिए

मानदंड एवं मानक

प्रारंभिक

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

नई दिल्ली

1995

प्राक्कथन

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ऐसे सभी कदम उठाने के सांविधिक अधिकार से संपन्न है जो अध्यापक शिक्षा के योजनाबद्ध तथा समन्वित विकास को सुनिश्चित करने और अध्यापक शिक्षा के स्तरों को सुनिश्चित करने तथा बनाए रखने के लिए उचित समझती है जिनमें स्कूल शिक्षा के प्राथमिक पूर्व, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर तैयार करना शामिल है । स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापक तथा अध्यापक प्रशिक्षक तैयार करने के वास्ते अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के लिए मानदंडों एवं स्तरों को बनाना विभिन्न कारणों से आवश्यक है । ये मानदंड अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करने, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के साथ इन संस्थाओं में किए गए प्रावधानों की तुलना में करने और यदि कोई कमियां हैं तो उनको ठीक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में मौजूदा संस्थाओं के लिए सहायक होंगे । ये मानदंड नई संस्थाओं के उचित आयोजन, अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमों में भी सहायक होंगे ।

यहां पर इन मानदंडों और मानकों में मान्यता, अनुमति और किसी पाठ्यक्रम अथवा अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए सीटों की अतिरिक्त क्षमता के लिए अपेक्षित शर्तों के ब्यौरों को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

इस दस्तावेज में द्विवर्षीय पूर्णकालिक प्रत्यक्षतः शिक्षा प्रदान करने वाली प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मानदंडों एवं मानकों को विनिर्दिष्ट किया गया है । ये मानदंड निम्नलिखित दो श्रेणियों में दिए हैं :

(1) अनिवार्य मानदंड वे हैं जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की मान्यता अनुमति के लिए पात्र बनने के लिए सभी संस्थाओं द्वारा पूरे किए जाने चाहिएं।

(2) वांछनीय मानदंड वे हैं जो अनिवार्य मानदंड की सीमा से बाहर हैं और अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में योगदान देते हैं । अपेक्षा की जाती है कि संस्थाएं वांछनीय मानदंडों को धीरे-धीरे पूरा कर लेंगी और अपने पाठ्यक्रमों तथा प्रशिक्षण की मान्यता अनुमति के लिए पात्र होंगी ।

अपेक्षा की जाती है कि इस दस्तावेज को उपयोग अध्यापक शिक्षा के आयोजकों और प्रशासकों और सरकारी तथा अध्यापक शिक्षा के स्वायत्त तथा निजी प्रबंधकों द्वारा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों की योजना बनाने, आयोजित करने तथा मान्यता प्रदान करने में किया जाएगा । राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्थाओं की व्यावसायिक मान्यता के लिए इन मानदंडों का उपयोग कर रही है । इन मानदंडों का उपयोग मौजूदा कार्यक्रमों तथा संस्थाओं में सुधार लाने के लिए उपर्युक्त कार्रवाई करने हेतु सरकारी, स्वायत्त तथा निजी प्रबंधनों को परामर्श देने के लिए भी किया जाएगा ।

1.0 प्रस्तावना

1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा में दो पहलुओं पर अधिक जोर दिया गया है ।

(1) 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन उन सभी की पढ़ाई जारी रखना और (2) शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार । प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बहुत हद तक अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, इस प्रयोजनार्थ नीति संबंधी दस्तावेजों में प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। जैसे ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हो जाते हैं त्योंही निम्न स्तर की अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का या तो स्तरोन्नयन किया जाएगा या चरणबद्ध रूप में बंद कर दी जाएगी ।

1.2 दिसम्बर, 1993 में संसद के 1993 के अधिनियम सं. 73 के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी और देश भर में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनाबद्ध तथा समन्वित विकास करने, विनियम, तथा अध्यापक

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

शिक्षण प्रणाली में मानदंडों तथा स्तरों के उचित रख-रखाव तथा इससे संबद्ध मामलों के लिए सांविधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं । अधिनियम में यथा सूचीबद्ध मानदंडों को बनाए रखने के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कुछ कार्य निम्नलिखित हैं :—

— अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण की किसी उल्लिखित श्रेणी के लिए मानदंड निर्धारित करना जिसमें उनमें दाखिले के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड, उम्मीदवारों के चयन की पद्धति, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम की विषय सामग्री, पाठ्यचर्या की पद्धति शामिल है ।

— नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन के लिए तथा भौतिक एवं शिक्षा सुविधाओं, स्टाफ संबंधी पैटर्न तथा स्टाफ संबंधी योग्यताओं के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करना ।

— मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले ट्यूशन शुल्क और अन्य शुल्क के संबंध में मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करना ।

— परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों, मार्गदर्शी रूपरेखाओं तथा मानकों के कार्यान्वयन की समय-समय पर जांच करना तथा समीक्षा करना और मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उपयुक्त परामर्श देना ।

— मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर उत्तरदायित्व डालने के लिए उपर्युक्त कार्य मूल्यांकन पद्धतियां, मानदंड और तंत्र विकसित करना ।

— अध्यापक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना ।

1.3 इन दायित्वों को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा कार्यक्रमों के लिए मानदंड तथा मानकों के नाम से शर्तें निर्धारित की हैं । इस दस्तावेज में, प्रारंभिक स्कूलों के लिए अध्यापक तैयार करने के लिए द्विवर्षीय नियमित शैक्षणिक कार्यक्रमों हेतु मानदंड तथा मानक दिए गए हैं । अब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के लिए द्विवर्षीय पाठ्यक्रम की सिफारिश अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या ढांचे में की थी । कुछ राज्यों में, प्रारंभिक स्कूल शिक्षक तैयार करने के लिए एक वर्षीय नियमित संस्थागत कार्यक्रम हैं । राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ऐसे संस्थागत कार्यक्रमों के संबंध में अलग से निर्णय लेगा ।

1.4 ये मानदंड दो स्तरों के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं :—

(1) आवश्यक मानदंड जो कि न्यूनतम हैं । वे इस प्रकार हैं कि सभी संस्थाएं उन्हें अपनी संस्थाओं की सांविधिक मान्यता/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा पाठ्यक्रमों की अनुमति के लिए पात्र होने के लिए पूरा करेंगी । (2) वांछनीय मानक जिनको संस्थाएं उचित अल्प अवधि में प्राप्त करने का प्रयास करेंगी । राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा संस्थाओं के कार्यक्रमों की मान्यता, बहुत हद तक, आवश्यक मानदंडों को पूरा करने और अन्य कार्य संबंधी मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर होगी ।

1.5 प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के लिए किसी संस्था की न्यूनतम व्यवहार्य दाखिला क्षमता 100 होगी । चूंकि यह एक द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है प्रथम वर्ष में कम से कम 50 छात्र होंगे तथा द्वितीय वर्ष में भी कम से कम 50 छात्र होंगे इस प्रकार कुल 100 छात्र होंगे । मानदंडों में यथा निर्धारित न्यूनतम शिक्षण स्टाफ, अन्य स्टाफ और शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान इस दाखिला क्षमता के लिए किया जाना चाहिए । यदि संस्था में छात्रों की संख्या बढ़ जाती है तो उसी अनुपात में स्टाफ और शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए ।

2. प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्था की अपेक्षाएं :

(सभी मदों का वित्तीय अनुमान 1994 की कीमत लागत से तैयार किया जाता है)

2.1 सामान्य

मद	न्यूनतम क्षमता	वांछनीय क्षमता
1	2	3
प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में न्यूनतम दाखिला क्षमता	50+50=100*	100+100=200
शिक्षण स्टाफ	1 प्रधानाचार्य+8 अध्यापक	1 प्रधानाचार्य+19 अध्यापक
स्टाफ–छात्र अनुपात	1 : 12	1 : 10
कुल भूमि का क्षेत्रफल	5000 वर्ग मीटर	15000 वर्ग मीटर
संस्था के फर्शी क्षेत्र (जिसमें छात्रावास एवं स्टाफ क्वार्टर शामिल नहीं है)	1000 वर्ग मीटर	1500 वर्ग मीटर
प्रति छात्र फर्शी क्षेत्र	10 वर्ग मीटर	10 वर्ग मीटर
प्रशासनिक और अन्य स्टाफ की संख्या	3	6

* (उन क्षेत्रों में जहां पर प्रशिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता है परंतु क्षेत्र में कार्य शिक्षण के लिए स्कूलों की संख्या काफी है)

4—479 GI/95

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

2.2 अनावर्ती लागतें

मद	न्यूनतम (100 छात्रों के लिए)	वांछनीय (200 छात्रों के लिए)
संस्था भवन (इसमें छात्रावास तथा स्टाफ क्वार्टर शामिल नहीं है)	30 लाख (1000 वर्ग मीटर ×3000 रु०)	45 लाख 1500 वर्ग मीटर×3000 रु०
उपस्कर	1 लाख	1.5 लाख
फर्नीचर (केवल संस्था के लिए	0.50 लाख	0.75 लाख
कोई अन्य	—	

इसके अलावा निजी प्रबंध के अधीन संस्थाओं की कम से कम 5 लाख रुपये की एक अक्षय निधि होनी चाहिए और आरक्षित निधि में सभी कर्मचारियों का तीन माह का वेतन (1.5 लाख) रु. होना चाहिए।

2.3 आवर्ती लागतें
(लागत 1994 के कीमत स्तरों के अनुसार तैयार की जाएगी)

मद	50+50- छात्रों के लिए	100+100 छात्रों के लिए
वेतन	वि० अ० आ०/राज्य/केन्द्र	सरकार के मानदंडों के अनुसार
अन्य आवर्ती लागतें	100 छात्रों के लिए 0.3 लाख	200 छात्रों के लिए 0.8 लाख
प्रति छात्र के हिसाब से अन्य आवर्ती लागतें	300 रु० प्रति छात्र प्रति वर्ष	400 रु० प्रति छात्र प्रति वर्ष

3.0 जगह तथा भवन के लिए मानदंड

3.1 भूमि, क्षेत्र तथा स्थान :

किसी प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्था के लिए अपेक्षित न्यूनतम आवश्यक स्थान, प्रशासनिक खंड, शैक्षिक खंड तथा खेल का मैदान है। प्रधानचार्य के लिए एक क्वार्टर की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

छात्र तथा छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावासों की व्यवस्था करना वांछनीय होगा जिसमें लगभग 50% छात्रों, स्टाफ क्वार्टरों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रावास विशेष रूप से बाहर से आने वाले छात्रों के लिए जरूरी है।

भूमि का क्षेत्र, (आवश्यक)—5000 वर्ग मीटर, (वांछनीय) —10000 वर्ग मीटर

संस्था अपेक्षाकृत शोरगुल से दूर तथा प्रदूषण रहित क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए जहां पर पीने के पानी तथा विद्युत की उचित आपूर्ति हो। संस्था का निकटस्थ नगर में आने-जाने तथा संचार की सुविधाएं अच्छी तरह की होनी चाहिए।

3.2 शैक्षिक क्षेत्र के मानदंड

संस्थागत भवन में कक्षाओं हेतु कमरे, सभा कक्ष, पुस्तकालय, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रयोगशाला, कार्य अनुभव के लिए कार्यशाला, कला एवं संगीत कक्ष, नाटक एवं क्रीडा कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। निम्नलिखित मानदंड प्रत्येक श्रेणी के लिए वांछनीय है।

3.2.1 शिक्षण कक्ष तथा सभा कक्ष

60 वर्ग मीटर के कम से कम तीन शिक्षण कक्ष होने चाहिए। चार शिक्षण कक्षों का होना वांछनीय है। प्रथम और द्वितीय वर्ष की कक्षाओं के लिए दो अलग अलग कमरों की जरूरत होगी ताकि साथ-साथ दो कक्षाएं आयोजित की जा सकें।

सभा कक्ष का फर्शी क्षेत्रफल कम से कम 100 वर्ग मीटर का होना चाहिए परंतु 150 वर्ग मीटर को तरजीह देनी चाहिए। बैठकों का आयोजन, शिक्षण प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि जैसे अनेक प्रयोजनों के लिए हाल का उपयोग किया जा सकता है।

3.2.2 पुस्तकालय-व-अध्ययन कक्ष

पुस्तकालय-व-अध्ययन कक्ष का फर्शी क्षेत्रफल कम से कम 100 वर्ग मीटर होना चाहिए लेकिन यह बेहतर होगा कि यह 150 वर्ग मीटर का हो। इसके 25 वर्ग मीटर का उपयोग पुस्तकें रखने के लिए किया जाना चाहिए और शेष स्थान का उपयोग छात्रों के अध्ययन के लिए किया जाना चाहिए। पुस्तकें बाहर निकालने की व्यवस्था के साथ ओपन शेल्फ सिस्टम का प्रयोग किया जाना चाहिए।

3.2.3 प्रयोगशालाएं

प्रारंभिक स्तर के लिए पाठ्यचर्या सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। यह अपेक्षा की जाती है कि सभी प्रशिक्षार्थी सभी प्रयोगशालाओं में समुचित प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। कम से कम एक संयुक्त प्रयोगशाला होनी चाहिए। जिसमें विज्ञान (पर्यावरण संबंधी अध्ययन) मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए 75 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्रफल हो जिसके 25 वर्ग मीटर क्षेत्र का उपयोग उपकरण और उपस्कर रखने के लिए करना चाहिए और शेष स्थान का उपयोग 16 से 20 के ग्रुपों में छात्रों के प्रयोगात्मक कार्य के लिए किया जाना चाहिए। दो प्रयोगशालाओं—एक विज्ञान तथा मनोविज्ञान और दूसरी शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए होना वांछनीय है। प्रत्येक प्रयोगशाला का क्षेत्र 75 वर्ग मीटर का होना चाहिए।

3.2.4 कार्यशाला

75 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाली एक कार्यशाला का होना कार्य अनुभव के लिए अनिवार्यतः अपेक्षित होगा।

3.2.5 कला एवं संगीत कक्ष

60 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल का एक कक्ष कला शिक्षा के लिए आवश्यक है।

3.2.6 क्रीडा कक्ष

50 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला एक कक्ष, व्यायाम शिक्षा एवं खेलों के लिए उपस्करों एवं सामग्रियों के भंडारण हेतु आवश्यक है।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सी दिल्ली—54

69

IndiaCode

3.3 प्रशासनिक खंड के लिए जगह बनाना

प्रत्येक प्रशासनिक खंड में निम्नलिखित कक्ष होने चाहिएं :

कक्षा	फर्श क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) आवश्यक	बांछनीय
प्रधानाचार्य कक्ष	30	50
शिक्षकों का सामान्य कक्ष	60	75
कार्यालय कक्ष	50	75
भंडारण कक्ष	50	75

3.4 अन्य सुविधाओं के लिए जगह की व्यवस्था करना

छात्राओं के लिए एक सामान्य कक्ष आवश्यक है जिसका क्षेत्रफल कम से कम 50 वर्ग मीटर हो । पुरुषों के लिए एक सामान्य कक्ष वांछनीय है । जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर हो ।

छात्रों तथा छात्राओं के लिए दो अलग-अलग शौचालयों का होना आवश्यक है । प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों के लिए एक अलग शौचालय का होना वांछनीय है । प्रत्येक शौचालय का फर्शी क्षेत्रफल कम से कम 25 वर्ग मीटर होना चाहिए और एक ही समय में पांच व्यक्ति उसका उपयोग कर सकें । दो स्थानों पर पीने के पानी (अधिमानत: जल प्रशीतक) की सुविधाएं होनी चाहिएं ।

3.5 आवासीय क्षेत्र के लिए जगह की व्यवस्था करना

3.5.1 छात्रावास

सभी छात्राओं के लिए एक छात्रावास का होना आवश्यक है । यदि छात्र संस्था के नगर क्षेत्र से बाहर से आते हैं तो उनके लिए एक छात्रावास होना आवश्यक है । छात्रावास में एक सीट वाले अथवा दो सीट वाले कक्ष होने चाहिए । कमरे का फर्शी क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर का होना चाहिए, रसोई तथा भोजन स्थान हेतु क्षेत्रफल प्रति छात्र 1.5 वर्ग मीटर होना चाहिए और 0.5 वर्ग मीटर का अन्य स्थान प्रत्येक छात्र के उपयोग के लिए होना चाहिए । इस प्रकार छात्रावास में प्रति छात्र 10 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्रफल होना चाहिए । 100 छात्रों के लिए छात्रावास का फर्शी क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा ।

3.5.2 स्टाफ क्वार्टर

आवश्यक :—प्रधानाचार्य क्वार्टर की व्यवस्था परिसर के भीतर अथवा संस्था के परिसर के बहुत नजदीक होनी चाहिए । उन क्षेत्रों में जहां पर निजी किराए के मकानों की कमी है वहां पर क्वार्टरों की व्यवस्था सभी स्टाफ के सभी सदस्यों के लिए होनी चाहिए ।

स्टाफ क्वार्टरों के लिए फर्शी क्षेत्रफल संबंधी मानदण्ड

शैक्षिक स्टाफ के लिए कक्ष	स्टाफ क्वार्टरों के लिए क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
प्रधानाचार्य	120
लेक्चरार	85
जूनियर लेक्चरार	70
प्रशासनिक स्टाफ	60
मददगार	45

3.6 क्रीडा स्थल

आवश्यक :—संस्था के पास एक खेलकूद का मैदान होना चाहिए जिसमें एक ही समय में कम से कम 50% छात्र खेलकूद में भाग ले सकें । हाकी, फुटबाल, वालीबाल, बास्केटबाल, बैडमिन्टन, खो-खो, कबड्डी जैसे आउटडोर खेलों और अन्य भारतीय खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए । खेलकूद के मैदान तथा व्यायाम शिक्षा के लिए कम से कम 1000 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए ।

वांछनीय :—क्रिकेट तथा व्यायाम मार्ग के लिए क्रीडांगन का होना वांछनीय है । इस प्रयोजनार्थ कम से कम 10000 मीटर जगह की जरूरत पड़ेगी ।

4.0 उपस्कर, पुस्तक तथा फर्नीचर के लिए मानदण्ड

4.1 विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपस्कर

आवश्यक :—संस्था के पास प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल की कक्षाओं की पाठ्यचर्या में उल्लिखित सभी प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक उपकरणों का कम से कम एक सेट होना चाहिए । इन प्रयोगों को करने के लिए अपेक्षित सभी रसायन भी उपलब्ध होने चाहिए । इनकी आपूर्ति नियमित आधार पर होनी चाहिए ।

वांछनीय :—उपकरणों के अधिक सेट होना वांछनीय होगा ताकि एक से अधिक छात्र उसी प्रयोग को साथ-साथ कर सकें । प्रारम्भिक स्कूल कक्षाओं की पाठ्यचर्या से सम्बद्ध प्रयोगों को पूरा करने के लिए अपेक्षित सभी साधन तथा सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

4.2 मनोविज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपस्कर

आवश्यक :—सेन्सरी मोटर टेस्ट, बुद्धि परीक्षा (कार्य, मौखिक और अमौखिक) अभिक्षमता परीक्षा और अभिरुचि सूचियां उपलब्ध होना चाहिए ।

वांछनीय :—उपर्युक्त परीक्षा के अनेक सेट परीक्षा, प्रशासन और छात्रों द्वारा अंक बताने के लिए खरीदे जाएं । अवधारणा बनाने तथा अध्ययन के लिए सामग्री तथा उपस्कर की व्यवस्था होनी चाहिए ।

4.3 शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए उपकरण

आवश्यक :—एक टी. वी., एक श्रव्य कैसिट रिकार्डर एक स्लाइड-सह-फिल्म प्रोजेक्टर पर्याप्त संख्या में रिक्त श्रव्य कैसिटों, चार्ट बनाने के लिए कला सामग्रियां, एक रेडियो/ट्रांजिस्टर सेट ।

वांछनीय :—एक एम्प्लीफायर, एक कंप्यूटर, दो स्पीकर, दो माइक्रोफोन, दो श्रव्य कैसिट रिकार्डर, एक वी. सी. आर., एक ओ.एच.पी ।

4.4 कार्यशाला एवं कार्य अनुभव के लिए उपकरण

आवश्यक :—संस्था में वुड वर्किंग हैंड टूल्स का एक सेट, गार्डनर टूल्स का एक सेट, कार्य अनुभव कार्यकलापों के लिए अपेक्षित अन्य आवश्यक उपस्करों की व्यवस्था होनी चाहिए । संस्था सिलाई, टंकण, बिजली, एवं इलैक्ट्रानिक्स में कार्य अनुभव की व्यवस्था कर सकती है जिनके लिए आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

4.5 कला तथा संगीत के लिए उपस्कर

आवश्यक : कला के प्रयोग के लिए आर्ट पेपर, बोर्ड, ब्रुश, रंग, आदि उपलब्ध होने चाहिए । हारमोनियम तबला, बांसुरी, ढोल जैसे सरल संगीत वाद्य यंत्र तथा अन्य स्थानीय उपकरण भी उपलब्ध होने चाहिए ।

4.6 खेलकूद के लिए उपकरण

आवश्यक : सभी आउटडोर खेलों के लिए पर्याप्त खेलकूद उपकरण तथा सामग्री उपलब्ध होनी चाहए । व्यायाम तथा शारीरिक विकास संबंधी प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित सामग्री तथा उपकरणों की भी व्यवस्था होनी चाहिए ।

4.7 पुस्तकें तथा पत्रिकाएं

आवश्यक : संस्था के प्रथम वर्ष के दौरान कम से कम 1500 पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए और प्रत्येक वर्ष 100 पुस्तकें बढ़ाई जानी चाहिए । इस पुस्तकों के संग्रह में विश्व कोश, शब्द कोश, संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा पर पुस्तकें, अध्यापक पुस्तिकाएं, सभी स्कूली विषयों पर पाठ्य पुस्तकें तथा सभी विषयों पर पूरक पुस्तकों को शामिल करना चाहिए । संस्था को कम से कम तीन ऐसी पत्रिकाएं मंगानी चाहिए जिसमें से कम से कम एक पत्रिका व्यावसायिक शिक्षा पर होनी चाहिए।

वांछनीय : संस्था के पास प्रारंभ में 3000 पुस्तकें होनी चाहिए और 100 पुस्तकें प्रत्येक वर्ष बढ़ाई जानी चाहिए। संस्था कम से कम 5 ऐसी पत्रिकाएं मंगाएगी, जिसमें से कम से कम दो पत्रिकाएं व्यावसायिक शिक्षा पर होनी चाहिए ।

4.8 फर्नीचर के लिए मानदंड

संस्थागत भवन के सभी कमरों में 100 छात्रों के लिए पर्याप्त एवं उचित फर्नीचर होना चाहिए । संस्था के विभिन्न कमरों में फर्नीचर के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं :

कक्ष	अत्यावश्यक	वांछनीय
1	2	3
1. शिक्षण कक्ष	प्रत्येक शिक्षण कक्ष में छात्र डैस्क (100 सीट) अध्यापक कुर्सी (एक) अध्यापक मेज (एक) 2.5 मीटर×1 मीटर का श्याम पट (एक)	बेहतर कोटि के 100 छात्रों के लिए जो आवश्यक हो ।
2. सभा कक्ष	6 मीटर×3 मीटर×0.5 मीटर ऊंचाई का मंच (एक) छात्र सीट (100) अध्यापक कुर्सी (20) अतिथि कुर्सी (5)	जो आवश्यक हो ।
3. प्रयोगशाला	प्रत्येक प्रयोगशाला में 1.25 मीटर ×2 मीटर ×0.9 मीटर की ऊंचाई के आकार की मेज (5) ऊंचे स्टूल (20) (0.6 मी० ऊंचाई) अध्यापक कुर्सी एक अलमारी (एक) (अधिमानतः स्टील)	जो आवश्यक हो । अलमारी स्टील (दो)
4. कार्यशाला	1.25 मीटर ×2 मीटर×0.75 मी० के आकार की वर्क बैंच (5) स्टूल (0.6 मी० ऊंचाई) (20) अध्यापक कुर्सी (एक) अध्यापक मेज (एक) अलमारी (अधिमानतः स्टील) (एक)	जो आवश्यक हो । अलमारी स्टील (दो)
5. पुस्तकालय	200 पुस्तकों के लिए बुक शेल्वस पत्रिका रैक (एक) प्रत्येक चार कार्ड के साथ सूची केबीनेट्स 2000 कार्ड रखने के पर्याप्त ट्रे पुस्तकालयाध्यक्ष कुर्सी (एक) कुर्सी (दो) 50 छात्रों वाली कुर्सी के साथ लम्बी मेज नोटिस बोर्ड (एक)	3000 पुस्तकों के लिए बुक शेल्वस 3000 कार्ड रखने के लिए सूची केबीनेट्स जो आवश्यक हो (1) बुलेटिन बोर्ड (1)

Attested
Sd/- 12/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

71

1	2	3
6. प्रधानाचार्य कक्ष	कुर्सी का आकार (2 मी० × 1.25 मी० × 0.45 मी० (एक कैन कुर्सी (पांच) स्टील अलमारी (एक) बुक रैक (एक)	जो आवश्यक हो एक सोफा सेट
7. अध्यापक कक्ष	एक लंबी मेज और 12 व्यक्तियों के लिए कुर्सी कुर्सी (एक) प्रत्येक अध्यापक के लिए	अध्यापक केबिन/कक्ष
8. कार्यालय	मेज (एक) कुर्सी (एक) प्रत्येक प्रशासनिक स्टाफ के लिए स्टील अलमारी (एक) फाइल रैक (एक) नोटिस बोर्ड (दो) स्टूल (दो)	जो आवश्यक हो। कुर्सी (दो)
9. स्टोर कक्ष	अलमारी (एक) रैक (दो)	अलमारी स्टील (दो) रैक (तीन)
10. छात्र सामान्य कक्ष	लंबी मेज (एक) छात्र कुर्सी (20)	जो आवश्यक हो

5.0 स्टाफ के लिए मानदंड

5.1 शिक्षण स्टाफ :

अध्यापक-छात्र अनुपात 1:12 का सुझाव दिया गया है। प्रधानाचार्य को एक अतिरिक्त शिक्षक के रूप में माना गया है 100 छात्रों के दाखिले के लिए (प्रथम वर्ष की कक्षा में 50 तथा द्वितीय वर्ष के कक्षा में 50) अपेक्षित शिक्षण स्टाफ में एक प्रधानाचार्य तथा 8 अध्यापक होंगे। यदि अधिक छात्र दाखिल हो जाते हैं तो अध्यापकों की संख्या अध्यापन-छात्र अनुपात 1:12 के आधार पर बढ़ाई जानी चाहिए। अंशकालिक अध्यापकों को इस प्रयोजनार्थ नहीं गिना जाएगा। अध्यापकों का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि विषय वस्तु तथा अंग्रेजी, मातृभाषा (अथवा राज्य भाषा), गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक विषयों में इसके वर्गीकरण की जानकारी वाला कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। शिक्षा की संस्थाओं में पढ़ाने के लिए एक अथवा अधिक अध्यापकों की जरूरत होगी। इसके अलावा प्रत्येक निम्नलिखित विषयों : स्वास्थ्य तथा व्यायाम शिक्षा, कला, कार्य अनुभव के लिए एक शिक्षक होगा। अपेक्षित अध्यापकों की संख्या विषय वार सिद्धांत कार्य भार, प्रयोग शिक्षण के पर्यवेक्षण का कार्यभार और अन्य प्रयोगात्मक कार्य पर निर्भर करेगी।

प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों की श्रेणी तथा योग्यताएं निम्नानुसार होंगी :

पदनाम	आवश्यक	वांछनीय
प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य* एक	श्रेणी : लेक्चरार योग्यताएं : एम० एड०/एम०ए० शिक्षा के रूप में लेक्चरार अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव	श्रेणी–रीडर स्कूल फाउन्डेशन विषय में मास्टर डिग्री जमा शिक्षा में मास्टर डिग्री के साथ लेक्चरार की श्रेणी में अथवा शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव
शिक्षा शास्त्री में शिक्षक प्रशिक्षक	श्रेणी : स्नातकोतर शिक्षक शिक्षा में एम० एड०/एम० ए०	श्रेणी : शिक्षा में लेक्चरार शिक्षा में एम० एड०/एम० ए० और अन्य विषय में मास्टर डिग्री

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

1	2	3
प्रणाली विज्ञान में अध्यापक प्रशिक्षक	श्रेणी : स्नातकोत्तर शिक्षक शिक्षा में एम० एड०/एम० ए०	श्रेणी : लेक्चरार शिक्षा में एम० एड०/एम० ए० प्रासंगिक विषय में मास्टर डिग्री
व्यायाम शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षक	श्रेणी : स्नातकोत्तर शिक्षक योग्याता : एम० पी० एच० डी० एड०	श्रेणी : स्नातकोत्तर शिक्षक एम० पी० एच० डी०
कला/संगीत में शिक्षक प्रशिक्षक	श्रेणी : माध्यमिक स्कूल शिक्षक उच्चतर माध्यमिक जमा कला/संगीत में डिग्री/डिप्लोमा	श्रेणी : माध्यमिक स्कूल शिक्षक कला/संगीत में डिग्री/डिप्लोमा
कार्य अनुभव में शिक्षक प्रशिक्षक	श्रेणी : माध्यमिक स्कूल शिक्षक उच्चतर माध्यमिक जमा शिल्प में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र	श्रेणी : माध्यमिक स्कूल शिक्षक शिल्प में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र

ध्यान दें : सभी शिक्षकों को प्रारंभिक स्कूल में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव और सेवाकालीन स्कूल शिक्षा में कुछ विशेषज्ञता होनी चाहिए ।

किसी विधिवत गठित चयन समिति द्वारा चयन किए जाने के बाद, शैक्षिक तथा शैक्षणिक विषयों में सभी नियमित तथा पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए । वेतनमान वही होने चाहिए जो सरकारी संस्थाओं में समकक्ष श्रेणी के शिक्षकों के लिए होते हैं। अंशकालिक शिक्षक शिक्षण के कार्य-भार को ध्यान में रखते हुए कला, संगीत विषयों तथा कार्य अनुभव संबंधी विषयों में नियुक्त किए जा सकते हैं । छात्र शिक्षक अनुपात का आकलन करते समय इन अंशकालिक शिक्षकों के बारे में विचार नहीं किया जाएगा ।

5.2 तकनीकी सहायता स्टाफ

पदनाम	अनिवार्य	वांछनीय
पुस्तकालयाध्यक्ष	एक (पुस्तकालय विज्ञान के डिप्लोमा के साथ)	एक (पुस्तकालय विज्ञान के डिग्री के साथ) पुस्तकालय स्वचालन में अनुभव
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष		एक (पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा के साथ)

5.3 प्रशासनिक कर्मचारी :

पदनाम	आवश्यक	वांछनी
कार्यालय सहायक	एक	एक
लेखा सहायता	एक	एक
टंकक : शब्द तैयार करना	एक	एक
हैल्पर	तीन	पांच

6.0 अनावर्ती लागतों के लिए मानदंड :

संस्था के वार्षिक बजट के सभी आवश्यक अनावर्ती लागतों के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए । अनावर्ती लागतों के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं :

(क) स्टाफ के सभी सदस्यों के वेतनों के कुल व्यय में नियमित वेतनमानों पर व्यय तथा राज्य/केन्द्र सरकार के अनुसार सभी अन्य लाभ शामिल होंगे ।

(ख) शैक्षिक सामग्रियों की खरीद

(ग) प्रति वर्ष प्रति छात्र अन्य लागत (रु.)

लागत प्रति छात्र (रु०) प्रति वर्ष

मद	अत्यावश्यक	वांछनीय
विज्ञान	50	75
शिक्षा, मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रौद्योगिकी	50	75
कला/संगीत एवं कार्य अनुभव	50	75
खेलकूद	50	75
पुस्तक एवं पत्रिकाएं	50	100
आकस्मिकताएं	50	100

नामांकन छात्रों की संख्या के आधार पर संस्था के लिए आवर्ती व्यय का अनुमान लगाया जा सकता है ।

7.0 दाखिला के मापदंड तथा शुल्क के संबंध में मानदंड :

7.1 दाखिला संबंधी मापदंड :

आवश्यक : प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए न्यूनतम अनिवार्य योग्यता कुल मिलाकर 50 प्रतिशत

Attested

(सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (+2) स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा में उत्तीर्ण होगी। सीटों का आरक्षण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार होगा।

7.2 चयन प्रक्रिया :

दाखिले के लिए छात्रों का चयन योग्यता के आधार पर एक लिखित चयन परीक्षा द्वारा किया जाएगा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित एजेंसियों/संगठनों द्वारा आयोजित की जाएगी।

7.3 शुल्क ढांचा एवं छात्रवृत्ति :

आवश्यक : शुल्क संबंधी ढांचे का निर्णय समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। किसी मामले में छात्र से ली जाने वाली कुल शुल्क तथा अन्य चार्ज संस्था के प्रति छात्र आवर्ती व्यय से अधिक नहीं होना चाहिए।

वांछनीय : कुछ छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क संबंधी छात्रवृत्ति की व्यवस्था गरीब मेधावी छात्रों के लिए की जानी चाहिए। कुछ छात्रवृत्ति योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए। पुस्तक खरीदने के लिए ऋण देने की व्यवस्था वांछनीय है।

8.0 पाठ्यचर्या संबंधी कार्य निष्पादन के संबंध में मानदण्ड :

8.1 संस्था के कार्य घंटे एवं दिन

कार्य दिवसों की कुल संख्या- निम्न नुसार बांटा जाना	220 प्रति वर्ष
सभी दाखिलों को पूरा करने के लिए	10 कार्य दिवस (संस्था पुनः खोलने के बाद)
शिक्षण दिवस प्रति वर्ष	160 कार्य दिवस (संस्था पुनः खुलने के बाद)
स्कूलों में पर्यवेक्षण किया गया प्रयोग शिक्षण	40 कार्य दिवस (संस्था पुनः खोलने के बाद)
परीक्षा दिवस	10 कार्य दिवस (संस्था पुनः खोलने के बाद)

8.2 प्रत्येक छात्र द्वारा किए जाने वाले प्रयोगात्मक कार्य (प्रयोग शिक्षण को छोड़कर) के मानदण्ड प्रत्येक छात्र पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित प्रयोगात्मक कार्य के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना चाहिए।

मद	संख्या
1	2
विज्ञान प्रयोग	10
शिक्षण सामग्री तैयार करना	5
परीक्षाओं का संचालन एवं अंक प्रदान करना	3
श्रव्य दृश्य उपस्करों का संचालन	सभी उपलब्ध उपस्कर
निरूपण पाठों का अवलोकन	प्रत्येक विषय में 10
अन्य शिक्षकों तथा प्रशिक्षार्थियों के पाठों का अवलोकन	प्रत्येक विषय में 15
1	2
खेलकूदों में हिस्सेदारी	*घंटा प्रतिदिन
कार्यअनुभव में हिस्सेदारी	1/2 घंटा प्रतिदिन
स्कूल कार्यकलापों/विशेषताओं में हिस्सेदारी की केस स्टडी/ कार्य अनुसंधान/ अन्य परियोजना अवलोकन	एक

8.3 अधिक से अधिक दो छात्रों द्वारा किसी स्कूल की कक्षा में एक ही सेक्शन को पढ़ाया जाना चाहिए। किसी छात्र शिक्षक द्वारा प्रतिदिन दो घन्टे पढ़ाया जाना चाहिए और अन्य समकक्ष छात्र शिक्षक/शिक्षकों के दो पाठों का निरीक्षण करना चाहिए। सभी पाठों का पूरी तरह से निरीक्षण संस्था के शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए तथा छात्रों की पढ़ाई का भी पूरी तरह से निरीक्षण किया जाना चाहिए। छात्र द्वारा तीन विषयों में से प्रत्येक विषय के कम से कम 15 पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। यदि माइक्रो शिक्षण को अपनाया जाता है तो माइक्रो शिक्षण का प्रत्येक चक्र (प्लान टीच-रीप्लान रीटीच) को एक प्रयोग शिक्षण पाठ के रूप में गिना जा सकता है।

संस्था शिक्षण कार्य के लिए प्रारंभिक स्कूलों की समुचित संख्या के साथ कार्य संचालन संबंधी व्यवस्था करनी चाहिए। अधिमानतः इससे संबद्ध होकर एक स्कूल संचालित हो सके।

परिशिष्ट-2 (ग)

अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के लिए

मानदंड एवं मानक

माध्यमिक

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

नई दिल्ली

1995

1. प्रस्तावना

1.1 शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमें पूर्णतया योग्य शिक्षकों की जरूरत है जिनके पास न केवल उच्च शैक्षिक एवं पेशेवार क्षमताएं हों, बल्कि जो विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता और उपलब्धि को बढ़ाने तथा उन्हें अत्यधिक आत्म-निर्भर और यथार्थवादी बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने के प्रति जिम्मेदार और प्रतिबद्ध हों। ऐसे अच्छे शिक्षकों के बिना शिक्षा में सुधार लाना संभव नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कहा गया है, "शिक्षक के व्यक्तित्व में समाज के सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप का परिचय मिलता है, कहा जाता है व्यक्ति अपने शिक्षकों के स्तर से अधिक ऊंचा नहीं उठ सकता है।"

1.2 दिसम्बर, 1993 में संसद के 1993 के अधिनियम सं. 73 के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को सम्पूर्ण देश में "अध्यापक शिक्षा प्रणाली के सुनियोजित और समन्वित विकास, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदण्डों एवं स्तरों के विनियमन एवं अनुरक्षण तथा इनसे जुड़े मामलों" के लिए सांविधिक अधिकार प्रदान किए गए। मानदंडों एवं मानकों के अनुरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कुछ कार्य निम्नलिखित हैं :

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

— अध्यापक शिक्षा में विशेष पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण, उसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड, अभ्यर्थियों के चयन की पद्धति, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम के विषय और प्रमाणन की पद्धति के लिए मानदंड निर्धारित करना,

— मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना,

— परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशा-निर्देशों और स्तरों के कार्यान्वयन की समय-समय पर जांच और समीक्षा करना तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उपयुक्त सुझाव देना,

— मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर जिम्मेदारी सौंपने के लिए उपयुक्त कार्य मूल्यांकन प्रणाली, मानदण्ड और तन्त्र विकसित करना,

— अध्यापक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना।

इन कार्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने अध्यापक शिक्षा के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए मानदण्ड और मानकों को निर्धारित किया है। यहां मानदण्ड और मानक में अध्यापक शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण हेतु मान्यता, अनुमति और अतिरिक्त विद्यार्थियों के दाखिले के लिए अपेक्षित 'शर्तों' से संबंधित सभी बातें शामिल हैं ।

इस दस्तावेज में बी.एड. डिग्री के माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के नियमित संस्थानिक कार्यक्रमों के लिए मानदंड एवं मानक दिए गए हैं । ये मानदण्ड नियमित संस्थानिक माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाली सभी संस्थाओं के लिए लागू होंगे चाहे यह संस्था का एकमात्र शैक्षिक कार्यक्रम हो अथवा संस्था द्वारा चलाए जाने वाले अनेक अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में से एक हों । ये मानदण्ड और मानक संस्थाओं की मान्यता, पाठ्यक्रमों की अनुमति और अतिरिक्त विद्यार्थियों के दाखिले पर विचार के लिए लागू होंगे ।

मानकों का दो संवर्गों में उल्लेख किया गया है :

(1) अनिवार्य मानदंड जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित संस्था/पाठ्यक्रम की मान्यता/अनुमति के लिए पात्र होने के लिए सभी संस्थाओं द्वारा पूरा किए जाने वाले न्यूनतम मानदण्ड हैं, और (2) वांछनीय मानदण्ड जिन्हें क्रम समय में प्राप्त करने के लिए संस्थाओं को प्रयास करना चाहिए । राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/क्षेत्रीय समितियां द्वारा पाठ्यक्रमों के लिए संस्थाओं की औपचारिक मान्यता अन्य कार्य संबंधी मानदंड को पूरा करने के अलावा वांछनीय मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर करेगी ।

माध्यमिक प्रशिक्षण संस्था के पाठ्यक्रम की अनुमति या संस्था की मान्यता के लिए विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 60 होगी। (सामान्य सिद्धांत के लिए एक वर्ग के रूप में) जिसके लिए जैसा कि मानदंड में उल्लेख है, न्यूनतम शिक्षकों और शैक्षिक सुविधाओं का उल्लेख होना चाहिए । अतिरिक्त दाखिले की अनुमति पूर्ण इकाईयों अर्थात् 60 विद्यार्थियों की इकाई के रूप में दी जाएगी। सिद्धांत की कक्षाएं ऐसे वर्गों में लगाई जाएंगी जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 60 से अधिक नहीं होगी। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के साथ शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों और शैक्षिक सुविधाओं में भी वृद्धि की जानी चाहिए जैसा कि मानदंड में विनिर्दिष्ट है । जहां भी संभव हुआ विद्यार्थियों की संख्या के संबंध में उपयुक्त अनुपात दिए गए हैं ताकि कर्मचारियों और शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन किया जा सके ।

ये मानदण्ड राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के पाठ्यचर्या संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के दौरान बी. एड. डिग्री के लिए पूर्णकालिक अवधि के एक शैक्षिक वर्ष वाले माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए लागू होंगे । राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् संस्तुत पाठ्यचर्या की प्रकृति या अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि में किसी परिवर्तन के अनुरूप आवश्यक होने पर मानदण्डों में संशोधन कर सकती है । सभी मदों के वित्तीय प्राक्कलनों को वर्ष 1994 के मूल्य स्तर के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

ये मानदंड ऐसे माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए लागू नहीं हैं जिनमें मान्यता प्राप्त संस्था में चलाए जाने वाले एक शैक्षिक वर्ष वाले नियमित आमने-सामने के शिक्षण के अलावा अन्य शिक्षण की पद्धतियों का अनुसरण किया जा रहा हो ।

2 माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं

मद	अनिवार्य	वांछनीय
1	2	3
विद्यार्थियों का न्यूनतम दाखिला	60	120 (60+60)
क्षेत्र (विशिष्टता वाले स्कूली विषय)	दो स्कूली विषय	सभी स्कूली विषय
शिक्षकों की न्यूनतम संख्या	1 प्रधानाचार्य+अन्य 6 शिक्षक	1 प्रधानाचार्य+12 शिक्षक
*रीडर और/या लेक्चरार जिनमें प्रत्येक प्रकार के विषय [illegible] (60 विद्यार्थियों के लिए) के लिए एक शिक्षक	1:10	1:10
कर्मचारी विद्यार्थी अनुपात		

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

75

(1)	(2)	(3)
प्रति विद्यार्थी फर्श का क्षेत्र	12.5 वर्गमीटर	15 वर्गमीटर
संस्था के फर्श का क्षेत्र (छात्रावास और कर्मचारियों के क्वार्टरों को छोड़कर)	60×12.5=750 वर्गमीटर	120×15=1800 वर्ग मी०
शिक्षक	7(1+6) (प्रधानाचार्य और 6 शिक्षक)	13+ (1 प्रधानाचार्य और 12 शिक्षक)
तकनीकी कर्मचारी	2	4
प्रशासनिक और अन्य कर्मचारी (60 विद्यार्थियों के लिए तीन व्यक्ति)	3	6

जैसा वांछित/अनिवार्य हो, पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर कला, शिल्प संगीत, शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान आदि में कुछ विशिष्टता-प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है ।

2.1 अनावर्ती लागत :

2.1.1 शैक्षिक विंग, प्रशासनिक विंग, छात्रावासों और कर्मचारियों के क्वार्टरों सहित उपयुक्त और सुविधा-युक्त शैक्षिक भवन गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सहायक होते हैं । शैक्षिक विंग, खेल के मैदान और प्रशासनिक विंग पाठ्यक्रम हेतु अध्यापक शिक्षा संस्था की मान्यता के लिए अपेक्षित सांस्थानिक भवन के अनिवार्य संघटक होते हैं । सांस्थानिक भवन के अनिवार्य घटक और वांछनीय घटक की पर्याप्तता और लागत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ दल द्वारा निर्धारित की जाएगी । मामले पर विचार करते समय विशेषज्ञ दल राज्य और/या विश्वविद्यालय के मानदंडों को ध्यान में रखेगा । वांछनीय सांस्थानिक भवन में पर्याप्त खेल का मैदान, घर के अन्दर खेले जाने वाले खेलों की सुविधाओं और अन्य सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए । अनिवार्य और वांछनीय मानदंडों की वर्ष 1994 के मूल्य के स्तर की लागत कुछ मामलों में दर्शाई गई है ।

	: अनिवार्य	वांछनीय
सांस्थानिक भवन छात्रावास और कर्मचारियों के क्वार्टरों)	: 22.50 (लाख रु० में) (750 वर्ग मी०×300 रु०)	54.00 (लाख रु० में) (1800 वर्ग मी०×300 रु०)
2.1.2 उपस्कर एवं पुस्तकें	: 1.00 लाख	2.00 लाख
फर्नीचर	: 1.00 लाख	2.00 लाख

2.1.3 इसके अलावा निजी प्रबन्धन के अन्तर्गत होने वाली संस्थाओं के पास अपने सभी कर्मचारियों को 3 महीने तक वेतन देने के लिए पर्याप्त सुरक्षित निधि के साथ-साथ पांच लाख रु. की अक्षय निधि होनी चाहिए । निधि राष्ट्रीयकृत बैंक/स्टेट बैंक आफ इण्डिया/या इसके सहायक बैंकों में जमा होनी चाहिए।

2.2 आवर्ती लागत

	न्यूनतम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य/केन्द्रीय सरकार के मानदंड	वांछनीय
वेतन, अन्य आवर्ती लागत	0.5 लाख (60 विद्यार्थियों के लिए)	1.0 लाख (120 विद्यार्थियों के लिए)

3. स्थान एवं भवन के लिए मानदण्ड

3.1 भूमि का क्षेत्र एवं अवस्थापन

अध्यापक शिक्षा संस्था के लिए अपेक्षित न्यूनतम स्थान में सांस्थानिक भवन के लिए स्थान और खेल के मैदान के लिए स्थान शामिल हैं । छात्रावासों और कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए भूमि क्षेत्र की पर्याप्तता क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक दशाओं, पाठ्यचर्या संबंधी आवश्यकताओं, कर्मचारियों की संख्या, आदि पर निर्भर करती है ।

	अनिवार्य	वांछनीय
भूमि-क्षेत्र :	5000 वर्ग मीटर (0.5 हैक्टेयर)	20,000 वर्ग मीटर (2 हैक्टेयर)

संस्था शोर-गुल से मुक्त माहौल में अवस्थित होनी चाहिए । यह अपेक्षाकृत प्रदूषण मुक्त होना चाहिए । यातायात, दूरसंचार, पानी और बिजली की अच्छी सुविधा होनी चाहिए ।

3.2 शैक्षिक क्षेत्र के लिए मानदण्ड

पाठ्यचर्या की प्रकृति के अनुसार संस्थानिक भवन में कक्षा कक्षों, सेमिनारों के लिए कक्ष, ट्यूटोरियल हाल, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, कार्य-अनुभव प्रयोगशाला, संगणक प्रयोगशाला और एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का प्रावधान होना चाहिए । एक कक्षा की इकाई में 60 विद्यार्थी होंगे । विज्ञान, मनोविज्ञान, कार्यशाला, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और अन्य प्रयोगशालाओं के लिए शिक्षण एवं प्रयोगिक कक्षाएं 20 विद्यार्थियों के समूह में आयोजित की जाएंगी । इस प्रकार प्रत्येक सिद्धान्त कक्षा/वर्ग तीन या चार प्रयोगिक समूहों में विभाजित किया जा सकता है और विभिन्न प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं में लगाए जा सकते हैं । प्रत्येक पद्धति की कक्षा में 20 से 30 विद्यार्थियों की अधिकतम क्षमता हो सकती है ।

5—479 GI/95

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

76

3.2.1 सिद्धान्त कक्षा कक्ष, सेमिनार कक्ष और हाल

प्रत्येक इकाई के लिए कम से कम 60 वर्ग मीटर क्षेत्र के कम से कम दो सिद्धान्त कक्षाकक्ष होने चाहिए । यह 60 विद्यार्थियों के प्रत्येक मानक इकाई के लिए अपेक्षित है । यदि किसी कारणवश विद्यार्थियों की संख्या 60 के गुणक में नहीं है, तो अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए नया वर्ग बनेगा और एक नए कक्षाकक्ष की आवश्यकता होगी । संस्था में उचित समूह बनाए जा सकते हैं । तथापि, किसी कक्षा में 60 से अधिक विद्यार्थी नहीं होंगे ।

प्रति कक्षा 60 वर्गमीटर के हिसाब से कक्षाकक्षों की संख्या (कुल विद्यार्थियों की संख्या)/60 के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा और ठीक बाद का पूर्णांक कक्षाकक्षों की संख्या होगी । यह न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता होगी । इसके अलावा 120 विद्यार्थियों के प्रत्येक समूह के लिए 100 वर्गमीटर क्षेत्र का एक सेमिनार कक्ष होना चाहिए । विविध प्रयोग के लिए 125 वर्गमीटर का एक हाल होना चाहिए । (यहां एक सिद्धान्त कक्षा चलाई जानी चाहिए) ।

3.2.2 प्रयोगशालाएं

अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता सुविधाओं की विविधता परिमाण और गुणवत्ता पर निर्भर करती है । आवेदित पाठ्यक्रम की प्रकृति और अपेक्षित दाखिले के अनुसार विशेषज्ञ दल प्रयोगशालाओं की आवश्यकता की जांच करेगा । दो प्रकार की प्रयोगशालाएं होंगी---सामान्य प्रयोगशालाएं और पाठ्यक्रम के लिए विशेष प्रयोगशालाएं । सामान्य प्रयोगशालाएं हैं । मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला आदि । विज्ञान प्रयोगशाला, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला, संगणक प्रयोगशाला, कार्य अनुभव प्रयोगशाला आदि जैसी पाठ्यक्रम विशेष प्रयोगशालाएं अतिरिक्त सुविधाएं जाएंगी जो आवेदित पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर निर्भर होंगी । मान लीजिए कि कोई संस्था 'भाषा शिक्षकों' के पाठ्यक्रम हेतु मान्यता के लिए आवेदन करती है तो सामान्य पुस्तकालय और पाठ्यक्रम-विशेष भाषा प्रयोगशाला, यदि कोई हो, दो अनिवार्य मानदण्ड अनिवार्य आवश्यकता होगी, 'भाषा शिक्षकों' के पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने वाली संस्था के लिए विज्ञान प्रयोगशाला की कोई आवश्यकता नहीं होगी । सम्भव है समय के साथ नए प्रकार की प्रयोगशालाओं की आवश्यकता वाले नवीन पाठ्यक्रम सामने आएं । राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ऐसी प्रयोगशालाओं की प्रकृति और प्रकार विहित करेगी ।

3.2.2.1 सामान्य प्रयोगशालाएं

(क) मनोविज्ञान प्रयोगशाला

अध्यापक शिक्षा संस्था में 75 वर्गमीटर क्षेत्र की एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए जिसमें से 15 वर्ग मीटर जांच तथा शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक साधन के अन्य उपकरणों हेतु एक भण्डारण कक्ष के लिए होगा । शेष 60 वर्गमीटर का स्थान 20 विद्यार्थियों के समूहों के लिए प्रायोगिक कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा । प्रत्येक समूह इस प्रयोगशाला में प्रति सप्ताह दो घन्टे के लिए कार्य करेगा । छोटी संस्थाओं में जहां 60 से कम विद्यार्थियों का दाखिला हो, वहां पूर्ण मनोविज्ञान रहा दिशा-निर्देश एवं परामर्श प्रयोगशाला के बजाए मनोविज्ञान संबंधी सामग्रियों के लिए एक छोटे भंडारण कक्ष की व्यवस्था की जा सकती है और प्रायोगिक कार्य अन्य पुस्तकालय में किया जा सकता है । तथापि एक पृथक मनोविज्ञान प्रयोगशाला वांछनीय है ।

(ख) कार्य-अनुभव प्रयोगशाला

कार्य अनुभव के चयनित क्षेत्र में प्रायोगिक कक्षाएं चलाने के लिए संस्था में 75 वर्गमीटर क्षेत्र की एक कार्य अनुभव प्रयोगशाला होनी चाहिए । संस्था में जिस कार्य-अनुभव के लिए शिक्षण दिया जाता है उससे संबंधित औजारों एवं उपस्करों की सुविधाएं कार्य-अनुभव प्रयोगशाला में उपलब्ध होनी चाहिए ।

(ग) शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला

16 से 20 विद्यार्थियों द्वारा प्रायोगिक कार्य के लिए 60 वर्गमीटर क्षेत्र के कमरे का उपयोग किया जाना चाहिए जिसमें पर्याप्त श्रव्य-दृश्य और जन संचार उपस्कर होने चाहिए । विद्यार्थी इस प्रयोगशाला का उपयोग शिक्षण सामग्रियों को तैयार करने के लिए भी कर सकते हैं ।

(घ) संगणक प्रयोगशाला

इस प्रयोगशाला के लिए कम से कम पांच वैयक्तिक संगणकों सहित 50 वर्गमीटर क्षेत्र का एक कमरा अपेक्षित होगा । ऐसी सुविधा के साथ विद्यार्थी शिक्षा में संगणकों के सिद्धांत एवं प्रयोग से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । यह सामान्य विद्यार्थियों के लिए वांछनीय है, परन्तु संगणक अध्यापक शिक्षा विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है ।

(ङ) पुस्तकालय-सह-पठन कक्ष

प्रत्येक संस्था के लिए 75 वर्गमीटर क्षेत्र का एक पुस्तकालय-सह-पठन कक्ष अनिवार्य है । इसमें 60 विद्यार्थियों के लिए 60 वर्गमीटर क्षेत्र का पठन कक्ष और पुस्तकों के लिए 25 वर्गमीटर का भंडारण स्थान होना चाहिए । 120 या इससे अधिक विद्यार्थियों वाली संस्था में 150 वर्गमीटर क्षेत्र का पुस्तकालय-सह-पठन कक्ष का होना बेहतर है ।

3.2.2.2 पाठ्यक्रम-विशेष प्रयोगशालाएं

(क) विज्ञान प्रयोगशाला

75 वर्गमीटर क्षेत्र का एक विज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए जिसमें से 15 वर्गमीटर उपकरणों और रसायनों के भंडारण के लिए तथा 60 वर्गमीटर प्रायोगिक कार्य के लिए होना चाहिए । पांच कार्य टेबिल होनी चाहिए । प्रत्येक टेबिल में चार विद्यार्थियों के प्रायोगिक कार्य के लिए जगह होनी चाहिए । विज्ञान प्रयोगशाला में 20 विद्यार्थियों का प्रत्येक समूह प्रति सप्ताह कम से कम दो घंटे कार्य करेगा । जब इस प्रयोगशाला में कोई कार्य नहीं हो तो इसे प्रयोगशाला में उपयोग प्रणाली संबंधी अध्यापन के अन्य कार्यकलापों के लिए किया जा सकता है ।

(ख) भाषा प्रयोगशाला

भाषा प्रयोगशाला शोर-गुल मुक्त और ध्वनि रहित कक्ष में होनी चाहिए । भाषा प्रयोगशाला में रिकार्डिंग और आडियो प्लेयर उपस्करों, मास्टर कंसेटों, प्रिंटेड और रिकार्डेड साफ्टवेयर की सुविधाएं होनी चाहिए । अलग-अलग विद्यार्थी तथा एक बार में कम से कम आठ विद्यार्थियों के लिए भाषा शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ।

12/2/97

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

77

(ग) सामाजिक विज्ञान-सह-समूह प्रयोगशालाएं

सामाजिक महत्व के मुद्दों, सामाजिक संवेदनशीलता मूल्य-परक शिक्षा और सामाजिक वास्तविकताओं पर बातचीत के लिए अपेक्षित सामाजिक कौशल के विकास की समझ को विकसित करने के लिए सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों में विशिष्ट शिक्षण देने वाली अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के पास सामाजिक विज्ञान-सह-लघु समूह पुस्तकालय होनी चाहिए । इस पुस्तकालय के कार्य-करण के लिए मामलों के अध्ययन, मनोवैज्ञानिक जांच, सहक्रिया विवेचन और विशेष निरीक्षण उपकरणों की सुविधाएं होनी चाहिए ।

3.3 प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए निर्माण हेतु जगह :

प्रत्येक संस्था के पास निम्नलिखित कक्ष होने चाहिए :

मद	क्षेत्र	
	अनिवार्य	वांछनीय
प्रधानाचार्य का कक्ष	25 वर्गमीटर	40 वर्गमीटर
कर्मचारी कक्ष	60 वर्गमीटर	100 वर्गमीटर
कार्यालय कक्ष	40 वर्गमीटर	50 वर्गमीटर
भंडारण कक्ष	25 वर्गमीटर	40 वर्गमीटर

3. 4 सुविधाओं के लिए निर्माण हेतु जगह

महिला विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त स्थान सहित सामान्य कक्ष का होना अनिवार्य है । पुरुष विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त स्थान सहित सामान्य कक्ष का होना वांछनीय है ।

पच्चीस-पच्चीस वर्ग मीटर के दो पृथक प्रसाधन कक्षों का होना अनिवार्य है, एक महिलाओं के लिए तथा दूसरा पुरुष विद्यार्थियों के लिए तथा कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त प्रसाधन कक्ष होना चाहिए । कम से कम दो जगहों पर पेयजल की सुविधाओं का होना अनिवार्य है जहां कार्य समय के दौरान वाटर-कूलरों की व्यवस्था वांछनीय है ।

3.5 आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्माण हेतु जगह

3.5.1 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

छात्रावास का विस्तार संस्था में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करता है । प्रारंभ में कम से कम 20 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जा सकती है । छात्रावास की जगह के लिए थोड़ा प्रावधान अनिवार्य है, परन्तु सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं । बाहर के महिला विद्यार्थियों के लिए महिला छात्रावास की व्यवस्था करना अनिवार्य है । महिला विद्यार्थियों के दाखिले में वृद्धि होने पर अतिरिक्त विंग जोड़ा जाना चाहिए। छात्रावास में विद्यार्थियों के कमरे में प्रतिविद्यार्थी 8 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र होना चाहिए । रसोई और भोजन के लिए विद्यार्थी 1.5 वर्ग मीटर तथा 0.5 वर्गमीटर प्रति विद्यार्थी प्रसाधन एवं अन्य जगह होनी चाहिए । इस प्रकार छात्रावास में प्रति विद्यार्थी 10 वर्गमीटर का फर्श क्षेत्र होना चाहिए । 20 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास में कम से कम फर्श क्षेत्र 200 वर्ग मीटर होना चाहिए । पुरुष विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का होना वांछनीय है । छात्रावास की क्षमता ऐसे विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी । छात्रावास की कुल फर्श क्षेत्र प्रति विद्यार्थी 10 वर्गमीटर होगा । (छात्रावास के लिए अस्थाई तौर पर किराए के भवन का उपयोग किया जा सकता है ।

3.5.2 कर्मचारियों के क्वार्टर

उपयुक्तता के निर्धारण के लिए संबंधित सरकार द्वारा प्रत्येक संवर्ग के कर्मचारी के लिए मानक आवास संबंधी मानदंड अपनाए जा सकते हैं ।

अनिवार्य :

प्रधानाचार्य का क्वार्टर संस्था के परिसर में या परिसर के पास होना चाहिए । उपयुक्तता के निर्धारण के लिए प्रत्येक संवर्ग के कर्मचारी के लिए सरकारी आवास के लिए अपनाए गए मानक मानदण्ड अपनाए जा सकते हैं ।

वांछनीय

कम से कम 50% शिक्षकों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था करना वांछनीय है । ऐसे क्षेत्रों में जहां आवास एक गंभीर समस्या है । सभी कर्मचारियों (शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों) के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था की जा सकती है ।

कर्मचारियों के क्वार्टर	फर्श क्षेत्र
प्रधानाचार्य (प्रोफेसर की श्रेणी के)	150 वर्ग मीटर
प्रोफेसर	150 वर्ग मीटर
रीडर	120 वर्ग मीटर
लेक्चरार	85 वर्ग मीटर
प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायक कर्मचारी	60 वर्ग मीटर
सहायक	45 वर्ग मीटर
कोई अन्य	

3.6 खेल के मैदान:

अनिवार्य :

संस्था के पास ऐसे खेल के मैदान होने चाहिए जहां कम से कम 50% विद्यार्थी मैदान में खेले जाने वाले खेल खेल सकें। वालीबाल, बास्केट बाल, बैडमिंटन, खो-खो, कबड्डी और अन्य भारतीय खेल खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए । इसके लिए लगभग 1000 वर्गमीटर के क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता होगी।

वांछनीय :

संस्था के पास फुटबाल, हाकी, क्रिकेट और कुश्ती के अखाड़े की व्यवस्था होनी चाहिए । इसके लिए अपेक्षित क्षेत्र 2000 वर्गमीटर होना चाहिए । (यदि आवश्यक हो तो अन्य संस्थाओं के साथ साझेदारी की जा सकती है ।)

4.0 उपस्कर, पुस्तकों और फर्नीचर के लिए मानदण्ड :

4.1 विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपस्कर :

अनिवार्य :

संस्था के पास माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में निर्धारित प्रयोगों को करने और दिखाने के लिए अपेक्षित सभी विज्ञान उपकरणों का कम से कम एक सेट होना चाहिए । सभी अपेक्षित रसायन उपलब्ध होने चाहिए (यदि नजदीक हो तो संलग्न स्कूल या प्रबंधन के अधीन होने वाले स्कूल के साथ साझेदारी की जा सकती है) ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

78

वांछनीय :

कोर उपकरणों के विविध सैट होने चाहिएं ताकि तक ही समय एक से अधिक विद्यार्थी एक प्रयोग कर सकें । नये और उच्च स्तरीय प्रयोग करने के लिए भी कुछ उपकरणों की व्यवस्था की जा सकती है ।

4.2 मनोविज्ञान प्रयोगशाला :

शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित साधारण प्रयोगों के लिए उपकरण ।

अनिवार्य :

शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित साधारण प्रयोगों के लिए उपकरण । बुद्धि परीक्षा (कार्य, गैर-मौखिक और मौखिक) अभिरुचि परीक्षा, मौलिकता परीक्षण, व्यक्तित्व परिचय, मनोवृत्ति परीक्षण, रुचि-तालिका ।

वांछनीय :

उपर्युक्त परीक्षणों, सेंसरी-मोटर परीक्षणों के लिए विविध सैट (तीक्ष्णता, विभेदीकरण, समन्वय और मनोरंजन, अधिगम संकल्पना अभिनिर्धारण पर प्रयोगों के लिए सामग्री आदि)' ।

4.3 शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए उपस्कर :

अनिवार्य :

एक रेडियो, एक टी. वी., एक आडियो कैसिट रिकार्डर, एक 35 एम एम का स्लाइड-कम-फिल्म-स्ट्रिप प्रोजेक्टर, एक ओवरहेड प्रोजेक्टर, एक स्टिल कैमरा, दस सादे आडियो कैसिट, चार्ट और स्लाइडों को तैयार करने के लिए कला सामग्री, पारदर्शी चित्रों के लिए सामग्री ।

वांछनीय :

एक वी. सी. आर., एक एम्प्लीफायर, दो लाउडस्पीकर, दो माइक्रोफोन, दो वीडियो कैमरा, छः वीडियो कैसिट, एक कम्प्यूटर पी. सी. ।

4.4 कार्य अनुभव प्रयोगशाला :

विविध कार्यकलापों के लिए इन प्रयोगशालाओं में उपस्कर अपेक्षित होंगे । बागवानी के औजारों के दो सैट, संबंधित क्षेत्र से सबद्ध वर्तमान और आगे के कार्यकलापों के लिए औजार उपस्कर विशेषज्ञ समिति विस्तृत निर्णय लेगी ।

अनिवार्य :

कुछ क्षेत्रों में संस्था में चलाए जा रहे कार्य अनुभव कार्यकलापों के लिए अपेक्षित हस्त-औजारों के चार सेट, बागवानी के औजारों के चार सैट, अन्य आवश्यक उपस्कर ।

वांछनीय :

महत्वपूर्ण और अतिरिक्त कार्य-अनुभव कार्यकलापों के लिए हस्त-औजारों के विविध सैट ।

4.5 खेल-कूद के लिए उपस्कर :

अनिवार्य :

मैदान में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए संस्था के पास पर्याप्त खेल-कूद के उपस्कर और सामग्रियां होनी चाहिएं ।

4.6 पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए मानदंड :

अनिवार्य :

पुस्तकालय में प्रारम्भ में पाठ्यपुस्तकें और संदर्भ पुस्तकों सहित कम से कम 1500 पुस्तकें होनी चाहिएं । कम से कम 150 पुस्तकें प्रति वर्ष जोड़ी जानी चाहिएं । जिनमें से आवश्यक पाठ्य-पुस्तकों में से कुछ की दो प्रतियां या तीन प्रतियां होनी चाहिएं । संस्था में कम से कम पांच पत्रिकाएं आनी चाहिए जिनमें से तीन पेशे से संबंधित शैक्षिक पत्रिकाएं होनी चाहिएं ।

वांछनीय :

पाठ्यपुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों सहित कम से कम 5000 पुस्तकें/दस पत्रिकाएं मंगानी चाहिएं जिनमें से पांच पेशे से संबंधित और शैक्षिक पत्रिकाएं होनी चाहिएं ।

4.7 फर्नीचर के लिए मानदंड :

सांस्थानिक भवन में सभी कमरों में पर्याप्त और उपयुक्त फर्नीचर होने चाहिए । संस्था के विभिन्न कमरों में फर्नीचर के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं :

मानदंड

फर्नीचर की प्रकृति	अनिवार्य	वांछनीय
1	2	3
1. कक्षाकक्ष :		
विद्यार्थियों की मेज और सीट	प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 1 सैट × 60 (प्रत्येक कक्षाकक्ष के लिए 60 सैट)	60 सैट (अच्छी गुणवत्ता वाली)
शिक्षक की टेबल और कुर्सी	प्रत्येक कक्षाकक्ष में शिक्षक के लिए 1 सैट	शिक्षक के लिए अतिरिक्त टेबिल
ब्लैकबोर्ड	प्रत्येक कक्षाकक्ष में 2.5 मी० × 1 मी० के आकार का 1	प्रत्येक कक्षाकक्ष में 3.5 मी० × 1 मी० के आकार का अतिरिक्त बोर्ड

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

79

1	2	3
2. सेमिनार कक्ष :	पर्याप्त और सेमिनार के अनुरूप उपयुक्त ढंग से व्यवस्थित	
टेबिल		
विद्यार्थियों के लिए कुर्सियां	40	60
शिक्षकों के लिए कुर्सियां	2	5
3. हॉल		
मंच	एक (3 मी० × 6 मी० और 1.0 मी० ऊंची)	
कुर्सियां	5 मंच-कुर्सियां + 120 फर्श पर रखी जाने वाली कुर्सियां	10 मंच-कुर्सियां + 150 फर्श पर रखी जाने वाली कुर्सियां
4. प्रयोगशाला		
कार्य टेबिल (विज्ञान, मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और अन्य प्रयोगशालाएं)	प्रत्येक प्रयोगशाला में 1.25 × 0.9 मी० के आकार की 4 टेबिल प्रत्येक टेबिल के लिए 4 स्टूल (0.6 मी० ऊंचे)/कुर्सियां	5 टेबिल
शिक्षक के लिए टेबिल	प्रति प्रयोगशाला 1	प्रति प्रयोगशाला 1
शिक्षक के लिए कुर्सी	प्रति प्रयोगशाला 1	प्रति प्रयोगशाला 1
स्टील की अलमारी	प्रति प्रयोगशाला 1	प्रति प्रयोगशाला 2
भंडारण के लिए रैक	प्रति प्रयोगशाला 2	प्रति प्रयोगशाला 4
5. कार्यशाला		
(प्रत्येक कार्यशाला के लिए फर्नीचर) कार्य बैंचें/स्टूल	(1.25 मी० × 2 मी० × 0.75 मी० के आकार की 4 कार्य बैंचे 20 (0.5 मी० ऊंचे)	6 कार्य बैंचें
शिक्षक के लिए टेबिल	प्रति प्रयोगशाला 1	प्रति प्रयोगशाला 1
शिक्षक के लिए कुर्सी	प्रति प्रयोगशाला 1	प्रति प्रयोगशाला 1
स्टील की अलमारी	प्रति प्रयोगशाला 1	प्रति प्रयोगशाला 2
भंडारण के लिए रैक	प्रति प्रयोगशाला 2	प्रति प्रयोगशाला 4
ब्लैकबोर्ड	1 (3.5 मी० × 1.0 मी०)	1 (3.5 मी० × 1.0 मी०)
(सम्बद्ध और पास के कार्य केन्द्रों के साथ सक्रिय आदान-प्रदान और सम्बन्ध)		
6. पुस्तकालय		
पुस्तकों के ताके	2000 पुस्तकों के लिए पर्याप्त	4000 पुस्तकों के लिए पर्याप्त तथा आवश्यक वही
पाठकों के लिए टेबिल और कुर्सियां	पठन कक्ष की क्षमता के अनुसार प्रति पाठक एक सैट	
पत्रिकाओं के लिए रैक	एक	एक

Attested

12/3/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

80

IndiaCode

1	2	3
सूची पत्र पेटिकाएं	2000 कोडों को रखने के लिए 4 सूची पत्र ट्रे	आवश्यक संख्या की दूनी
पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए फर्नीचर	एक टेबिल, दो कुर्सियां, एक नत्थीकरण पेटिका	यथा आवश्यक वही
सूचना बोर्ड	एक	एक
बुलेटिन बोर्ड	एक	एक
पुस्तकालय स्वचलन	—	कम्प्यूटर फर्नीचर और एक पी० सी० डी० आर० ओ० एम०
7. प्रधानाचार्य का कमरा		
टेबिल	1	1
कुर्सियां	5	5
सोफा सैट	1	1
स्टील अलमारी	1	1
पुस्तक रैक	1	1
नत्थीकरण पेटिका	1	1
8. शिक्षकों का कमरा		
टेबिल	प्रत्येक शिक्षक के लिए एक	यथा आवश्यक वही
कुर्सियां	प्रत्येक शिक्षक के लिए एक	
आलमारी/पेटिकाएं		सब के लिए सामान्य स्टील पेटिकाएं
9. कार्यालय का कमरा		
कुर्सी+टेबिल	प्रत्येक कमचारी के लिए एक सैट	प्रत्येक कर्मजारी के लिए एक सैट
अतिरिक्त कुर्सियां	3 सैट	प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक सैट
स्टील आलमारी	एक	दो
नत्थीकरण पेटिका	एक	एक
नत्थीकरण रैक	दो	चार
सूचना बोर्ड	दो	दो
स्टूल/कुर्सियां	प्रत्येक सहायक के लिए एक	प्रत्येक सहायक के लिए एक
10. भंडारण कक्ष		
स्टील आलमारी	एक	दो
भंडारण रैक	तीन	पांच
11. विद्यार्थियों के लिए सामान्य कमरा	प्रत्येक सामान्य कमरे के लिए 20	प्रत्येक सामान्य कमरे के लिए 20
कुर्सियां		
लम्बी टेबिल	12 कुर्सियों के लिए पर्याप्त	20 कुर्सियों के लिए पर्याप्त

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

5.0 कर्मचारियों के लिए मानदण्ड

5.1 शिक्षक (एन–60 विद्यार्थी)

पद	अपेक्षित संख्या		विशेष शिक्षा	अर्हता और अनुभव
	अनिवार्य	वांछनीय		
प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक	रीडर की श्रेणी एक	प्रोफेसर की श्रेणी एक	शिक्षा	शिक्षा में पी० एच० डी० या एम० ए० (शिक्षा)/ प्रथम/द्वितीय श्रेणी से/एम० ए० शिक्षण और/या अनुसंधान +या प्रशासन में दस वर्ष का अनुभव
शिक्षा में रीडर		(प्रत्येक 60 विद्यार्थियों के लिए)	शिक्षा	शिक्षा में पी० एच० डी० या एम० ए० (शिक्षा)/ प्रथम/द्वितीय श्रेणी से एम० एड०, सम्बद्ध स्कूली विषय में स्नातकोत्तर, बी० एड०/एम० एड० के बाद 5 वर्षों का शिक्षण और/ या अनुसंधान का अनुभव ।
शिक्षा में लेक्चरर	60 विद्यार्थियों की प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम 6	प्रत्येक 60 विद्यार्थियों के लिए 6	प्रत्येक प्रणाली के लिए कम से कम एक, प्रत्येक शिक्षा शास्त्र के लिए एक	स्कूली विषय में मास्टर डिग्री सहित प्रथम/द्वितीय श्रेणी से एम० एड०; एम० फिल या पी० एच डी० वालों को अधिमानता तथा शिक्षण में (स्कूल, कालेज) 3 वर्षों का अनुभव
शारीरिक शिक्षा में लेक्चरर	(120 विद्यार्थियों की प्रत्येक इकाई के लिए)	(120 विद्यार्थियों की प्रत्येक इकाई के लिए)	शारीरिक शिक्षा	शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री कम से कम बी० पी० एड०
कार्य अनुभव में अनुदेशक	(120 विद्यार्थियों के लिए)	(प्रत्येक 120 विद्यार्थियों के लिए)	कृषि, औद्योगिक या अन्य शिल्प	शिल्प में प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा
कला और संगीत में अनुदेशक	(120 विद्यार्थियों के लिए)	(प्रत्येक 120 विद्यार्थियों के लिए)	ललित, कला संगीत और निष्पादन कला	ललित कला में डिप्लोमा सं०/ प्रमाणपत्र

टिप्पणी : शिक्षा (प्रधानाचार्य को छोड़कर) में शिक्षकों (रीडर या लेक्चरर) की कुल संख्या सूत्र एस०/60×6 के द्वारा दी गई है जहां एस० का अर्थ विद्यार्थियों की संख्या है, और यदि एस० 160 भिन्न अंक हों तो 1/2 से अधिक अंक संख्या होने पर इसे अगले पूर्णांक में बदल दिया जाता है । दूसरे रूप में 1:10 शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात का अनुपालन किया जा सकता है ।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

5.2 तकनीकी सहायता के लिए कर्मचारी

पद	अनिवार्य	वांछनीय	अर्हताएं
पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	पुस्तकालय/शिक्षक में 10 वर्षों के अनुभव के साथ पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर की डिग्री तथा 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर डिग्री/डिप्लोमा
तकनीकी सहायक	—	(कार्यशाला और शिक्षा प्रौद्योगिकी के लिए) 2	आई० टी० आई० प्रमाणपत्र/डिप्लोमा, श्रव्य-दृश्य शिक्षा/वीडियो बनाने में प्रशिक्षण सहित हाई स्कूल प्रमाणपत्र

5.3 60 विद्यार्थियों की इकाई के लिए प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारी (कर्मचारियों की संख्या में विद्यार्थियों के अनुपात में वृद्धि होगी) ।

पद	(एन०=60 विद्यार्थी) के लिए अनिवार्य	(एन०=60 विद्यार्थी) के लिए वांछनीय	अर्हताएं
प्रशासनिक कर्मचारी और सहायक	3=1+1+1	3=1+1+1 अतिरिक्त और अद्यतन स्वचालन कौशल सहित	सम्बद्ध सरकारी नियम के अनुसार और कार्यालय स्वचालन कौशल

5.4 कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रकृति

सभी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक और नियमित आधार पर होगी । विधिवत गठित चयन समिति सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगी । शिक्षकों के चयन के लिए चयन समिति में स्थानीय नियमों की अपेक्षानुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का एक नामिती और विश्वविद्यालय/सरकार का एक नामिती होना चाहिए ।

शिक्षकों के वेतन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार होने चाहिएं ।

6.0 आवर्ती लागतों के लिए मानदंड

माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के आवर्ती व्यय के मानदंड निम्नलिखित होंगे :—

संस्था के वार्षिक बजट में पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए ।

(क) वेतन	भत्तों और लाभों सहित सभी कर्मचारियों के कुल वेतन	
(ख) शैक्षणिक सामग्री की खरीदारी	अनिवार्य (प्रति विद्यार्थी रु०)	वांछनीय (प्रति विद्यार्थी रु०)
विज्ञान प्रयोग एवं कार्यकलाप	50	100
मनोविज्ञान एवं शिक्षा	50	75
शैक्षिक प्रौद्योगिकी	100	150
कार्यशाला और कार्य अनुभव	100	125
कला और संगीत	50	60
खेल-कूद	50	75
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	150	200
(ग) फुटकर व्यय	50	75
कुल	600	860

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

कुल दाखिल विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार संस्था के लिए कुल आवर्ती व्यय का प्राक्कलन किया जा सकता है ।

7.0 पाठ्यचर्या संबंधी कार्य विवरण के लिए मानदंड

7.1 कार्य–दिवसों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार से किया जाएगा : 20 प्रति वर्ष/सत्र

सभी दाखिला 10 कार्य– दिवसों के अन्दर पूरे कर लिए जाने चाहिए (संस्था के पुन: खुलने के बाद)

संस्था में शिक्षण दिवस : 150 कार्य दिवस

पर्यवेक्षण के साथ प्रयोग : 40 कार्य दिवस

शिक्षण/अन्य कार्य : 10 कार्य दिवस

परीक्षा दिवस

7.2 शिक्षण दिवसों के दौरान प्रति दिन 5 से 6 घंटे का शिक्षण होना चाहिए जिनमें से उसे 4 घंटे प्रतिदिन सिद्धांत संबंधी शिक्षण के लिए शेष प्रयोग संबंधी कार्य के लिए दिए जाने चाहिए । विद्यार्थी समूहों में प्रयोग संबंधी कार्य कर सकते हैं । जब एक समूह विज्ञान संबंधी प्रयोग करता है तो दूसरा मनोविज्ञान संबंधी प्रयोग करता है, तीसरा समूह कार्यशाला या शैक्षिक प्रौद्योगिकी में कार्य करता है और चौथा समूह इकाई विज्ञान में कार्य करता है ।

7.3 प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा किए जाने वाले प्रयोग संबंधी कार्य के मानदंड ।

मद	अनिवार्य	वांछनीय
स्कूल/पाठ्यक्रम से संबंधित विज्ञान के प्रयोग	10	15
शिक्षण संबंधी सामग्रियों की तैयारी	20	24
मनोविज्ञान संबंधी परीक्षण उपलब्धियों और प्रतिपादन का संचालन	5	
श्रव्य–दृश्य उपस्करों का प्रयोग	सभी उपलब्ध उपस्कर	सभी उपलब्ध उपस्कर
पाठ योजनाओं (प्रारंभिक प्रशिक्षण पाठों के अलावा) की तैयारी	10	16
इकाई और संसाधन योजनाओं की तैयारी	2 (समूह कार्य)	4 (समूह कार्य)
प्रत्येक प्रणाली विषय में अच्छे शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए पाठों का अवलोकन	10	10
प्रत्येक प्रणाली विषय में प्रदर्शन संबंधी पाठों का अवलोकन	5	10
प्रत्येक प्रणाली विषय में परीक्षण मदों में इकाई परीक्षण और परीक्षा प्रश्न पत्र की तैयारी	20+1+1 (समूह कार्य)	30+2+2 (समूह कार्य)
मामले का अध्ययन/कार्य अनुसंधान/ अन्य परियोजना	1	2

7.4 संचालित/व्यवहार शिक्षण :

स्कूल में व्यवहार (शिक्षण के लिए उपलब्ध कक्षा/वर्गों के अनुसार प्रति वर्ग अधिक से अधिक दो विद्यार्थियों की दर से विद्यार्थियों को कार्य दिया जा सकता है । एक विद्यार्थी को प्रतिदिन दो घंटे पढ़ाना चाहिए और अन्य शिक्षकों के दो पाठों का अवलोकन करना चाहिए । संस्था के शिक्षकों और स्कूली शिक्षकों द्वारा सभी पाठों का पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को उनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए । प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक प्रणाली विषय में 20 पाठ पढ़ाना चाहिए और उनका रिकार्ड रखना चाहिए । (प्रत्येक प्रणाली में 25 पाठ वांछनीय है) । विद्यार्थियों को नजरबंद शिक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए 4 सप्ताह की ब्लाक अवधि के लिए स्कूल में रखना बेहतर होगा ताकि व्यवहार शिक्षण के अलावा वे स्कूल के अन्य कार्यकलापों में भाग ले सकें। प्रशिक्षण संस्था के साथ व्यवहार शिक्षण देने वाला स्कूल का संलग्न होना बेहतर है ।

8.0 दाखिला और शुल्कों से संबंधित मानदंड

8.1 दाखिला संबंधी मानदंड

अनिवार्य :

भावी शिक्षक का स्तर अध्यापक शिक्षा संस्था में दाखिल विद्यार्थियों के स्तर पर निर्भर करेगा । बी. एड. या मास्टर डिग्री के पाठ्यक्रमों में दाखिला संबंधी मानदंड को काफी उन्नत बनाना होगा । प्रारम्भ में दाखिला के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री परीक्षा में कुल प्राप्तांक के 45% अंक का मानदंड निर्धारित करना होगा, बशर्ते कि आवेदक प्रथम या द्वितीय डिग्री स्तर पर स्कूल शिक्षा से संबंधित विषयों को रखा हो । अ. जा./अ. ज. जा. के संबंधित विषयों को रखा हो । अ. जा./अ. ज. जा. को नियमों के अनुसार होगी ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

84

वांछनीय :

दो स्कूली विषयों या एक विस्तृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के साथ डिग्री परीक्षा में कुल प्राप्तांक का 50% अंक दाखिला के लिए मानदंड निर्धारित करना वांछनीय है ।

8.2 चयन प्रक्रिया

अनिवार्य :

दाखिला के लिए सभी विद्यार्थियों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए । राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित अन्य एजेंसी द्वारा संचालित चयन परीक्षा द्वारा योग्यता का निर्धारण किया जाएगा ।

8.3 शुल्क ढांचा और छात्रवृत्ति

अनिवार्य

शुल्क का ढांचा समय-समय पर राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार होगा । बशर्ते कि विद्यार्थियों से कुल वार्षिक प्राप्ति पाठ्यक्रम के लिए संस्था के कुल आवर्ती व्यय से अधिक न हो और एक व्यक्ति से लिया जाने वाला शुल्क राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमानित प्रति विद्यार्थी आवर्ती व्यय से अधिक न हो ।

वांछनीय

मेधावी गरीब विद्यार्थियों के लिए कुछ निःशुल्कता का प्रावधान/योग्यता के आधार पर कुछ छात्रवृत्तियों का प्रावधान ।

9.0 प्रबन्धन और वित्त संबंधी मानदण्ड

9.1 एक विस्तृत प्रबन्धन समिति होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा सुझाए गए अध्यक्ष और सदस्य तथा प्रतिनिधियों के रूप में प्रधानाचार्य और दो कर्मचारी होने चाहिए ।

9.2 संस्था आर्थिक रूप से सुदृढ़ और व्यवहार्य होनी चाहिए । सरकार/स्थानीय स्वशासन/विश्वविद्यालय संस्थाओं को समय-समय पर पर्याप्त निधि प्रदान करने का आश्वासन देना चाहिए । निजी संस्थाओं के पास 3 लाख रु. की अक्षय निधि और 2 लाख रु. की सुरक्षित निधि होनी चाहिए (जब तक कि पूर्ण सहायता अनुदान उपलब्ध और सुनिश्चित न हो जाए) ।

9.3 संस्था को बजट बनाने, व्यय संस्वीकृत करने, लेखा-जोखा रखने और लेखा परीक्षा करने की उपयुक्त प्रक्रियाओं/प्रणालियों का अनुपालन करना चाहिए, वार्षिक लेखा-परीक्षा सनदी लेखाकार द्वारा की जानी चाहिए और प्राधिकारियों को इसकी विधिवत रिपोर्ट दी जानी चाहिए ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-9

Indiacode

85

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

New Delhi, the 26th December 1995

No. F.28—4/95-NCTE.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (0) of sub-section (2) of section 32 read with sub-section (7) of section 7υ of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the Council hereby makes the following regulations for the procedure to be followed by the Regional Committees of the National Council for Teacher Education :

1. Short Title and Commencement :

(i) These regulations will be called the Ntional Council for Teacher Education (procedure to be followed by the Regional Committees) Regulations, 1995;

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Applicability :

These regulations shall be applicable to the matters relating to :

(a) consideration of applications for recognition under the Act from institutions offering courses or training in teacher education immediately before the appointed day;

(b) consideration of applications for recognition from institutions intending to offer a course for training in teacher education;

(c) consideration of applications for increase in the intake of students to the courses already included while granting recognition;

(d) consideration of applications from recognised institutions for permission to start any new course or training in teacher education;

(e) issues which fall under section 17 of the Act;

(f) such other functions as may be assigned by the Council from time to time.

3. Definition :

In those regulations unless the context otherwise requires:

(a) "Act means, National Council for Teacher Education Act 1993" (73 of 1993);

(b) "Appointed day" means the date of establishment of the National Council for Teacher Education under sub-section (1) of section 3;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Council appointed under clause (a) of sub-section (4) of section 3;

(d) "Regional Committee" means a committee established under section 20;

(e) "Convenor" shall mean an officer of the National Council for Teacher Education nominated as Convenor of the meetings of the Regional Committee;

(f) "Member" of the Council shall mean member nominated by the Council to the Regional Committee under clause (a) of sub-section 3 of section 20 of the Act;

(g) "Chairperson" of the Regional Committee shall mean a Chairperson nominated by the Council under sub-section 4 of section 20 of the Act as Chairperson of the Regional Committee;

(h) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the National Council for Teacher Education Act 1993 (73 of 1993) shall have the meaning respectively assigned to them in the said Act.

4. The Member Secretary of the Council shall nominate the Convenor for the meetings of the Regional Committee. The Convenor shall function under the overall supervision and guidance of the Chairman of the Regional Committee in so far as matters relating to convening, preparation of agenda and preparation of the minutes of the meetings of the Regional Committee.

5. Every meeting of the Regional Committee shall be convened by a letter in writing issued by the Convenor. Notice convening meeting of the Regional Committee shall be issued to all Members of the Regional Committee 15 days prior to the date of the meeting indicating date, time and venue of the meeting.

6. Chairman Regional Committee shall fix the time, date and venue of the meeting of the Regional Committee.

7. The Convenor of the meetings of the Regional Committee shall draw up the minutes of the meeting of the Regional Committees whenever held and after obtaining approval to the draft of the minutes shall circulate the same to all members of the Regional Committee.

In case any comments/modifications/objections are received for the minutes, the same shall be placed before the Chairman of the Regional Committee and together with his/her views, if any, the minutes shall be placed before the subsequent meeting of the Regional Committees for confirmation. In the event of any objections to the record of the minutes, the same shall be resolved in subsequent meeting of the Regional Committee subject to the provisions in respect of objections/points raised by the member nominated by the Council and would be dealt as per provisions indicated in Regulation 8 below.

8. Procedure :

(a) The Regional Committee shall decide issues by concensus after taking into account the view point of members present in light of rational presented in support thereof.

(b) In the event of difference of opinion in the meeting on the interpretation of eligibility conditions for recognition and application of norms and standards laid down by the Council, the matter shall be referred to the Council by the convenor of the Regional Committee.

(c) On receipt of reference in pursuance of clause (b) above, the matter shall be put up to the Chairperson of the Council for clarification/decision. Provided, however, the Chairperson may place the matter before the appropriate forum as deemed fit by the Chairperson.

9. The Chairperson NCTE shall nominate any other member of the Council to be its nominee, in the event of the appointed nominees of the Council being unable to attend any particular meeting or during any particular period in the meeting(s) of the Regional Committee.

SURENDRA SINGH
Member Secretary
National Council for Teacher Education

New Delhi, the 10th January 1996

No. F. 28-5/95-NCTE.—In exercise of the powers conferred in clause (a) of sub-section (2) of Section 32 read with sub-section (1) of Section 7 of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993 (No. 73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations, viz.

1. Short title and commencement

These regulations may be called the National Council for Teacher Education (procedure relating to meetings of the Council and quorum for such meetings) Regulations, 1995.

They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993 (No. 73 of 1993).

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

86

(b) "Council" means the National Council for Teacher Education.

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Council.

(d) "Vice Chairperson" means the Vice Chairperson of the Council.

(e) "Member Secretary" means the Member Secretary of the Council.

3. Meetings of the Council

(1) The Council shall meet as often as may be necessary to transact its business but shall meet atleast once in a calendar year.

(2) The Chairperson shall fix the date, time and place of the meeting of the Council and approve the agenda for the meeting.

(3) A member shall attend all the meetings of the Council, save where leave of absence has been granted by the Chairperson in writing, and shall sign the meetings book kept for such meetings.

4. Notice of meeting and list of business

(1) A written notice for every meeting of the Council shall be given by the Member Secretary to all the members atleast fifteen days before the date fixed for the meeting.

(2) The notice shall state the place, date and time of the meeting and shall specify the business proposed to be transacted thereat.

(3) A separate agenda for the meeting shall be prepared and dispatched to all the members alongwith the notice or immediately thereafter.

(4) No business which is not on the agenda shall be considered at the meeting without the permission of the Chairperson or in his absence the Vice Chairperson or the other presiding member, as the case may be.

5. Quorum

(1) At every meeting of the Council at least one--third of the Members excluding the number of vacancies, shall form the quorum.

(2) If at any meeting the quorum is not available for any reason, the presiding member shall, after waiting for thirty minutes, adjourn the meeting to such hour on the same day or the following day or some other day as he may think fit and the notice of such adjournment shall be given to the members present, as well as affixed on the Notice Board of the Notice Board of the Council and business which was to have been brought before the original meeting, had there been a quorum, shall be brought before the adjourned meeting and may be disposed off irrespective of the quorum.

6. Emergent Meetings

(a) The Chairperson may call an emergent meeting of the Council at any time reducing the period of notice at his discretion to deal with any urgent matter requiring its attention.

(b) The Chairperson shall call an emergent meeting at his discretion on the merits of urgency if he receives a requisition in writing signed by not fewer than seven members and stating the purpose for which they desire the meeting to be called.

7. Minutes of the meeting

(1) Immediately after each meeting of the Council, the Member Secretary shall draw up the minutes of the meeting and submit the same to the Chairperson, Vice Chairperson or the other presiding member, as the case may be, for his approval for taking further necessary action. The minutes so approved shall be circulated to all the members of the Council for inviting comments, if any.

(2) The minutes circulated under sub-regulation (1) of Regulation 7 shall be placed before the Council for confirmation, and subject to such modifications, if any, as the Council may deem fit to be made therein. The minutes so approved shall be signed by the Chairperson or in his absence, the Vice Chairperson or the presiding member, as the case may be, and may form a part of the computer files and the register to be maintained for reference and record.

SURENDRA SINGH
Member Secretary
National Council for Teacher Education

New Delhi, the 29th December 1995

No. F. 28-11/95 NCTE.—In exercise of the powers conferred under clause (f) and (g) of sub-section (2) of the section 32 read with section 14 and 15 of the NCTE Act, 1993 (No. 73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations.

1. *Short Title and Commencement*

These regulations may be called the National Council for Teacher Education (application for recognition the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995.

2. *Definition*

In these regulations unless the context otherwise requires :—

(i) "Act" means National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993).

(ii) "New course or training in teacher education" means any course or training in teacher education which was not being offered by the institute at the time of recognition but is proposed to be offered by the recognised institution.

(iii) All other terms shall have the same meaning as contained in section 2 of the Act.

3. *Application for recognition*

(a) Every institution offering a course or training in teacher education immediately before the 17th August, 1995 shall make an application for recognition under the Act to the Regional Committee in the form given in Appendix I to these Regulations.

(b) Every institution intending to offer a course or training in teacher education shall make an application for recognition under the Act in the form given in Appendix-I to these Regulations.

(c) The application shall be submitted to the Regional Committee in whose territorial jurisdiction the institution is located.

(d) Territorial jurisdiction of the Regional Committee is given in Appendix-II to these Regulations.

4. *Application for permission to start new course or training or increase in intake*

(a) Where any recognised institution intends to start any new course or training of in teacher education it shall make an application to the Regional Committee concerned in Appendix-I to these Regulations.

(b) Where any recognised institution intends to increase its intake of students beyond the intake approved for such course or training, the recognised institution shall make an application to the Regional Committee concerned in Appendix-I to these Regulations.

(c) The application shall be submitted to the Regional Committee in whose territorial \jurisdiction the institution is located.

(d) Territorial jurisdiction of the Regional Committee is given in Appendix-II to these Regulations.

5. *Manner of making application*

(a) Application for recognition in the Form given in Appendix I shall be made to the Regional Committee concerned.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

87

(b) Application for permission to start new course or training in teacher education shall be made by the recognised institution in the Form given in Appendix-I to the Regional Committee concerned.

(c) Application for recognition of institution shall be submitted in triplicate.

(d) Application for recognition of institution offering a course or training in teacher training immediately before 17th August, 1995, shall be submitted directly to the Regional Committee concerned.

(e) Every instintution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit appilcation for recognition with a no objection certificate from the State or Union Territory in which the institution is located.

(f) Application for permission to start new course or training and/or to increase intake by recognised institutions under Regulation 4 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with no objection certificate from the State or Union Territory in which the institution is located.

6. *Fees*

Application for recognition of the institution or permission to start new course or training by recognised institution shall be accompanied by fees for such application as indicated from time to time by the Council and shall be in the form of Demand Draft drawn in favour of "Regional Committee, National Council for Teacher Education" payable at the place of the Regional Committee concerned.

7. *Time limit for making applications*

(a) Every institution offering a course or training in teacher education immediately before the 17th August, 1995 shall make an application so as to reach the concerned Regional Committee within a period of six months i.e. 16th February, 1996.

(b) Every institution intending to offer a course or training in teacher education shall make an application so as to reach the concerned Regional Committee by the 31st December every year for commencement of course or training from the next academic session.

(c) Application for permission to start any new course or training in teacher education by recognised institutions shall be submitted in the form in Appendix-I, so as to reach the Regional Committee concerned before 31st December of the calendar year for the course or training in teacher education proposed to be offered in the next academic year.

8. *Condition for recognition*

(a) Regional Committee shall satisfy itself on the basis of scrutiny and verification of facts as contained in the application for recognition and or recognition of the institution where considered necessary of any other manner deemed fit, that the institutions has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and such other conditions required for the proper functioning of the institutions for the course or training in teacher education which are being offered or intending to offer.

(b) Regional Committee shall ensure that every institution applying for recognition fulfil the conditions given in Appendix-III.

9. *Conditions for grant of permission to recognised institutions to start new course or training.*

(a) Regional Committee shall satisfy itself on the basis of scrutiny and verification of facts as contained in the application of recognised institution for starting a course or training in teacher education and or inspection of recognised institution where considered necessary or any other manner deemed fit that institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and such other condition required for offering the course or training.

(b) Regional Committee shall ensure that every recognised institution applying for permission to start a new course or training fulfil the conditions given in Appendix.

10. Regional Committte shall follow the provisions of the Act under section 14 in the matter of consideration of application for recognition before passing orders on the application of institutions.

11. Regional Committee shall follow the provisions of the Act under section 15 in the matter of consideration of applications from recognised institutions for permission to start a new course or training in teacher education.

12. Applications for recognition of institutions offering a course or training in teacher education of innovative nature and or different in terms of course content methodology, duration etc. shall be dealt by the Regional Committee concerned in such manner as may be determined by the Council either by general or special order.

SURENDRA SINGH
Member Secretary
National Council for Teacher Education

APPENDIX-I

TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS
(RECOGNITION/PERMISSION)
PROFORMA
NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
NEW DELHI

1995

RECOGNITION/PERMISSION FOR TEACHER EDUCATION INSTIUTTIONS/COURSES

APPLYING FOR

Hand I dication

For YES answer, kindly insert tick (√); and for NO answer, kindly insert cross (×) in the respective box. Use relevant response option(s)

1. RECOGNITION OF INSTITUTION — EXISTING ☐ NEW ☐

2. ARE YOU APPLYING FOR

a. RECOGNITION OF OLD INSTITUTION — Yes ☐ No ☐

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेंट्रल लाइन्स, दिल्ली-54

88

b. PERMISSION TO START NEW COURSE(S) Yes ☐ No ☐

c. ADDITIONAL INTAKE Yes ☐ No ☐

3. EXISTING COURSE(S): Please write name of the Course(s)

Teacher Education Course(s)	Duration in Year(s)	Seats Proposed	Additional Seats
a.			
b.			
c.			

4. NEW COURSE(S) PROPOSED :

Teacher Education Course(s)	Duration in Year(s)	Seats Proposed	Additional Seats
a.			
b.			
c.			

5. OTHER (NON-TEACHER EDUCATION) COURSE(S), if any (Please write the name of the Course) IN THE INSTITUTION

a

b

c

6. PROPOSED COURSE(S) TO BE LOCATED IN THE EXISTING CAMPUS Yes ☐ No ☐

(write name of the course)

a

c

c

APPLICATION PROFORMA FOR RECOGNITION OF TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS/PERMISSION TO START NEW COURSE OR TRAINING BY RECOGNISED INSTITUTION

— You may refer to relevant regulations, norms and standards prepared by the NCTE.

— For YES answer, kindly insert tick [√]; and for NO answer, kindly insert cross [×] kindly in the respective place

1.0 GENERAL INFORMATION

1.1 Name of Institution _____

1.2 Postal Address _____

Post Office _____ Pin _____

District _____

State _____

1.3 Telephone No. of Head of Institution _____

1.4 Telegraphic Address _____

1.5 Nearest Railway Station _____ distance _____ Kms.

1.6 If in rural area, nearest town _____ distance _____ Kms.

1.7 Nearest Bus Stand _____

Its distance from Institution _____ Kms.

1.8 Transport facility available from Institution to town (Please tick/cross)

Town Bus ☐ Auto Rickshaw ☐ Cycle Rickshaw ☐

1.9 Please tick/cross the facilities available in the institution

Electricity ☐ Water Supply ☐ Telephone ☐

1.10 Number of practicing schools available (within 10 kms) _____

and number of Sections available for field work _____

(Enclosed letters of consent from heads of schools indicating Section(s) offered)

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

89

IndiaCode

1.11 Distance of your institution from nearest Teacher Education Institution.

Balwadies	☐	Kms.	Nursery	☐	☐	Kms.	
Elementary	☐	Kms.	Secondary	☐		Kms.	
Any other	☐	Kms					

2.0 MANAGEMENT

2.1 The Institution is managed by (Please tick/cross)

Central Government	☐	UT/State Government	☐
Local Self Government	☐	Registered Society/Trust	☐
Any other (please specify)	☐		

2.2 If managed by registered Society/Trust, do you receive grant-in-aid from Government? Yes ☐ No ☐

2.3 If managed by registered Society/Trust, when was it registered _____

Please enclose the following : (Check one, if enclosed)

Certificate of registration Yes ☐ No ☐

Memorandum of Association/By-Laws Yes ☐ No ☐

2.4 If managed by Board, enclose Sanction order of the Board Yes ☐ No ☐

2.5 If managed by Government, enclose Sanction order of the Government Yes ☐ No ☐

2.6 Academic year of starting the Course Starting Date_____

Closing Date_____

2.7 Is it recognised by State Government ? Yes ☐ No ☐

Please enclose letter of recognition. Yes ☐ No ☐

2.8 Is this application submitted for—(Check one)

Permission for starting a new Course(s) Yes ☐ No ☐

Recognition of existing Course(s) by NCTE Yes ☐ No ☐

Additional intake for existing Course(s) Yes ☐ No ☐

2.9 If a new course, have you obtained permission of Central/State Government for starting the Course(s) ? Yes ☐ No ☐ Applied for ☐

3.0 LAND AND BUILDINGS

3.1 Please state the land area possessed by the institution_____acres

(Have you attached registered document as proof of ownership) Yes ☐ No ☐

Please enclose copy of registered documents as proof of ownership. Yes ☐ No ☐

3.1.1 Is land area in one composite plot ? Yes ☐ No ☐

3.1.2 If in more than one plot, what is the distance between them ?_____

Mode of conveyance_____

(Attach sketch showing location of plot/plots) Yes ☐ No ☐

3.2 Total floor area of existing buildings of the institution_____sq. mts.

Floor area available for the proposed course(s)_____sq. mts.

(Attach approved floor plan of building) Yes ☐ No ☐

3.3 Give details of rooms and their use in the existing building of the institution for the course.

Room	Number of Rooms	Floor Area sq. mts.	Proposed Extension, Floor Area sq. mts
Classroom			
Library			
Laboratories			
Workshop			
Art Room			
Music Room			
Assembly Hall			
Principal's Room			
Office			
Staff Room			
Boys' Common Room			
Store Room			
Toilets			
Any other (specify)			

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

90

IndiaCode

3.4 If a new building is being constuctred/will soon be constructed for the course(s), give the following details :

(i) Site plan of the building Yes ☐ No ☐

(ii) Approved floor plan of the building Yes ☐ No ☐

(iii) Date of starting the construction Month—— Year——

(iv) Likely date of completion of construction Month—— Year——

(v) Indicate floor area given in the plan for the following——————

Room	Number of Rooms	Floor Area
Classroom		
Library		
Laboratories		
Workshop		
Art Room		
Music		
Assembly		
Principal's Room		
Office		
Staff Room		
Boys' Common Room		
Store Room		
Toilets		
Any other (specify)		

3.5 Do you have hostels for students ? Yes ☐ No ☐

3.5.1 If you have, give the following details

Hostel	Student capacity	Number of rooms for students	Total floor area
Girls' Hostel			
Boys' Hostel			

3.5.2 If you do not have hostels, do you have any future plan to construct buildings for hostels? If so, give details

Hostel	Student capacity	Floor are sq. mts.	Likely date of completion
Girls, Hostel			
Boys, Hostel			

3.5.3 What other arrangement have you made for the accommodation of outstation students?

3.6 Give details of existing and proposed staff quarters :

	Existing		Proposed	
Quarters	Number	Floor Area	Number	Floor Area
Principal				
Teachers				
Other Administrative Staff				
Helper(s)				
Any other				

7—479 GI/95

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

91

IndiaCode

3.7 Please give details of existing play-ground of the institution :

Playground	Number	area	Addl. proposed area
Footbball			
Hockey			
Cricket			
Volleyball			
Basketball			
Badminton			
Kho Kho			
Kabbadi			
Any other (Specify)			

4.0 EQUIPMENT, BOOKS AND FURNITURE

4.1 Please give details of books magazines and journals in the library:

Item	Existing number (Approx Cost)	Cost of books/equipment to be procured in next two years	
		First Year from now	Second Year From now
Books			
Journals subscribed			

4.2 Give details of equipment available and to be procured :

Item	Number of seats	Existing Equipment Cost	Cost of equipment to be procured in	
			First Year	Second Year
Psychology-cum-Guidance lab				
Science lab				
Edu. Technology lab.				
Work Experience lab				
Teaching-cum-Computer lab				
Library-cum-Reading room				
Social Sciences-cum-small group lab				
Language lab				
Games & Sports				
Arts/Music				
Any other				

4.3 Please give estimated cost of furniture to be procured for the institution (excluding hostels)

Furniture for	Total seats	Cost of existing furniture	Cost of Furniture to be procured in next two years	
			First Year	Second Year
Students				
Teacher Educators				
Principal & Office				
Lab/Workshop				
Any other				

92

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

5.0 NORMS FOR STAFF

Kindly fill in the relevant block(s) only.

5.1(a) Please give details of staff existing/proposed for institution for PRE-PRIMARY (Nursery) teacher education courses, if applicable.

Staff	Number Employed		Scale of Pay
	Full Time	Part Time	
Principal			
GENERAL TEACHER EDUCATORS			
PGT (subject-wise)			
UDT/TGT			
SPECIALIST TEACHER EDUCATORS			
Work-experience Teacher Educator			
Arts Teacher Educator			
Music Teacher Educator			
Physical Education/Games Teacher Educator			
Librarian			
Technical Assistant/Lib. Asstt.			
Office Superintendent			
UDC			
LDC/Typist			
Helper(s)			
Any other			

Enclose list of teaching staff giving their names, qualifications and experience.

5.1(b) Please give details of staff existing/proposed for institution for ELEMENTARY teacher education courses, if applicable.

Staff	Number Employed		Scale of Pay
	Full Time	Part Time	
Principal			
Teachers in Pedagogy			
Teachers in Methodology			
Physical Education Teacher			
Work-experience Teacher			
Art/Music Teacher			
Office Assistants (including Typists)			
Helper(s)			
Any other			

Enclose list of teaching staff giving their names, qualifications and experience.

5.1(c) Please give details of staff existing/proposed for institution for SECONDARY teacher education courses, if applicable.

Staff	Number employed			Scale of Pay
	Full Time	Part Time	Visiting	
Principal				
Professor				
Reader				
Lecturers in Education				
Lecturers in Physical Education				
Work Experience Teachers				
Art Teachers				
Music Teachers				
Librarian				
Technical Assistant				
Office Assistants				
Helper(s)				
Any other				

Kindly enclose list of teaching staff giving their names, qualifications and experience.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेंट्रल लाइन्स, दिल्ली-54

5.2 Please indicate your plan for recruitment of required or additional staff.

Designation	Number	Year to be recruited	Scale of Pay

5.3 Please state the constitution of the Selection Committee for teaching staff.

6.0 ADMISSION OF STUDENTS

6.1 Kindly give course-wise annual intake of students.

6.2 What is the minimum qualification for admission to the relevant Teacher Education Course ?

Qualification	Minimum Aggregate Marks Prescribed	Course Name for Admission
High School Certificate		
Higher Secondary		
Graduate		
Any other		

6.3 How are students selected for admission ? (Please Tick/cross)

- Through State admission test — Yes ☐ No ☐
- Through admission test of institution — Yes ☐ No ☐
- On the basis of aggregate mark of HSC exam — Yes ☐ No ☐
- On the basis of aggregate marks of Degree level exam — Yes ☐ No ☐
- Through interview by a Selection Committee — Yes ☐ No ☐
- Percentage———Selected by merit———By reservation
- Any other (specify)

6.4 Please state the students fees charged and scholarships/free-studentships, given if any.

Annual Tuition Fees per Student	Other Annual Fees	Scholarships: Amount	Scholarships: Number	Free Studentships: Number

6.5 Is the fee structure uniform for all students ? Yes ☐ No ☐

6.6 If not, give details of fees charged from different categories of students.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

94

6.7 Are you following State approved Fee structure ? Yes☐ No☐

7.0 FINANCE

7.1 If managed by Government/Local Government/Board, give budget provisions for the institution on items like :

(i) Salaries & Allowances _____
(ii) Equipment, Furniture & Books _____
(iii) All other items _____
(iv) Total Annual Budget _____

7.2 If managed by private body, give details of :

(i) the amount of endowment fund

(ii) the amount of reserve fund
(is it adequate to cover three months' salaries ?)

(iii) Latest annual budget : income _____ expenditure _____
(Attach certificate from bank indicating the present balance in the funds and abstract of the latest budget)

7.3 Mention other sources of income, if any.

7.4 Please state how the deficit, if any, between income and expenditure is met/proposed to be met.

Sl.	Source of income	Annual Income
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Total		

8.0 OTHER TEACHER EDUCATION COURSES

8.1 If the institution is offering instruction in Teacher Education Courses other than the one for which this application is made give details for each one of those.

Balwadies☐ Nursery☐ Elementary☐ Secondary☐

(i) Course _____
(ii) Title _____
(iii) Duration _____
(iv) Intake _____
(v) Year of Commencement _____

8.2 Present Intake of Students in the relevant course(s) _____
Proposed increase of intake, if any _____

TERRITORIAL JURISDICTION OF REGIONAL COMMITTEES OF NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

Eastern -Bhubaneswar	Western-Bhopal	Northern	Southern -Bangalore
1. Arunachal Pradesh	1. Goa	1. Haryana	1. Andhra Pradesh
2. Assam	2. Gujarat	2. Himachal Pradesh	2. Karnataka
3. Bihar	3. Madhya Pradesh	3. Punjab	3. Kerala
4. Manipur	4. Maharashtra	4. Rajasthan	4. Tamil Nadu
5. Meghalaya	5. D &N Havali	5. Uttar Pradesh	5. Laksha Dweep
6. Mizoram	6. Daman & Diu	6. Chandigarh	6. Pondicherry
7. Nagaland		7. Delhi	
8. Orissa			
9. Sikkim			
10. West Bengal			
11. Tripura			
12. A & N Islands			

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

95

IndiaCode

Address of the office of the Regional Committees are given below :

1. Regional Director
Western Regional Committee, NCTE
Manas Bhawan (near A.I.R.)
Shyamla Hills
Bhopal-462002.

2. Regional Director
Eastern Regional Committee, NCTE
Jana Sikshya Bhawan, Unit-V
Bhubaneswar-751001.

3. Regional Director
Northern Regional Committee, NCTE
Directorate of Adult Education Campus
Gopi Nath Marg, Panch Batti
Jaipur-302001. (Raj.)

4. Regional Director
Southern Regional Committee, NCTE
No. 66, 6th Main
4th Block Rajaji Nagar
Bangalore-560010.

You may use additional sheets if required

UNDERTAKING ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER TO BE SUBMITTED BY A COMPETENT FUNCTIONARY REPRESENTING THE MANAGEMENT/INSTITUTION

I/We,————————(Name of the Trustee/Chairman/Principal/Director/Head/Registrar/Correspondent) of the————————(Name of the College/Institution/Mandal/Trust/Society, etc.) hereby undertake to comply with the following in connection with my/our application for starting/stabilizing/limiting intake of————————(name of course/institution) from the session ————————(academic year).

1. That the Management including the Governing Body/Council of the (Institute/College) will be constituted and the Chairman/Secretary of the Body/Council shall be appointed as per the guidelines of the NCTE.

2. That infrastructural, instructional, and other facilities will be provided as per the NCTE norms, standards and guidelines prescribed from time to time.

3. That admission will be made as per norms and guidelines adopted by the State Government/Union Territory of ————————and the NCTE from time to time.

4. That admission to the course(s) will be made only after the minimum requisite/prescribed facilities are created and the affiliating University/Board has considered/given permission to start the course.

5. That the Faculty/Teaching Staff will be recruited through reasonably wide advertisement and open selection as per procedure, qualifications and experience etc. prescribed by the NCTE from time to time, subject to Government stipulations on reservations. State based selection will be made for categories of permissible posts for which the State Government prescribes "State-based Selection" as a general policy.

6. The tuition and other fees will be charged as prescribed by the State Government/UT Administration within the overall norms and guidelines prescribed by the NCTE from time to time. No capitation fee or donation will be charged from the student/guardians of the student or others acting on their behalf, in any form.

7. That the Management will make adequate funds available for providing satisfactory facilities and for proper programme implementation, and maintain reserve funds adequate to meet the recurring expenses and run the institution/course without difficulty for six months.

8. That the account of the institution will be properly maintained and audited annually by audit authorities or a chartered accountant, and will be open for inspection by the NCTE or persons authorised by it.

9. That the teaching and other staff will be selected according to procedures, qualifications, and experience prescribed by the NCTE from time to time.

10. That the Management will strictly follow all conditions and norms, including restriction on intake as may be laid down by the NCTE from time to time, conduct the programme in all earnestness, and submit itself to inspection by the NCTE as required at any time.

11. In the event of non-compliance by the————————(name of Society/Trust/Mandal/College/Institution etc.) with regard to guidelines, norms and conditions laid down/prescribed by the NCTE from time to time, the NCTE or a body or a person authorized by it will be free to take measures for withdrawal of its approval or recognition or permission, without consideration of any other issue, and that all liabilities arising out of such a withdrawal would solely be that of the institution/management.

12. That the Management will not cause or allow discontinuation of the course in any year or for any batch, and that where compelled it will seek the concurrence of the NCTE for discontinuation on the completion of the year/batch.

13. That the Management has seen, studied and understood the norms and conditions stipulated by the NCTE for the type of institution/course proposed, and feels that they are satisfied, or can be satisfied by the time of inspection, failing which it would be willing to accept an unfavourable decision.

14. The (College/Institution) by virtue of the approval given by the NCTE shall not automatically become claimant to any financial grant or assistance from the Central or State Government, or support from the NCTE.

Place :

Date :

(Name of the authorised person giving undertaking along with his/her Official position and Office Seal)

Witnesses :

1.

2.

APPENDIX-II(A)

NORMS AND STANDARDS FOR TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS PRE-PRIMARY

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
NEW DELHI
1995

1. INTRODUCTION

Pre-primary Teacher Education Programme (PTEP) and Nursery Teacher Education Programme (NTEP) emphasize child-centered, activity, play based, development-oriented education of children. Consistent with the thrust of National Policy of Education, these programmes have to be qualitatively and quantitatively strengthened, both in the government and non-government sectors. There is need to expand and improve the pre-primary teacher education programmes. There is need to formulate certain norms and standards which would ensure reasonable uniformity within the diversities with respect of different aspects of a programme. Here, the norms and standards specify the details related to 'Conditions' required for recognition, permission, and additional intake of seats for any course or training in teacher education. These norms and standards could be applied to other pre-primary teacher education programmes holding alternate nomencla tures.

Norms have been specified while keeping in mind the contextual realities of our country where the 'minimum' has been specified as 'essential', the 'desirable' levels have also been suggested provision of which will certainly enhance the quality of any PTEP programme. These norms and standards apply for independent PTEP institutions, as well as for al those institutions which are already running other teacher education programmes.

2. REQUIREMENTS FOR PRE-PRIMARY TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS

2.1 General : (All cost/expenditure for all subsequent item will be calculated at 1994 price level).

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

96

IndiaCode

Item	Essential 80 students	Desirable for 160 students
Intake of students [I & II year]	80(40 First year + 40 Second Year).	160 80 First year +80 Second year): Class unit size is 40 students
Teaching Staff	1 Principal 8 Lecturers/PGTs (Full time) 1 Library assistant.	1 Principal 16Lecturers/PGTs (Full time) 1 Library assistant.
Staff Student Ratio	1:10(for 80 students)	1:10
Total Land Area	5000 sq. mts	10,000 sq. mts
Floor Area of Institution	800 sq. mts	1600 sq. mts
Floor Area per Student	10 sq. mts	10 sq. mts
Total number of administrative & other staff	3	6

Note : Part time/full time TGT staff for music and dance, physical education, work experience, library, etc. can be engaged. These part time staff membrs cannot be considered for calculating prescribed teacher student ratio.

2.2 Non-recurring costs

Item	Essential (for 80 Students)	Desirable (for 160 Students)
Institutional Building (excluding hostel & staff quarters)	(80×3000 sq. mts) Rs. 24 lakhs	(160×3000 sq. mts) Rs. 48 lakhs
Equipment & Books	Rs. 1 lakh	Rs. 2 lakhs
Furniture (For institution only)	Rs. 1 lakh	Rs. 2 lakhs

Reserved Fund : The institution shall maintain a reserve fund of Rs. one lakh or as per State norms.

2.3 Recurring Costs :

Items	For 80 Students	For160 students
Salaries	As per UGC/ Govt. norms	As per UGC/ Govt. norms
Other Recurring (including materials) Costs	0·60 lakh *	1·6 lakh*
*Other recurring cost per student a year	Rs. 750/-	Rs. 1000/-

3. NORMS FOR SPACE & BUILDING

3.1 Land Area & Location :

The minimum land space required for a PTEP Institution is determined by space required for institution building and ground. It is desirable that provision be made for quarters for staff and hostel for students. Normally plinth area can be 1.4 times of the floor area.

Land Area Minimum : 5,000 sq. mts

Desirable : 10,000 sq. mts

The institutional area should be located in a relatively noise-free and pollution free area. There should be good transportation and communication facilities and availability of water, electricity and toilets.

3.2 Norms of Instructional Area

Institutional building should have provision for theory classrooms, rooms for indoor games, hall, psychology lab, library, art room, music room and workshop or work experience room. Theory classes may be for a maximum of 60 trainees in a section but prefrably 40 trainees.

It is desirable to have a pre-primary school attached to the institution.

3.2.1 Theory Classroom and Hall-cum-Seminar Room

There should be one half-cum-lecture room, additional classroom and special work rooms as suggested below.

Item	Minimum (Sq. mts)	Desirable (Sq. mts)
Hall	One-100	One-150
Class Rooms	Three-45	Four-60 each
Art and Music	One-75	One +One-75 each
Educational Technology/ Library	One-75 Cumputer lab	One +One -50 +75
Material Production Room (Science/Psychology)/ Work Experience	One-75	One-60
Games/Physical Education	One-45	One-60
Multipurpose Hall (One)	NIL	One-120

3.2.2 Workshop-cum-Science Lab.

A workshop of floor area 75 sq. mts is essential for work-experience.

3.2.3 Art Room

A room of floor area of 75 sq. mts is essential for art education.

3.2.4 Educational Technology-cum-Library Room.

A room of floor area 75 sq. mts with adequate audio-visual and mass media equipment should be used for practical work by the students.

An additional room of floor area 50 sq. mets with a person computer with necessary accessories will be desirable in the institution.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

97

3.3 Building Space for Administrative Block

Room	Essential (Sq. mts)	Desirable (Sq. mts)
Principal's Room	20	25
Teacher's Common Room	40	75
Office Room	20	30
Store Room	20	30

3.4 Building space for Amenities

It is essential to have a common room for women students having floor area of minimum 50 sq. mts. It is desirable to have a common room for men-students also with floor area of 50 sq. mts.

It is essential to have three separate toilet rooms minimum 15 sq. mts. each, one for women trainees and the other for men trainees. It is desirable to have an additional and separate toilet for staff.

It is essential to provide drinking water facilities at least at two places with drinking water available at all times during working hours.

It is desirable to provide water coolers for this purpose. It is also desirable to have desert coolers one each for Principal's room, staff room, library, common room, etc.

3.5 Building Space for Residential Area

3.5.1 Students Hostel

It is essential to have a hostel for women students. A hostel for men-students is also necessary if the students come from outside the municipal area. The hostels should have single seated or two seated rooms. The students' hostel room should have a floor area of 8 sq. mts—per student, kitchen and dinning area of 1.5 sq. mts per student and toilet and other space of 0.5 sq. mts. per student. For 30 students the floor area of the hostel may be of 300 sq. mts.

3.5.2 Staff Quarters

Desirable : Quarters may be provided for at least 50% teaching staff apart from that of the Principal's accommodation Non-teaching staff whose services are required at odd times should also be provided quarters near the campus. In those areas, where there is a scarcity of private rented accommodation, quarters should be provided for all the staff.

3.5.2.1 Area Norms for Staff Quarters

Rooms for Academic Staff	Essential (Sq. mts)	Desirable (Sq. mts)
Principal	100	120
Lecturer/PGT	85	120
UDT	70	100
Administrative Staff	60	85
Helpers	45	70

3.6 Play Fields :

Essential :—The Institution shall have play fields to engage at least 50% of the students in active outdoor games. There should be provision for volley ball, basket ball, badminton, kho kho, kabaddi, and other Indians games. A minimum of 1000 sq. mts area should be provided for play fields and activities of physical education.

Desirable :—It is desirable to have play grounds for football, hockey, cricket and athletics track. A minimum of 10,000 sq. mts space will be needed for this purpose.

4. NORMS FOR EQUIPMENT, BOOKS AND FURNITURE

4.1 Equipment for Psychology Laboratory

Essential :—Sensory-motor tests, Intelligence tests both performance verbal and nonverbal. Cognitive capabilities and observation tests should be procured.

Desirable :—Multiple sets of the above mentioned tests may be procured for administration, scoring and interpretation by the students.

4.2 Equipment for Educational Technology :

Essential :—TV, Audio Cassette Recorder-1, 16 mm. and 35 mm Projectors, Overhead Projector-1, Blank audio Cassettes- 20. Material for preparation of charts, Models.

Desirable :—VCR and Computer with other accessories. Slide/films/projector.

4.3 Equipment for Workshop and Work-Experience

Essential :—One set of wood working tools, one set of gardeners tools, equipment required for work experience activities, work experience activities may be tailoring, doll making, toy making, book binding, dress designing, puppetry etc.

Desirable :—Multiple sets of hand tools, sewing machines, typewriters etc.

4.4 Equipment for Art Room :

Essential :—Art paper, board, brushes, colours, etc.

Desirable :—Material for different types of painting like nib painting, screen painting, fabric, oil painting, etc.

4.5 Equipment for Music Room :

Essential :—Simple music equipments such as Harmonium, Tabla, Dholak, Flute, Manjira, other indigenous instruments, etc.

Desirable :—Sitar, Tanpura, Guitar, Jaltarang & Bango, etc

4.6 Equipment for Games and Sports :

Essential :—Adequate games and sports equipment for the outdoor games should be available. Materials and equipment required for training in athletics should also be procured.

Desirable :—More than one set of materials for games and body building.

4.7 Books, Journals and Magazines

Essential :—A minimum of 1000 books of relevant subject should be available during the first year of the establishment of the institution, and at least 50 standard books be added to this every year. The collection of books should include children's encyclopaedias, dictionaries, reference books, books on professional education, teachers' handbooks, books on art for children (including comics, stories) picture books albums, poems).

The institution should subscribe to at least three journals of which at least one should be on professional education.

Desirable :—The institution should have 2000 volumes of books initially and add 75 books every year. It should subscribe to at least five journals of which at least two should belong to that profession.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

98

4.8 Norms for Furniture :

All rooms in the institutional building should have adequate and appropriate furniture. The norms for furniture in different rooms of the institution are as follows :

Room	Essential for 80 students	Desirable for 80 students
1	2	3
1. Classroom	In each Classroom- Student desks— 0 Teacher's chair— 1 Teacher's table— 1 Black board of 2.5mt × 1 mt—1	Same as essential
2. Hall-cum-Seminar	Dais of size 6mt × 3mt × 0 5mt ht.—01 Students' chair —160 (80 for Students and 80 for guests) Teachers'chair— 20	Same as essential and an addition of 100 chairs 40
3. Workshop	Work Benches of 1.25mt × 2mt × ·075mt :5 for each Workshop;. Stools-0.6mt ht—20 Teacher's table—1 Teacher's chair— 1 Almirah(Preferably Steel)— 1	WB/T--8 Same as essential Steel almirahs—2
4. Library Book Shelves Tables and Chairs	Adequate for 1000 books One set of table and chairs for each reader as per the capacity of reading room.	Adequate for 2(00 books Same as essential
Periodical Rack Catalogue Cabinet	One Four card trays to hold 1500 cards each	Two Four card trays to hold 3000 cards eacn
Furniture for Librarian	One working table Two chairs One Filing cabinet	One additional table Four chairs Two filing cabinets
Notice Board Bulletin Board	One Two	One Four
5. Art Room Table	One table for teacher Four tables of size 1.25mt × 0.5mt for students	
Chair Stool	One for each art teacher Twenty for students	+2 +10
6. Music Room	One Dari of room size One coir mat Covered racks for music instruments as per requirement	Same as essential
7. Psychology Laboratory	One table One chair Stools & tables for 20 students One almirah Four tables-(1.25 × 0.9mt)	Two each Six tables of 1.25mt × 0.9mt
8. Principal's Room Table Chairs Steel Almirah Book Rack Filing Cabinet	One table Five chairs One steel almirah One book rack One filing cabinet	One Five One One One
9. Teacher's Common Room Tables Chairs	One for each teacher One for each teacher	Same as essential

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

99

1	2	3
10. Office Room		
Chair	One for each member of staff	
Table	One for each member of staff	Two
Steel Almirah	One	One
Filing Cabinet	One	Four
Filing Racks	Two	Two
Notice Boards	Two	One for each Helper
Stools	One for each Helper	
11. Store Room		
Steel Almirah	One	One
Storage racks	Three	Three
12. Students Common Room	For each Common Room	For each Common Room
Chairs	20	20
Long Tables	adequate for 20 chairs	adequate for 20 chairs

5. NORMS FOR STAFF

5.1 Teaching Staff :

The teacher student ratio 1 : 10. The Principal is also a teacher, for an intake of 60 students, the teaching staff required—Principal and 5 Teachers and for 90 students intake the number of teachers should be 1+6 at least. The rank and qualification of Principal and Teachers will be as follows :

Designation	Essential	Desirable
Principal* (1)	M.Ed or M.Sc. Home Science (CD) and 5 years teaching experience plus ECCE specialization	M.Ed, M.Sc. Home Science (CD) in PTEP/Elementary and Master's Degree in any subject or Ph.D. in Education with five years teaching experience.
Post Graduate Teachers/Lecturer (4)—Full time	M. Ed./ MA Education with 3 years teaching experience (Language / Music /MSW/Psychology/ Science)	M.E d/MA Education a M. Sc. Home Science (CD) teaching experience PG in Home Science +B.Ed./+ECCE specialization with three years training (5)
TGT/PGT /(3)—full time	Diploma in Arts /Crafts /Music /Physical Education/ experience in respective area/Training	MA Drawing with three years teaching experience and diploma/degree in the area with three years teaching experience ET Expert with relevant PG qualification (1)
Librarian (1)	Certificate/Diploma in Library Science	M. Lib. Sc. with three years teaching experience.

NB* All teachers should have suitable specialization in PTEP and experience in early childhood education.

All general/basic teaching staff should be appointed on full time regular basis after selection by a duly constituted selection committee. Specialist may work on part time basis. The pay scale should be the same as for PTG's/TGTs of equivalent rank in State Government/Central Government institutions.

5.2 Administrative Staff

Sl.	Designation	Essential	Desirable
1.	Office Superintendent	1	1
2.	UDC	1	2
3.	LDC/Typist	1	2
4.	Helpers	2	2
5.	Tech/Lib Asstt./Store Keeper	1	1+1

*Salaries will as per the norms of Central/State Government institutions,

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

100

6. NORMS FOR RECURRING COSTS :

Adequate provision should be made in the annual budget of the institution for all essential recurring costs. The norms for recurring costs are as follows :

A	Salaries	Total of Salaries of all staff including allowances and benefits
	As per UGC/ Govt approved pay scales and other benefits	As per UGC/Govt approved pay scales and Other benefits

B	Items	Cost/Student/Year (Rs.)	
		Essential	Desirable
	ScienceActivities	40	50
	Education / Psychology & ET	50	60
	Art, Music and Work Experience	150	200
	Games	50	60
	Contingency	10	30

Depending on the number of the students the cost of recurring expenditure, can be estimated for the institution.

7. NORMS REGARDING ADMISSION CRITERIA AND FEES

7.1 Admission : Eligibility

Essential :—Minimum qualification for admission for PTEP is HSC (10+2) with 45% marks.

Desirable :—Graduates.

7.2 Selection Producer :

Students should be selected for admission on the basis of merit as determined by selection tests and interview to be conducted by a recognized agency (approved by NCTE).

7.3 Fee Structure and Scholarship :

Essential :—The fee structure should be as decided by the State Government from time to time. In any case the total fees and other charges collected from a student should not exceed the per pupil recurring expenditure of the institution.

Desirable :—Adequate free-studentship may be provided for meritorious poor students. Adequate scholarship may be provided purely on merit.

8.0 NORMS REGARDING CURRICULUM TRANSACTION

8.1 Working Days and Hours of Instructions :

Total number of Working days per year=220 to be distributed as follows :

For completing all admission	10
Working days (after reopening of Institution) No. of Teaching Days	160
Working days (after reopening of Institution) Supervised Practice Teaching in Schools	30
Working days (after reopening of Institution) Examination Days	10
Working days (after reopening of Institution)	

There may be six hours of scheduled work (including teaching-learning, and all kinds of activities and games of relevance) a day, and about 30 hrs. a week.

8.2 Norms of practical work, including Practice Teaching to be performed by each student. Each Student should under guidance and supervision perform the following practical work in each year of the course :

Preparation of teaching aids and activity materials—30 items.

Operation of AV Equipments—as available.

Demonstration lessons/Critisim lessons—2.

Observation of Pre-primary School sessions

Total number of lession/session to be conducted—45.

(Language Arithmetic/arts/music/games/ visitor explorations or picnic/physical health education/collections, albums, etc.—10 items.

Work experience—10 items.

8.3 Supervised Practice Teaching :

Not more than two students should be engaged in the same section of a class in a pre-primary school. A student should take two periods per day and observe two sessions of other teachers. All sessions should be supervised by teachers of the institution and feedback given to the student. A student should teach a minimum of 10 lessons in each of three subject areas and arrange 2 to 4 sessions on the other areas (including organized play, free play, social act, appreciation sessions, explorations, constructive work, etc.) about 20 to 25% increase in the quantum and range of practical activities, and continual guidance making for steady improvement and actualization of potentials. Personal qualities, relations, and interactions, special identification and relationship with, and other treatment of children should be duly emphasized.

Appendix-II(B)

NORMS AND STANDARDS FOR

TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS ELEMENTARY

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION NEW DELHI

1995

PREFACE

The National Council for Teacher Education has been vested with statutory authority to take all such steps as it may think fit for ensuring planned and coordinated development of teacher education and for the determining and maintenance of standards of teacher education including preparation for pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages of school education. The formulation of norms and standards for teacher education institutions preparing teachers and teacher educators for different levels of school education is essential for a variety of reosons. Norms will help existing institutions offering teacher education programmes, to compare the provisions in their institutions with norms of the NCTE and take necessary action to correct deficiencies, if any. Norms will also help in proper planning of new institutions, programmes and courses of teacher education.

Here, the norms and standards specify the details of 'Conditions' required for recognition, permission, and additional intake of seats for any course or training in teacher education.

This document specifies norms and standards approved by the NCTE for elementary teacher education institutions offering two yead full-time face to face instruction. The norms have been stated under two categories.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

(i) Essential norms are those which should be fulfilled by all institutions to become eligible for recognition/permission by NCTE; and

(ii) Desirable norms, are those which go beyond the essential criteria, and contribute to the quality of teacher education. It is expected that institutions will gradually fulfil the desirable norms and become eligible for recognition/permission of their courses and training.

It is expected that this document will be used by planners and administrators of teacher education, and by government, autonomous and private managements of teacher education in planning, organizing and recognizing programmes of elementary teacher education. The NCTE will be using these norms for professional recognition of institutions organizing elementary teacher education programmes. These norms will also be used for advising government, autonomous and private managements for taking suitable action for improving existing programmes and institutions.

1.0 INTRODUCTION

1.1 The National Policy on Education 1986 states that the new thrust in elementary education will emphasize two aspects : (i) universal enrolment/universal retention of children upto 14 years of age, and (ii) a substantial improvement in the quality of education. The improvement of quality of elementary education will to a large extent depend on the quality of teacher education; for this purpose the policy document envisages establishment of District Institutes of Education and Training (DIETs) to organize pre-service and in-service courses for elementary school teachers. As DIET's get established, sub-standard teacher education institutions will either be upgraded or phased out.

1.2 In December 1993, through Act No. 73 of 1993 of the Parliament, the National Council for Teacher Education was established and vested with statutory authority for "achieving planned and coordinated development of the teacher education system throughout the country, the regulation and proper maintenance of norms and standards in the teacher education system and for matters connected therewith." Some of the functions of the NCTE relating to maintenance of standards as listed in the Act are :

— to lay down norms for any specified category of courses or training in teacher education, including minimum eligibility criteria for admission thereof, and the method of selection of candidates, duration of the course, course contents, and mode of curriculum

— to lay down guidelines for compliance by recognized institutions for starting new courses or training, and for providing physical and instructional facilities, staffing pattern and staff qualifications.

— to lay down guidelines regarding tuition fees and other fees chargeable by recognized institutions.

— to examine and review periodically the implementation of the norms, guidelines and standards laid down by the Council, and to suitably advise the recognized institutions.

— to evolve suitable performance appraisal systems, norms and mechanisms for enforcing accountability on recognized institutions.

— to take all necessary steps to prevent commercialization of teacher education.

1.3 In order to meet these obligations, the NCTE has laid down specified conditions called norms and standards for different stages and programmes of teacher education. In this document, norms and standards for regular institutional programmes of two years duration preparing teachers for elementary schools are presented. A two years course for elementary teacher education was recommended by the erstwhile NCTE in the Curriculum Framework for Teacher Education. In some States, there are regular institutional programmes of one year duration for preparation of elementary school teachers. The NCTE will take decision, separately, about such institutional programmes.

1.4 The norms are presented under two levels : (i) essential norms which are the minimum that all institutions should fulfil in order to be eligible for statutory recognition of their institutions/permission of courses by NCTE and (ii) desirable standards which institutions should strive to achieve in a reasonably short period of time. The recognition of the programmes of institutions by the NCTE will depend on the extend of their fulfilment of essential norms, and the fulfilment of other performance criteria.

1.5 The minimum viable intake of an institution for elementary teacher education may be 100. Since this is a coures of two years duration there will be a minimum of 50 students in first year and 50 students in second year, making a total of 100 students. Minimum teaching staff, other staff and instructional facilities as laid down in the norms should be provided for this intake. If the number of students in the institution increases, staff and instructional facilities should be proportionately increased.

2. REQUIREMENTS FOR ELEMENTARY TEACHER EDUCATION INSTITUTION

(Finarcial estimate of all items has to be worked out with the price level of 1994)

2.1 General

Item	Minimum strength	Desireable strength
Minimum intake in First & Second Year	50+50=100*	100+100=200
Teaching Staff	1 Principal+8 Teachers	1 Principal+19 Teachers
Staff-Student Ratio	1:12	1:10
Total Land Area	5000 sq. mts	15000 sq. mts
Floor Area of Institution (Excluding hostel & staff quarters)	1000 sq. mts	1500 sq, mts
Floor Area per Student	10 sq. mts	10 sq. mts
Number of Administrative and other staff	3	6

(*In areas where there is need of training institutions but the area is having adequate number of schools for practice teaching)

2.2 Non-recurring Costs

Item	Minimum (for 100 students)	Desirable (for 200 students)
Institution Building (excluding hostel & staff quarters)	30 lakhs (1000 sq. mts × Rs 3000)	45 lakhs (1500 sq. mts × Rs 3000)
Equipment and Books	1 lakh	1.5 lakhs
Furniture (for institution only)	0.50 lakh	0.75 lakh
Any other	—	—

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

102

In addition, institutions under private management should have an endowment fund of at least Rs. 5.00 lakhs and a reserve fund to cover three months' salary of all staff (1.5 lakhs).

2.3 Recurring Costs

(Cost will be worked out as per 1994 price levels)

Item	(for 50+50 students)	(for 100+100 students)
Salaries	As per UGC/State/Central Government norms	
Other Recurring Costs	0.3 lakhs for 100 students	0.8 lakhs for 200 students
Other recurring cost per student	Rs 300 per student per year	Rs 400 per student per year

3.0 NORMS FOR SPACE AND BUILDINGS

3.1 Land, Area and Location :

The minimum essential space required for an Elementary Teacher Education Institution represents administrative wing, academic wing, and play grounds. A quarter for principal should also be provided.

It would also be desirable to provide hostel for students separately for men and women, to cover about 50% of the students and quarters for staff. Hostels are particularly necessary for outstation students.

Land Area	Essential	Desirable
	5,000 sq. mts.	10,000 sq mts

The institution should be located in a relativley noise-free and pollution free zone, having adequate supply of drinking water and electricity. It should have good conveyance and communication facilities with the nearest town.

3.2 Norms for Instructional Area

The institutional building should have provision for class-rooms, assembly hall, library, psychology laboratory, psychology and educational technology, science lab, work-shop for work-experience, art and music room, play & games room. The following norms are desirable for each category.

3.2.1 Classroom and Assembly Hall :

There should be a minimum of three classrooms each of 60 sq. m's. It is desirable to have four classrooms. The first and second year classes will need two rooms each, so that simultaneously two methodology classes are held.

The assembly hall should have a minimum floor area of 100 sq. mts. but preferably 150 sq. mts. The hall can be used for multiple purposes such as holding of meetings, for demonstration teaching, for cultural programmes, etc.

3.2.2 Library-cum-Reading Room :

The floor area for library-cum-reading room should be atleast 100 sq. mts. while desirable area should be 150 sq. mts. Of this at least 25 sq. mts. should be for storage of books and rest for reading space for students. Open shelf system along with provision to take materials out should be practised.

3.2.3 Laboratories :

The curriculum upto elementary stage is compulsory for all the students. All the trainees are supposed to have adequate training in all the labs. These should be at least one combined laboratory having a floor area of 75 sq. mts. for science (environmental studies), psychology and educational technology, of which 25 sq. mts. should be for storage of equipment and apparatus and the rest of the space for practical work by students in batches of 16 to 20. It is desirable to have two laboratories, each of 75 sq. mts. one for science and psychology and the other for educational technology.

3.2.4 Workshop :

A workshop of floor area of 75 sq. mts. would be required essentially for work-experience.

3.2.5 Art and Music Room :

A room with a floor area of 60 sq. mts. is essential for Art Education. It can also be used for Music Education.

3.2.6 Games Room :

A room with a floor area of 50 sq. mts. would be essential for storing equipments and materials required for physical education and games.

3.3 Building Space for Administrative Block :

Each administrative block should have the following rooms :

Rooms	Floor Area (sq. mts.) Essential	Desirable
Principal's Room	30	30
Teacher's Common Room	60	75
Office Room	50	75
Store Room	50	75

3.4 Building Space for Other Amenities :

A Common Room for women-students, having a floor area of at least 50 sq. mts. is essential. It would be desirable to have a Mens' Common Room with a floor area of 50 sq. mts.

It is essential to have two separate toilets each for women and men. In addition, it is desirable to have a separate toilet for Principal and teachers. Each toilet should have a floor area of atleast 25 sq. mts. and be usable by five persons at a time. There should be facilities for drinking water (preferably water-cooler) at two places.

3.5 Building Space for Residential Area :

3.5.1 Students' Hostel :

It is essential to have a hostel for all women-students. A hostel for men-students is also necessary if students come from outside the municipal area of the institution. Hostels should be single-seated or two-seated rooms. Rooms should have a floor area of 8 sq. mts, kitchen and dining area 1.5 sq. mts per student and toilet and other spaces of 0.5 sq. mts per student. Thus the hostel will have a floor area of 10 sq. mts. per student. For 100 students the floor area of the hostel(s) will be 1000 sq mts.

3.5.2. Staff Vuarters :

Essential :—Principal's quarter should be provided within the campus or very near the campus of the institution.

Desirable :—Quarters may be provided for at least 50% of the teaching staff. Non-teaching staff whose services are required at odd hours should also be provided with quarters near the campus. In those areas where there is scarcity of private rented houses, quarters should be provided for all the staff members.

Floor Area norms for staff quarters :

Rooms for Academic Staff	Area for staff quarters (sq. mts.)
Principal	120
Lecturer	85
Junior Lecturer	70
Administrative Staff	60
Helpers	45

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

103

indiacode

3.6 Play Fields :

Essential :—Institution should have play fields to engage at a time at least 50% of the students in active outdoor games. There should be provision for outdoor games like hockey, football, volley ball, basket ball, badminton, kho kho, kabbadi, and other Indian games. A minimum of 1000 sq. mts. should be provided for play fields and physical education.

Desirable :—It is desirable to have playgrounds for cricket and athletics track. A minimum of 1000 sq. mts. space will be needed for this purpose.

4.0 NORMS FOR EQUIPMENT, BOOKS AND FURNITURE

4.1 Equipment for Science Laboratory :

Essential :—The Institution should have at least one set of Science apparatus required to demonstrate all the experiments indicated in the syllabus of primary and middle school classes. All required chemicals for performing these experiments should also be available. They shou'd be replenished on a regular basis.

Desirable :—Multiple sets of apparatus would be desirable so that more than one student can simultaneously perform the same experiment. All apparatus and material required to perform experiments related to the syllabi of elementary school classes should also be provided.

4.2 Equipment for Psychology Laboratory :

Essential :—Sensory-motor Tests, Intelligence Tests (performance, verbal and non-verbal), Aptitude Tests and Interest inventories should be available.

Desirable :—Multiple sets of the above-mentioned tests may be purchased for testing, administration, and scoring by the students, Equipment and materials for concept formation, learning may also be procured.

4.3 Equipment for Educational Technology :

Essential :—One TV, One Audio Cassette Recorder, one Slide-cum-Film strip projector, adequate number of blank audio cassettes, Art materials for preparation of charts, One Radio/transistor set.

Desirable :—One Amplifier, one Computer, two Speakers, two Microphones, two Audio Cassette Recorders, one VCR, one OHP.

4.4 Equipment for Workshop & Work-experience :

Essential :—One set of wood-working hand tools, one set of gardener's tools, other essential equipment required for work-experience activities may be provided in the institution. The institution may also provide work-experience in tailoring, type-writing, electricity and electronics for which necessary equipment should be provided.

4.5 Equipment for Art & Music :

Essential :—Art paper, board, brushes, colours etc. for practice of art should be available. Simple musical instruments such as harmonium, tabla, flutes, drums, and other local instruments etc. should also be provided.

4.6 Equipment for Games and Sports :

Essential :—Adequate games and play equipment and materials for all the outdoor games should be available. Materials and equipment required for training in athletics and body building should also be provided.

4.7 Books and Journals :

Essential :—A minimum of 1500 books should be available during the first year of the institution and at least 100 books be added every year. The collecion of books should include encyclopedias, dictionaries, reference books, books on professional education, teachers handbooks, textbooks on all school subjects, and supplementary books on all subjects. The institution should subscribe to at least three journals of which at least one should be on professional education.

Desirable : The institution should have 3000 books initially and 100 books be added each year. It should subscribe to atleast five journals of which at least two should be professional.

4.8 Norms for Furniture :

All rooms in the institutional building should have adequate and appropriate furniture for students, say 100. The norms for furniture in different rooms of the institution are as follows :

Room	Essenti a	Desirable
1	2	3
1. Classroom	In each classroom— Student desks (100 seats) Teacher's chair (One) Teacher's table (One) Black board of 2.5mt× 1 mt (One)	Same as essential for 100 students of better quality
2. Assembly Hall	Dais of size 6mt × 3mt ×0.5mt ht (One) Students' Seats (100) Teachers' chair (20) Guest chairs (5)	Same as essential
3. Laboratory	Tables of size 1.25mt × 2mt × 0.9mt of ht. in each lab (5) High stools (20) (0.6 mt ht.) Teacher's table (One) Teacher's chair (One)	Same as essential
	Almirah (One) (preferably steel)	Almirah (Steel) (One)
4. Workshop	Work benches of size 1.25mt × 2mt × 0.75mt (5) Stools (of ht. 0.6 mt) (20) Teacher's table (One) Teacher's chair (One)	Same as essential
	Almirah (preferably Steel) (One)	Almirahs Steel (Two)
5. Library	Book shelves for 2000 books Periodical rack (One) Catalogue cabinets each with 4 card trays adequate to hold 2000 cards. Librarian's table (One)	Book Shelves for 3000 books Catalogue Cabinets to hold 3000 cards

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

104

1	2	3
	Chairt (Two) Long Table with 50 Student's Chairs Notice Board (one)	Same as ssential (1) Bulletin Board (1)
6. Principal's Room	Table size 2mt×1.25mt×0.45mt (one) Cane Chairs (Five) Steel Almirah (One) Book Rack (One)	Same as essential+ one sofa set
7. Teacher's Room	One long table and chairs for 12 persons Chair (One) for each teacher	Teachers' Cabins/Rooms
8. Office	Table (One) Chair (One) for each administrative staff Steel almirah (One) Filing rack (One) Notice boards (Two) Stools (Two)	Same as essential+ Chairs (Two)
9. Store Room	Almirah (One) Racks (Two)	Almirah Steel (Two) Racks (Three)
10. Students' Common Room	Long Table (One) Students' Chairs (20)	Same as essential

5.0 NORMS FOR STAFF

5.1 Teaching Staff :

Suggested teacher-student ratio is 1:12. The Principal is counted as an additional teacher. For an intake of 100 students (50 in first year class and 50 in second year) the teaching staff required would be 1 Principal and 8 teachers. If students' intake is more, the number of teachers should be increased on the basis of the teacher-student ratio 1:12. Part-time teachers will not be counted for this purpose.

Teachers should be so selected that there should be at least one teacher with knowledge of the subject-content and its methodology in each of the following : English, Mother Tongue (or State language), Mathematics, Science, Social Studies. There should be one or more teachers to teach Foundations of Education. In addition, there should be one teacher for each of the following areas : Health and Physical Education, Art, Work-experience. The number of teachers required will depend on subject wise theory work-load, and work-load of supervision of practice teaching and other practical work.

The rank and qualifications of the Principal and teachers will be as follows :

Designation	Essential	Desirable
Headmaster* Principal* One	Rank: Lecturer Qualification: M.Ed./M.A. Education with 5 years teaching experience as lecturer teacher educator	Rank : Reader Master's Degree in school foundation subject plus Master's Degree in Education with five years teaching experience in the rank of lecturer or as teacher educator
Teacher Educator in Pedagogy*	Rank: PG Teacher M.Ed./M.A. in Education	Rank: Lecturer in Education, M.Ed./M.A. in Education and Master's Degree in other subject
Teacher Educator in Methodology	Rank: PG Teacher M.Ed./M.A. in Education	Rank: Lecturer M.Ed./M.A. in Education and Master's Degree in relevant subject
Teacher Educator in Physical Education	Rank: PG Teacher Qualification: M.Ph.Ed.	Rank: PG Teacher M.Ph.Ed.
Teacher Educator in Art/Music	Rank: Secondary School Teacher Higher Secondary plus Degree/Diploma in Art/Music	Rank: Secondary School Teacher Degree/Diploma in Art/Music
Teacher Educator in Work-experience	Rank: Secondary School Teacher Higher Secondary plus Diploma/Certificate in Craft	Rank: Secondary School Teacher plus Diploma/ Certificate in Craft

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

*NB All teachers should have at least three years teaching experience in elementary school and some specialization in in-service school education.

All teaching staff in academic and pedagogic subjects should be appointed on a regular and full-time basis, after selection by a duly constituted Selection Committee. Salary scales should be the same as for teachers of equivalent rank in Government institutions. Part-time teachers may be appointed in art, music, and work-experience, depending on the teaching work load. These part time teachers will not be considered while calculating student teacher ratio.

5.2 Technical Support Staff :

Designation	Essential	Desirable
Librarian	One (with Diploma in Library Science)	One (with degree in Library Science experience in library automation
Asstt. Librarian	—	One (with Diploma in Library Science)

5.3 Administrative Staff :

Designation	Essential	Desirable
Office Assistant	One	One
Accounts Assistant	One	One
Typist: word processor	One	One
Helpers	Three	Five

6.0 NORMS FOR RECURRING COSTS

Adequate provision should be made in the annual budget of the institution for all essential recurring costs. The norms for recurring costs are as follows :

A. Total expenditure on salaries of all staff members will include expenditure on regular pay scales and all other benefits as per State/Central Govt.

B. Purchase of Instructional Materials

C. Other cost per student (Rs.) per year

Item	Cost per Student (Rs.) per year	
	Essential	Desirable
Science	50	75
Education, Psychology and Educational Technology	50	75
Art/Music & Work-experience	50	75
Games and Sports	50	75
Books and Journals	50	100
Contingencies	50	100

Depending on the number of students enrolled, recurring expenditure can be estimated for the institution.

7.0 NORMS REGARDING ADMISSION CRITERIA AND FEES :

7.1 Admission Criteria :

Essential : Minimum essential qualification for admission to the course of elementary teachers education would be pass in Higher Secondary (+2) School Certificate Examination with a minimum of 50% marks in the aggregate. Reservation of seats will be in accordance with the States/UTs.

7.2 Selection Procedure :

Students should be selected for admission on the basis of merit as determined by a written selection test to be conducted by agencies/organizations approved by NCTE.

7.3 Fee Structure & Scholrship :

Essential : The fee structure should be as decided by the State Government from time to time. In any case the total fees and other charges collected from a student should not exceed the per pupil recurring expenditure of the institution.

Desirable : Some scholarships and free studentship may be provided for meritorious but poor students. Some scholarships may be provided purely on the basis of merit. Loan arrangements for purchase of books are desirable.

8.0 NORMS REGARDING CURRICULUM TRANSACTION

8.1 Working Days & Hours of Instruction

Total number of Working days=220 per year

to be distributed as follows :

For completing all admissions—10 Working days (after reopening of Institution)

Teaching Days per year—160 Working days (after reopening of Institution)

Supervised Practice—40 Working days (after reopening of Institution)

Teaching in Schools Examination Days—10 Working days (after reopening of Institution)

8.2 Norms of practical work(other than Practice Teaching) to be performed by each students.

Each Student should perform under Supervision the following practical work in each year of the course.

Item	Number
Science Experiments	10
Preparation of teaching aids	5
Administering & scoring of tests	3
Operation of audio-visual equipments	all available equipments
Observation of demonstration lessons	10 in each subject
Observation of lessons of other teachers & trainees	15 in each subject
Participation in games & sports	*hour each day.
Participation in Work-experience	1/2 hour each day.
Case Study/Action research/other project observation of participation in school activities/features	One

8.3 Supervised Practice Teaching :

Not more than two students should teach the same section of a class in a school. A student teacher should teach two periods per day and observe two lessons of other peer student teacher/teachers. All lessons should be fully supervised by teachers of the institution and feedback given to the student. A student should teach a minimum of 15 lessons in each of three subjects. If micro-teaching is followed, each cycle of micro-teaching (plan-teach-replan-reteach) may be counted as one practice teaching lesson.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन) 12/5/11
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

106

IndiaCode

The institution should have working arrangement with adequate number of elementary schools for practice teaching. It may preferably have one practising school attached to it.

APPENDIX-II (C)

NORMS AND STANDARDS FOR TEACHER EDUCATION INSTITUTION

SECONDARY

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
NEW DELHI
1995

1. INTRODUCTION

1.1 The role of teacher is crucial in any programme of education. We should have well-qualified teachers who have not only academic and professional competencies of a high order, but also earnest responsibility and commitment to strive constantly to raise student learning, capability and achievement and make them increasingly autonomous and self actualizing persons. Without such good teachers, it is not possible to improve education. The National Policy on Education, 1986 states : "The status of the teacher reflects the socio-cultural ethos of a society; it is said that no people can rise above the level of their teachers."

1.2 In December, 1993, through Act No. 73 of 1993 of the Parliament. The National Council for Teacher Education was vested with statutory authority for "achieving planned and coordinated development of the teacher education system throughout the country the regulation and proper maintenance of norms and standards in the teacher education system and for matters connected therewith." Some of the functions of the NCTE relating to maintenance of norms and standards are

- to lay down norms for any specified category of courses or training in teacher education including minimum eligibility criteria for admission thereof, and the method of selection of candidates, duration of the course, course contents and mode of certification;
- to lay down guidelines regarding tution fee and other fees chargeable by recognized institutions;
- to examine and review periodically the implementation of the norms, guidelines and standards laid down by the Council and to suitably advise the recognized institutions;
- to evolve suitable performance appraisal systems, norms and mechanisms for enforcing accountability on recognized institutions;
- to take all necessary steps to prevent commercialization of teacher education.

In order to meet these obligations, the NCTE has formulated norms and standards for different kinds of programmes of teacher education. Here, the norms and standards specify the details related to 'Conditions' required for recognition, *permission and additional intake of seats for any course or* training in teacher education.

In this document, the norms and standards for regular institutional programmes of secondary teacher education leading to B.Ed. degree are presented. These norms shall apply to all institutions offering regular institutional secondary teacher education programme irrespective of the fact that this is the only educational programme of the institution or is one of several other teacher education programmes offered by the Institution. These norms and standards are applicable for recognition of institutions, permission of courses and for consideration of additional intake of seats.

The norms are stated under two categories : (i) essential norms which are the minimum that all institutions should fulfill in order to be eligible for recognition/permission of their institution/course by NCTE, and (ii) desirable norms which institutions should strive to achieve in a reasonably short period of time. The formal recognition of institutions for the courses by the NCTE/RCs will depend upon the extent of its fulfilment of desirable norms apart from fulfilment of other performance criteria.

The minimum intake for permission of the course or recognition of a secondary training institution may be 60 students (as one section for general theory) for which minimum teaching staff and instructional facilities as stated in the norms should be provided. The additional intake will be permitted in terms of complete units consisting of 60 seats. Theory classes will be organised in sections having not more than 60 students. As the seats increase, the teaching and other staff as well as instructional facilities should also be increased as specified in the norms. Wherever possible suitable ratios with respect to student strength have been provided to calculate the requirement of staff and instructional facilities.

These norms are applicable for secondary teacher education programmes of one academic year full-time duration leading to B.Ed. degree while following the curricular guidelines of the NCTE. The NCTE may revise the norms, if necessary, to accommodate any change in the nature of the curriculum recommended or in the duration of the teacher education programme. The financial estimates of all items have to be worked out with the price level of 1994.

These norms do not apply to those secondary teacher education programmes which are following modes of 'instruction *other than regular face-to-face* instruction of one academic year duration offered in a recognized institution.

2. SALIENT FEATURES OF AN INSTITUTION OF SECONDARY TEACHER EDUCATION

Item	Essential	Desirable
Minimum intake of students	60	120(60+60)
Areas (School subject of specialization)	Two school subjects	All school subjects
Minimum Strength of teaching Staff	1 Principal+other 6 teachers	1P+12 teachers
Reader and/or lecturers of which one teacher for each methodology subject (for 60 students)	1:10	1:10
Staff-student ratio	12.5 sq. mts	15 sq. mts.
Floor area per student	60×12.5=750 sq. mts.	120×15=1800 sq. mts.
Floor area of institution (excluding hostel and staff quarters)		
Teaching Staff	7(1+6) (1 Principal and 6 teachers)	13+ 1 P and 12 Teachers)
Technical staff	2	4
Administrative and other staff (Three persons for 60 students)	3	6

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

A few specialists in art, craft, music, physical education, library science, etc. may be appointed on full time or part time basis, as desired/necessary.

2.1 Non-recurring Costs :

2.1.1 Suitable and adequate institutional building having academic wing, administrative wing, hostels, and staff quarters, contribute to qualitative teacher education programmes. Academic wing, play grounds, and administrative wing are essential components of the institutional building required for the recognition of teacher education institution for the course. The adequacy and cost of essential part and the desirable part of the institutional building will be determinated by the NCTE appointed expert group. While considering the case, the expert group will consider the State and/or university norms. The desirable institutional building should have adequate play field, indoor games facility, and facilities for other co-curricular activities. The 1994 price level cost of essential and desirable norms is illustrated in a few cases.

		Essential	Desirable
	Institutional building (excluding hostel and staff quarters)	22.50 (Rs. in lakhs) (750 sq. mts x Rs 300)	54.00 (Rs. in lakhs)] (1800 sq. mts x Rs. 300)
2.1.2	Equipment and books	1.00 lakh	2.00 lakhs
	Furniture	1.00 lakh	2.00 lakhs

2.1.3 Besides, institutions under private management should have an endowment fund of Rupees five lakhs along with a reserve fund adequate to cover 3 months' salary of all their staff. The funds should be deposited in a Nationalised Bank/State Bank of India/or its subsidiaries.

2.2 Recurring Costs

	Minimum	Desirable
Salaries	As per UGC/State/Central Government Norms	
Other recurring Costs	0.5 lakh (for 60 students)	1.0 lakh (for 120 students)
Other recurring Cost	Rs. 800/- per year per student	

3. NORMS FOR SPACE AND BUILDINGS

3.1 Land Area and Location :

The minimum space required for an institution of teacher education includes space for institutional building and space for playgrounds. Adequateness of land area for hostels and staff quarters is dependent upon the socio-economic conditions of the region, curricular requirements, staff strength, etc.

	Essential	Desirable
Land Area	5000 sq. mts (0.5 hectare)	20000 sq. mts (2 hectares)

The institution should be located in a noise-free atmosphere. It should be relatively pollution free. There should be good transportation and communication facilities and availability of water and electricity.

3.2 Norms for Instructional Area :

Depending upon the nature of curriculum, the institutional building should have provision for classrooms, rooms for seminars, tutorials, hall, library, science laboratory, psychology laboratory, work experience lab, computer lab and an educational technology lab. The unit of one class shall consist of 60 students. Tutorial and practical classes for Science, Psychology, Workshop, Educational Technology, and other labs may be organised in batches of 20 students. Thus, each theory class/section may be divided into three or four practical groups and engaged in different laboratories, workshops. Each method class may have an optimum size of 20 to 30 students.

3.2.1 Theory Classrooms, Seminar Room and Hall

There should be a minimum of two theory classrooms each of minimum area of 60 sq. mts. This is required for each of the standard unit of 60 students. If, by any reason, the student strength is not in the multiples of 60, the additional students will form the new section and will require a new classroom. The institution may judiciously form the grouping. However, no class will accommodate more than 60 students.

Number of classrooms, each of area 60 sq. mts. required is to be determined by (total number of students)/60 to be rounded off to the nearest integer. This is minimum essential requirement. Besides this, there should be one Seminar Room of area 100 sq. mts. for each lot of 120 students. There should be a hall of 125 sq. mts. for multipurpose use. (One theory class may be conducted here).

3.2.2 Laboratories

Quality of teacher education institutions depends upon the variety, quantity and quality of facilities. Depending upon the nature of the course applied for and required intake, the expert team will examine the requirement of labs. There will be two types of labs i.e. general labs and course-specific labs. The general labs are : Psychology lab, Educational Technology lab, etc. The nature of course-specific lab, such as, Science lab, Social Sciences lab, Language lab, Computer lab, Work-Experience lab etc. will be considered essential depending upon the requirement of the requested course. Suppose one applies for recognition for a course of 'language teachers', then the essential norms of having general lab and the course-specific language lab, if any, will become a mandatory requirement; there is no need to have science lab for such an institution which is applying for a course of 'language teachers'. There is a possibility that innovative courses having requirements of new type of labs may be emerging with times. The 'NCTE' appointed expert committee' will prescribed the nature and substance of such labs.

3.2.2.1 General Laboratories

(a) Psychology Laboratory

The Institution of Teacher Education should have a Psychology Laboratory of area 75 sq. mts of which 15 sq. mts. will be store room for tests and other instruments of educational and psychological measurements. The remaining space of 60 sq mts will be used for practical work for students in groups of 20. Each group will work for two hours every week in this laboratory. In smaller institutions with student enrolment of less than 60, instead of a full Psychology-cum-Guidance & Counselling Laboratory, a small store room for psychology materials may be provided and practical work can be done in other Laboratory. A separate Psychology Laboratory is, however, desirable.

(b) Work Experience Lab

A work experience lab of floor area 75 sq. mts should be provided in the institution for conducting practicals in the

सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

chosen area of work experience. The work experience lab should be equipped with the required tools and equipments related to the concerned work experience for which teaching is provided in the institution.

(c) Educational Technology Laboratory

A room of floor area 60 sq. mts with adequate audio-visual and mass media equipment should be used for practical work by students in groups of 16 to 20. Students may also use this lab for the preparation of teaching aids.

(d) Computer Lab

A room of floor area 50 sq. mts. with at least five personal computers will be required for this lab. With such a facility, the students can learn theory and practicals of Computers in Education, It is desirable for general students but essential lab for those who opt for computer teacher education.

(e) Library-cum-Reading Room

A library-cum-reading room of floor area 75 sq. mts is essential for each institution. It should have reading room space of 60 sq. mts for 60 students and 25 sq. mts storage space for books. Institution with enrolment of 120 students or more should preferaly have library-cum-reading room of area 150 sq. mts.

3.2.2.2 Course Specific Labs

(a) Science Laboratory

There should be a science laboratory of area 75 sq. mts, of whoch about 15 sq. mts will be for storage of aparatus and chemicals and 60 sq. mts will be for practical work. There should be five work tables, each table providing space for practical work for four students. Each batch of 20 students will work for at least two hours every week in the science laboratory. During the time of non-occupancy, the Science lab can be used for other activities of method pedagogy.

(b) Language Laboratory

Language laboratory should be housed in duly accosted and noise free room. Language lab should have facilities of recording and audio player equipments, master cassettes, printed and recorded software. Language learning facilities should be available for individual as well as for groups of at least eight students at a time.

(c) Social Sciences-cum-Small Group Labs

The teacher education institutions specialising in the areas of social sciences for developing understanding issues of importance to society, social sensitivity, value education, and social skill development required for negotiating the social realities, should possess their social sciences-cum-small group laboratory. Facilities for conducting case studies, psychological testng, interaction analysis, and specific observation tools may be arranged for effective operation of this lab.

3.3 Building Space for Administrative Areas :

Each Institution should have the following rooms :

Item	Floor Area	
	Essential	Desirable
Principal's Room .	25 sq. mts	40 sq. mts
Staff Room(s) .	60 sq. mts	100 sq. mts
Office Room(s) .	40 sq. mts	50 sq. mts
Store Room(s)	25 sq. mts	40 sq. mts

3.4 Building Space for Amenities :

It is essential to have a common room with adequate space for women students. It is desirable to have a common room with adequate space for men students.

It is essential to have two separate toilet rooms of minimum 25 sq. mts each, one for women students and the other for men students, and additional toilet for staff.

It is essential to provide drinking water facilities in at least two places with drinking water available at all times during working hours. It is desirable to provide water-coolers for this purpose.

3.5 Building Space for Residential Areas :

3.5.1 Students' Hostel

The size of the hostel will depend on the number of such students in the institution. A hostel for a minimum of 20 students may be provided in the beginning. Some provision for hostel accommodation is essential but not for all students. It is essential to provide a Women's Hostel for all outstation women students. Additional wing may be added as and when the enrolment of women students increases. The hostel should have students rooms of floor area 8 sq. mts. per student, kitchen & dining area of 1.5 sq. mts per student and toilet and other space of 0.5 sq. mts per student. Thus, total floor area of hostel will be 10 sq. mts per student. The minimum floor area for hostel for 20 students is 200 sq. mts. It is desirable to have a hostel for men students. Capacity of the hostel will depend on the number of such students. The total floor area of the hostel will be 10 sq. mts per student. (Rented building may be used for hostel temporarily).

3.5.2 Staff Quarters

Standard accommodation norms, for each category of staff, can be used by respective Government for determining the suitability.

Essential : Principal's Quarter should be provided on or near the campus of the institution. Standard norms used for Government accommodation for each category of staff can be applied for determining the suitability.

Desirable : It is desirable to provide quarters for at least 50% of the teaching staff. Quarters for all staff (both teaching and non-teaching) may be provided in those areas where housing is an acute problem.

Staff Quarters:	Floor Area
Principal (of Professor's Rank) . .	150 Sq. mts
Professor	150 Sq. mts
Reader	120 Sq. mts
Lecturer	85 Sq. mts
Administrative & Technical Support Staff	60 Sq. mts
Helper	45 Sq. mts
Any other	

3.6 Play Fields :

Essential : The Institution should have play fields to engage at least 50% of the students in active outdoor games. There should be provision for playing volley ball, basket ball, badminton, kho kho, kabbadi and other Indian games. About 1000 sq. mts space will be the minimum requirement for this purpose.

Desirable : It is desirable that the institution has play fields for football, hockey, cricket and an athletics track. The area required for this will be 2000 sq. mts (may be shared with other institutions, if necessary).

4.0 NORMS FOR EQUIPMENT, BOOKS AND FURNITURE :

4.1 Equipment for Science Laboratory :

Essential :

The institution should have at least one set of all Science apparatus required to perform and demonstrate the experiments prescribed in the Secondary and Senior Secondary Classes. All required chemicals should be available (may be shared with an attached school or the management owned school, if nearby).

Attested

12/2/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

109

Desirable :

Multiple sets of core apparatus will be procured so that more than one student can perform the same experiment at the same time. Some apparatus to perform innovative and higher level experiments may also be provided.

4.2 Equipment for Psychology Laboratory :

Essential :

Apparatus for simple experiments related to educational psychology.

Intelligence Tests (performance,- nonverbal and verbal) Aptitude Tests, Creativity Tests, Personality Scales, Attitude Tests and Interest Inventories.

Desirable :

Multiple sets of the above tests, sensory-motor tests, (acuity, discrimination, coordination and distraction, materials for the experiments on learning concept formation etc.).

4.3 Equipment for Educational Technology :

Essential :

One Radio, One TV, One Audio Cassette Recorder, one Slide-Cum-Film-Strip projector of 35 mm, one Overhead Projector, one Still Camera, ten Blank Audio Cassettes, Art materials for preparation of Charts and Slides, materials for transparencies.

Desirable :

One VCR, one Amplifier, two Loudspeakers, two Microphones, two Video Cameras, six Video Cassettes, one Computer PC.

4.4 Equipment for Work-Experience Lab :

Equipments in these labs for multi-purpose activities will be required. Two sets of gardener's tool, tools and equipments for currernt and futuristic work activities relevant to the respective area. The expert committee will decide the details.

Essential :

Four sets of working hand tools, four sets of gardener's tools, other essential equipment required for work experience activities provided in the institution in a few areas.

Desirable:

Multiple sets of hand tools of important and additional work-experience activities.

4.5 Equipment for Games & Sports :

Essential :

The institution should have adequate game equipment and materials for all outdoor games.

4.6 Norms for Books and Journals :

Essential :

The library should have initially a minimum of 1500 books including text books and reference books. At least 150 books may be added every year, of which some may be duplicate, or triplicate copies of essential textbooks. The institution should subscribe to a minimum of five journals of which three should be professional educational journals.

Desirable :

At least 5000 books including textbooks and reference books. It should subscribe to 10 journals of which five should be professional and educational journals.

4.7 Norms for Furniture :

All rooms in the institutional building should have adequate and appropriate furniture. The norms for furniture in different rooms of the institution are as follows :

NORMS

NATURE OF FURNITURE	ESSENTIAL	DESIRABLE
1	2	3
1. Classroom:		
Students' desk & seat	1 set for each student x 60 (60 sets for each classroom)	60 seats(good quality)
Teacher table and chair	1 set for teacher in each classroom	Additional teacher table
Blackboard	1 of Size 2.5mt x 1mt in each classroom	1 additional board of size 3.5mt x 1mt in each classoom
2. Seminar Room:		
Tables	Adequate, appropriately arrangable in seminar format	
Students' chairs	40	60
Teachers' chairs	2	5
3. Hall:		
Dais	One (3mt x 6mt and 1.0 mt high)	
Chairs	5 dais-chairs+120 floor chairs	10 dais-chairs+150 floor chairs
4. Laboratory		
Work Tables (Science, Psychology, Educational Technology and other labs)	4 Tables of Size 1.25 mt x 0.9 mt in each laboratory 4 Stools (of 0.6 mt ht.)/chairs for each table (20 in each lab)	5 tables
Teacher's table	1 per Lab	1 per Lab
Teacher's chair	1 per Lab	1 per Lab
Steel almirah	1 per Lab	2 per Lab
Storage racks	2 per Lab	4 per Lab

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

110

1	2	3
5. Workshop		
(Furniture for each workshop)	4 work benches of size (1.25 mt x 2 mt x 0.75 mt)	
Work benches/Stools	20 (0.5 mt ht.)	6 work benches
Teacher's table	1 per lab	1 per lab
Teacher's chair	1 per lab	1 per lab
Steel almirah	1 per lab	2 per lab
Storage racks	2 per lab	4 per lab
Blackboard	1 (3.5 mt x 1.0 mt)	1 (3.5 mt x 1.0 mt)
(Active interaction and linkage with relevant and near by work centres)		
6. Library		
Book shelves	Adequate for 2000 books	Adequate for 4000 books
Reader's table and chairs	One set per reader as per capacity of readihg room.	Same as essential
Periodical rack	One	One
Catalogue cabinets	Each with 4 cataloguing trays to hold 2000 cards.	Double the essential ber
Furniture for librarian	One table, Two chairs, One Filing cabinet	same as essential
Notice board	One	One
Bulletin board	One	Two
Library automation	—	Computer furniture and one PC CD-ROM
7. Principal's room		
Table	1	1
Chairs	5	5
Sofa set	1	1
Steel almirah	1	1
Book rack	1	1
Filing cabinet	1	1
8. Teacher's (Staff) Room		
Tables	One for each teacher	Same as essential
Chairs	One for each teacher	
Almirahs/Cabinets		Shared steel cabinets
9. Office room		
Chair+table	One set for each member of staff	One for each member of staff
Extra chairs	3 sets	One for each member of staff
Steel almirah	One	Two
Filing cabinet	One	One
Filing racks	Two	Four
Notice boards	Two	Two
Stools/chairs	One for each Helper	One for each Helper
10. Store room		
Steel almirah	One	Two
Storage racks	Three	Five
11. Students' Common Room	For each Common Room 20	For each Common Room 20
Chairs		
Long tables	Adequate for 12 chairs	Adequate for 20 chairs

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

5.0 NORMS FOR STAFF

5.1 Teaching Staff (N=60 students)

Designation	Number Required		Specialization	Qualification & Experience
	Essential	Desirable		
Principal/Head	Reader's Rank (One)	Professor's Rank (one)	Education	Ph.D. in Edu. or MA (Edu)/M.Ed. in first/second class; ten years experience in teaching and/or research +or administration
Reader in Education		1 (for every 60 students)	Education	Ph. D. in Edu. or MA(Edu)/M.Ed. in first/second class PG in relevant school subject; 5 years teaching and/or research experience after B.Ed./M.Ed.
Lecturer in Education	Minimum of 6 for every unit of 60 students	6 for every 60 students	Atleast one for each methodology; one for each pedagogy	First/Second Class M.Ed. with Master's Degree in a school subject, preferably M. Phil or Ph. D. and 3 years experience in teaching (school, college)
Lecturer in Physical Education	1 (for every unit of 120 students)	1 (for every unit of 120 students)	Physical Education	Master's Degree in Physical Education at least B.P. Ed.
Instructor in Work-experience	1 (for 120 students)	1 (for every 120 students)	Agricultural, Industrial or other craft	Certificate/Diploma in Craft
Instructor in Art and Music	1 (for 120 students)	1 (for every 120 students)	Fine Arts, Music, & Performing Arts	Diploma/Certificate in Fine Arts

[Note : The total number of teachers (Reader or Lecturer) in Education (excluding Principal) is given the formula S/60 x 6 where S is the number of students, subject to the condition that if S/60 is a fraction, any fraction above 1/2 is raised to the next integer. Alternatively, 1 : 10 teacher-student ratio may be followed].

5.2 Technical Support Saff

Designation	Essential	Desirable	Qualifications
Librarian	1	1	Master's Degree in Lib. Sc. with 10 years experience in library/teaching or Master's Degree in any subject and a Bachelor's Degree in Lib. Sc. with 10 years teaching experience
Assistant Librarian	1	1	Bachelor's Degree/Diploma in Lib. Science
Technical Assistants	—	2 (for Workshops & Edn. Tech.)	ITI Certificate/Diploma; HSC with training in A.V. Edn./Video production

5.3 Administrative & Helper Staff for a unit of 60 students (staff strength will increase in proportion to students).

Designation	Essential for (N=60 students)	Desirable for (N=60 students)	Qualifications
Administrative Staff and Helper(s)	3=1+1+1	3=1+1+1 with additional and updated automation skills	as per relevant Govt. rule, and office automation skills

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

112

5.4 Nature of Employment of Staff

All staff shall be appointed on full time and regular basis. Properly constituted Selection Committee will select the candidates for all positions. In the Selection Committee for teaching staff there should be one nominee of the NCTE and at least one of the University/the Government as required by local rules.

The salary structure of teaching staff should be as per UGC Norms.

6.0 NORMS FOR RECURRING COSTS

The norms recurring expenditure of an institution of secondary teacher education will be as follows :

Adequate provision should be made in the annual budget of the Institution.

(A) Salaries	Total salaries of all staff including allowances and benefits	
(B) Purchase of instructional material for	Essential (Rs. per student)	Desirable (Rs. per student)
Science Experiments & Activities	50	100
Psychology & Education	50	75
Educational Technology	100	150
Workshop & Work-experience	100	125
Art & Music . .	50	60
Games & Sports .	50	75
Books & Journals .	150	200
(C) Contingencies .	50	75
Total . .	600	860

Depending upon he number of students enrolled, total recurring expenditure can be estimated for the institution.

7.0 NORMS REGARDING CURRICULUM TRANSACTION

7.1 Number of working days to be distributed as follows : 210 per year/session.

All admissions should be completed within 10 working days (after reopening of Institution)

Teaching days in the institution	150 working days
Supervised practice Teaching/other assignments	40 working days
Examination days	10 working days.

7.2 During teaching days, there should be 5 to 6 hours of instruction per day, of which 3 to 4 hours per day may be devoted to theoretical instruction the, rest to practical work. Students may do practical work in groups. While one group does Science practicals, another does Psychology practical, and a third group works in workshop or Educational Technology, and a fourth one works in methodology groups.

7.3 Norms of Practical Work to be performed by each Student.

Items	Essential	Desirable
1	2	3
Science experiments relevant to school syllabus	10	15
Preparation of Teaching Aids	20	24
Administration of Psy. Tests, scoring & interpretation	5	8
Operation of audio-visual equipments	all available equipments	all available equipments
Preparation of lesson plans (apart from preparatory training lessons)	10	16
Preparation of unit and Resource plans	2 (group work)	4 (group work)
Observation of lessons taught by good teachers in each method subject.	10	10
Observation of demonstration lessons in each method subject	5	10
Construction of test items, unit and examination question paper each method subject	20+1+1 (group work)	30+2+2 (group work)
Case study/action research/ other project	1	2

7.4 Supervised/Practice Teaching :

Depending on class/sections available for practice teaching in a school, students may be deputed at the rate of not more than two students per section. A student should teach two periods per day and observe two lessons of other teachers All lessons should be supervised by institutional teachers and school teachers and feedback given to students. Each student should teach 20 lessons in each method subject and maintain record thereof (Desirable is 25 lessons in each method). Preferably, students may be placed in a school for a block period of 4 weeks to work as internee-teachers so that in addition to practice teaching, they take part in other activities of the school. The training institution should also preferably have a practising school attached to it.

8.0 NORMS REGARDING ADMISSION CRITERIA AND FEES

8.1 Admission criteria ;

Essential :

The standard of future teacher will depend on the standard of the students admitted to the institution of teacher education. The admission criteria to B. Ed. or Master's Degree courses will have to be progressively upgraded. To begin with the admission criteria may be fixed as at least 45% marks on the aggregate at the Bachelor's degree examination of a recognized University provided the applicant has offered subjects relating to school education at the first or second degree level. The relaxation for SC/ST and other candidates will operate as per respective State rules.

Desirable :

It is desirable to fix admission criteria as 50% of aggregate marks at the degree examination with two school subjects or one broad curricular area.

8.2 Selection Procedure :

Essential :

All students should be selected for admission on the basis of merit. Merit shall be determined by a selection test to be conducted by a national, state level or other agency approved by NCTE.

8.3 Fee Structure and Scholarship :

Essential :

The fee structure should be as decided by State Government, University, from time to time, subject to the condition that the total annual receipts from students does not exceed the total recurring expenditure of the institution for the course and that the individual fee doesn't exceed the per student recurring expenditure as estimated by NCTE.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

Desirable :

Provision of some free-studentship for meritorious poor students. Provision of some scholarships on the basis of merit.

9.0 NORMS REGARDING MANAGEMENT AND FINANCE :

9.1 There should be a broad based Management Committee, with Chairman and members as suggested by the NCTE, and with the Principal and two staff representatives on it.

9.2 The institution should be financially sound and viable. Government/Local Self-Government/University institutions should give undertaking to provide adequate finance from time to time. Private institutions should have an endowment fund of Rs. 3 lakhs and a reserve fund of Rs. 2 lakhs (unless full grant-in-aid is available and assured).

9.3 The institution must adopt proper budgeting, expenditure sanctioning, accounting and auditing procedures/systems; the annual audit should be done by a Chartered Accountant and duly reported to the authorities.

PUNJAB WAKF BOARD, AMBALA CANTT

No. Wakf 38/6/Vol.I.—On going through the request of MAKHDOOMZADA SHAH NISAR AHMAD USMANI in respect of Mutawallishipp of Wakf properties and after having gone through the office record.

I, Dr. S. Y. Quraishi, I.A.S. Administrator, Punjab Wakf Board in exercise of the powers conferred under Section 42 of the Wakf Act, 1954 hereby appoint MAKHDOOMZADA NISAR AHMAD USMANI S/o Late Sh. ISRAR AHMAD USMANI, resident of 396-Peer Ahmad Manzil, Mohalla Sahdariyan (Ansariyan) Town & P.O. Kairana, Distt. Mazaffar Nagar, (U.P.) to perform all function and duties of the Mutawalli of Dargah Pir Ahmad Hasan Sahib, Panipat.

It is clarified that it will be the duty of Mutawalli to abide by and follow all provision of the Wakf Act, 1954 with a special reference to Section 31 to 45 of the said Act and Rules and Regulations framed thereunder.

DR. S. Y. QURAISHI
I.A.S.,
Administrator,
Punjab Wakf Board, Ambala Cantt.

Attested
25/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेंट्रल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

114